लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खंड २७, १९५९/१८८० (शक)

[६ से १९ मार्च १९५९/१५ से २८ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २७ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय मात्रा, खंड २७, अंक २१ से अंक ३०—६ से १६ मार्च, १६५६
१५ से २८ फाल्गुन १८८० (शक)]

पृष्ठ

अंक २१—शुक्रवार, ६ मार्च, १६५६/१५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ६६४ से ६७०, ६७३ से ६७५ और ६७७ से ६८१ २४३७—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६७१, ६७२, ६७६ और ६८२ से १०१२ . २४६२—७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८२ से १५३८ और १५४० से १५४५ . २४७५—२५०१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अमरीका पाकिस्तान प्रतिरक्षा संधि . . . . २५०१—०३

आयव्ययक पत्रों का समय से पहले प्रकट हो जाने के बारे में . २५०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २५०४

विशेषाधिकार समिति

नवां प्रतिवेदन २५०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसाम में विद्रोही नागाओं का उपद्रव . २५०५-०६

महेश्वरी देवी जूट मिल्स के बंद होने के बारे में वक्तव्य . २५०६-०७

सभा का कार्य २५०७

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरःस्थापित . . २५०८

कार्य मंत्रणा समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन २५०८

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १६५८-५६ . . . २५०८—२१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन २५२२

विधेयक पुरःस्थापित . . . २५२२,२५२८-२५

(१) तेलों का जमाना (अपराध) विधेयक . . . २५२२

(२) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक . . . २५२४

(३) बैंक ऑफ पटियाला विलय विधेयक . . २५२५

सहकारी समितियां विधेयक—

पुरःस्थापन की अनुमति नहीं दी गयी . . . . २५२२—२४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापिस लिया गया . . २५२५—३६

भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक . . . . . २५३७—३६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २५४०—४६

पृष्ठ

अंक २२—सोमवार, ९ मार्च, १९५९/१८ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०१६, १०१८, १०२०, १०२२ से १०२६, १०२८ और १०२९ . २५४७–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१९, १०२१, १०२७, १०३० और १०३२ से १०४६ . . . २५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४६ से १६३८ . . . २५८०—२६१९

स्थगन प्रस्ताव

पंजाब में सुधार शुल्क . . २६१९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २६१९-२०

सभा का कार्य

अनुदानों की मांगों के लिये समय का आवंटन . २६२०-२१

विधेयक पुर:स्थापित किये गये . . २६२१-२२

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक . २६२१

(२) भारतीय प्रकाश-स्तम्भ (संशोधन) विधेयक २६२२

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पारित . . २६२२

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा २६२२–६४

दैनिक संक्षेपिका २६६५–७०

अंक २३—मंगलवार, १० मार्च, १९५९/१९ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७ से १०५६, १०७५ और १०५७ से १०६० २६७१–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६१ से १०७४ और १०७७ से १०९६ २६९६–२७१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३९ से १७०६ . . २७१३–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९ दिनांक १९-११-५८ के उत्तर में शुद्धि २७४१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २७४१-४२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २७४२

राज्य सभा से सन्देश . . २७४२

विशेषाधिकार का प्रश्न

मनीपुर आयव्ययक प्राक्कलनों का समय से पहले पता लग जाना २७४३–४५

सामान्य आयव्ययक के बारे में विशेषाधिकार का कथित उल्लंघन २७४५–४७

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

गिरिडीह कोयला खान में अग्निकांड २७४७—४९

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पारित २७४९

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा २७४९—८५

दैनिक संक्षेपिका . . २७८६—९१

अंक २४—बुधवार, ११ मार्च, १९५९/२० फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९७ से ११०५, ११०७ से ११०९ तथा १११२ से १११५ . २७९३—२८१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६, १११०, १११९, १११६ से ११२५, ११२७ से ११३७ तथा ११३९ से ११४५ २८१७—३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०७ से १७७८ २८३१—६१

डा० एम० आर० जयकर का निधन . २८६२

सरकारी कर्मचारी आचार नियमों के बारे में २८६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २८६३

सदस्य की गिरफ्तारी . २८६३

सदस्य को सजा २८६३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन . . २८६४

सरकारी समवायों के प्रतिवेदन के बारे में घोषणा . २८६४

आसाम सीमा पर गोली वर्षा के बारे में वक्तव्य २८६४—६५

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा २८६५—९४

दैनिक संक्षेपिका . २८९५—२९००

अंक २५—गुरुवार, १२ मार्च, १९५९/२१ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४६ से ११५३, ११५५ से ११५८, ११६० से ११६२ और ११६४ २९०१—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५४, ११५९, ११६३ और ११६५ से ११९० २९२६—३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७७९ से १८६५ २९३९—७५

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव

सीमा पर गोली वर्षा . . . . . २९७६—८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९८०–८१

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २९८१—३०२२

लेखानुदानों की मांगें . . . . . ३०२२—२७

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पुरःस्थापित . . . ३०२८

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पारित . . . ३०२८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ३०२९—३२

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोली वर्षा . . ३०३२—४२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३०४३—४९

अंक २६—शुक्रवार, १३ मार्च, १९५९/२२ फागुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९२ से ११९४, ११९६, ११९८ से १२०१, १२०३, १२०५, १२०८, १२०९, १२१२, १२१३, १२१६, १२१८, १२२० तथा १२३० . . . . . ३०५१—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९१, ११९५, ११९७, १२०४, १२०६, १२०७, १२१०, १२११, १२१४, १२१५, १२१७, १२१९, १२२१ से १२२९ तथा १२३१ से १२३५ . ३०७६—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८६६ से १९३३ . . . ३०८७—३११५

स्थगन प्रस्ताव—

पंजाब में सुधार शुल्क ३११६-१७

अमरीका और टर्की, ईरान और पाकिस्तान के बीच सैनिक सहायता के लिये हुए करार के बारे में वक्तव्य . . . ३११७—२१

सभा पटल पर रखे गये पर ३१२१-२२

सभा का कार्य ३१२२-२३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक . . . . ३१२३—३७

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३१२३—३५

खण्ड २ से २६, १ और अधिनियमन सूत्र ३१३६-३७

पारित करने का प्रस्ताव ३१३७

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन ३१३७

नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने की नीति के सम्बन्ध में संकल्प ३१३८—५५

सहकारी कृषि के सम्बन्ध में संकल्प . . . ३१५५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ३१५७—६३

अंक २७—सोमवार, १६ मार्च, १९५९/२५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३६ से १२४२, १२४४, १२४६, १२४८, १२४९, १२५१ से १२५३ और १२५६ से १२५९ . . ३१६५—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४५, १२४७, १२५०, १२५४, १२५५, १२६० से १२८७ और १२८९ . . . ३१९०—३२०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३४ से १९५९, १९६१ से १९९३ और १९९५ से १९९९ . ३२०७—३७

श्री काशीनाथ राव वैद्य का निधन ३२३७

सभा पटल पर रखा गया पत्र . ३२३७

राज्य सभा से सन्देश . ३२३८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३२३८

सदस्य का निकाला जाना ३२३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पुनर्वास विभाग का बन्द किया जाना . . ३२३८—४२

घरेलू कर्मचारियों की मांगों के बारे में वक्तव्य . . ३२४१

अनुदानों की मांगें . . . ३२४२—९४

अणु शक्ति विभाग . . . ३२४२—५६

वैदेशिक कार्य मंत्रालय . . . ३२५६—९४

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२९५—३३००

अंक २८—मंगलवार, १७ मार्च, १९५९/२६ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९१ से १२९८, १३००, १३०१, १३०४, १३०७, १३०९, १३१०, १३१३, १३१४, १३१६, १३१८, १३१९, १३२१ और १३२२ . . . ३३०१—२८

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२६०, १२६६, १३०२, १३०३, १३०५, १३०६, १३०८, १३११, १३१२, १३१५, १३१७, १३२०, १३२३ और १३२४ . . .	३३२८–३३
अतारांकित प्रश्न संख्या २००० से २०६३	३३३४–५६
स्थगन प्रस्ताव—	
मालद्वीप में रायल एअर फोर्स स्टेशन .	३३५६–६०
सभा पटल पर रखा गया पत्र . .	३३६१
चिनाकुरी खान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य .	३३६१
अनुदानों की मांगें .	३३६२–३४२७
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	३३६२–७४
शिक्षा मंत्रालय	३३७५–३४२७
दैनिक संक्षेपिका . .	३३२८–३२
अंक २६—बुधवार, १८ मार्च, १६५६/२७ फाल्गुन, १८८० (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३२६ से १३२८, १३३० से १३३४, १३३६, १३३७, १३३६ से १३४१, १३४५, १३४८ और १३४७ .	३४३३–५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३२५, १३२६, १३३५, १३३८, १३४२ से १३४४, १३४६ और १३४६ से १३६३ . .	३४५६–६५
अतारांकित प्रश्न संख्या २०६४ से २१३५	३४६५–६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४६५
राज्य सभा से सन्देश	३४६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन .	३४६६
लोक लेखा समिति	
तेरहवां प्रतिवेदन .	३४६६
प्राक्कलन समिति—	
बयालीसवां प्रतिवेदन	३४६६–६७
अनुदानों की मांगें	३४६७–३५३६
वित्त मंत्रालय	३४६७–३५३६
मध्य प्रदेश में धान के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	३४३७–४२
दैनिक संक्षेपिका .	३५४३–४८

अंक ३०—गुरुवार, १९ मार्च, १९५९/२८ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६४ और १३७३, १३६५ से १३६७, १३६९ से १३७२, १३९४, १३७४, १३७५ और १३७७ से १३८१ . ३५४९–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६८, १३७६, १३८२ से १३९३ और १३९५ से १४०४ . . . . ३५७९–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३६ से २१७९ . . . ३५९०–३६०८

उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक सदस्य के निलम्बन के बारे में . . ३६०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६०९

अनुदानों की मांगें ३६१०–६४

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ३६१०–६४

दैनिक संक्षेपिका . ३६६५–६८

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, १९ मार्च, १९५९

२८ फाल्गुन, १८८० (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि आप की अनुमति हो तो मैं प्रश्न संख्या १३७३ का उत्तर भी प्रश्न संख्या १३६४ के साथ ही दे दूं। क्योंकि दोनों का विषय एक ही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां।

स्वचालित करघे

†*१३६४ { **श्री केशव** :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री नागी रेड्डी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री प्र० चं० बोस :
श्री तंगामणि :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सरजू पांडे :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वचालित करघों के आवंटन के लिये सरकार ने क्या कसौटी निर्धारित की है ;

(ख) चालू वर्ष में कितने स्वचालित करघों का आयात करने का विचार है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७७**]

सूती कपड़ा मिलों में स्वचालित करघे

+

†*१३७३. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ के पश्चात सूती कपड़ा उद्योग में प्रति वर्ष २५०० स्वचालित करघे लगाने का निश्चय किया गया था क्या सरकार ने उसका अनुमोदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप प्रति वर्ष कितने श्रमिक छंटनी किये जायेंगे ; और

(ग) छंटनी होने वालों को पुनः काम पर लगाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भारतीय श्रमिक सम्मेलन के १५वें सत्र में निर्धारित किये गये सिद्धान्तों के, जिनमें एक यह भी था कि कोई श्रमिक छंटनी नहीं किया जायेगा, अनुसार ये स्वचालित करघे लगाने की योजना कार्यान्वित की जायेगी । यदि किसी श्रमिक को करघे से हटाया जायेगा तो उसे उसी मिल के किसी अन्य विभाग में लगा दिया जायेगा । प्रति वर्ष इस योजना का १५०० से अधिक श्रमिकों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनको भी उद्योग में खपा लिया जायेगा ।

†**श्री केशव** : क्या यह लाइसेंस अथवा स्वचालित करघों का आयात करने की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि जो श्रमिक बेरोजगार होंगे उन्हें दूसरी नौकरी दिलाई जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने तारांकित प्रश्न संख्या १३७३ के (ख) और (ग) भागों के उत्तर में यही तो कहा है कि अतिरिक्त स्वचालित करघे लगाने अथवा पुराने करघों के स्थान पर नये लगाने से किसी श्रमिक को छंटनी नहीं किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी :** केन्द्रीय कार्मिक संघ संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक समिति इस मामले पर विचार करने के लिये बनाई गई है । क्या इस समिति के एक सदस्य ने जो अखिल भारतीय मजदूर संघ का है तीन सुझाव दिये थे और यदि हां तो वे तीन सुझाव क्या हैं और उनके बारे में सरकार की क्या राय है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** माननीय सदस्य किस समिति के बारे में कह रहे हैं ?

†**श्री स० म० बनर्जी :** केन्द्रीय मजदूर संघ की समति जो स्वचालित करघों के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

†**श्री मनूभाई शाह :** हम जब इस मामले पर विचार कर रहे थे तब अखिल भारतीय मजदूर संघ से हमें एक पत्र मिला था । इस विषय पर वाद-विवाद के समय श्री डांगे ने भी लोक सभा में इसका उल्लेख किया था । भारत सरकार के लिये यह सम्भव नहीं कि वह सरकारी क्षेत्र में एक ही स्थान पर तीन हजार करघे लगा दे क्योंकि इस उद्योग में कई प्रकार के डिजाइनों का उत्पादन होता है और यह वर्तमान कपड़ा उद्योग की सहायता से ही चल सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय मंत्री से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या लोक-सभा में पहले एक बार यह बताया जा चुका है । मुझे याद है कि माननीय मंत्री ने तीन हजार करघों का उल्लेख किया था और इस पर काफी चर्चा हुई थी । माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि यदि कोई उत्तर दूसरी बार मांगा जा रहा हो तो वह हमें सूचित कर दें । हम भी इस की पूरी कोशिश करते हैं और हम ने एक रजिस्टर रखा हुआ है जिस से यह पता चले कि क्या प्रश्न दूसरी बार तो नहीं पूछा जा रहा है । एक बार जो प्रश्न पूछा जा चुका है यदि उसके सम्बन्ध में कोई और जानकारी की जरूरत हो तो माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे पहले माननीय मंत्री से जानकारी मांगें । मैं ने देखा है कि यहां नये विषयों के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जाते ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** यह तो नया विषय है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** एक माननीय सदस्य कुछ कष्ट सहन करके एक प्रश्न पूछते हैं और दूसरे सदस्य उनका अनुसरण करते हैं । मेरा यह सुझाव है कि जब हम मंत्रालयों को प्रश्न भेजते हैं तो वे हमें सूचना भेजें कि उसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पहले तो नहीं दिये जा चुके हैं । ताकि नये विषयों सम्बन्धी प्रश्न पूछे जा सकें और व्यर्थ समय नष्ट न हो । इस बार मैं इसकी अनुमति दे देता हूं परन्तु अब यह नियम समझा जाये ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** एक सुझाव के बारे में तो माननीय मंत्री ने बता दिया कि सरकारी क्षेत्र में यूनिट स्थापित करना संभव नहीं है । दूसरे दो सुझाव ये थे कि . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह भी सुझाव दिया गया है कि नये यूनिट में ५० प्रतिशत पूंजी गैर-सरकारी क्षेत्र से लगाई जाय और स्वचालित करघे केवल उन कारखानों अथवा गैर-सरकारी उपक्रमों में लगाये जायें जो यह वायदा करें कि उन करघों पर होने वाले उत्पादन का निर्यात किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इन सब बातों का उत्तर सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। वाद-विवाद के दौरान में भी यह प्रश्न उठाया गया था और हम ने स्पष्ट कर दिया था कि स्वचालित करघे लगाने के लिये उन प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दी जायेगी जो निर्यात करने के लिये तैयार होंगे। दूसरे यह सम्भव नहीं कि तीन हजार करघे सरकारी क्षेत्र में एक ही कारखाने ने लगा दिये जायें अथवा उस कारखाने में ५० प्रतिशत पूंजी गैर-सरकारी क्षेत्र की हो।

†**श्री स० चं० सामन्त** : तारांकित प्रश्न संख्या १३७३ के बारे में मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हुं कि क्या २५०० करघे १९५९–६० में लगाये जायेंगे और क्या इस के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है और यदि हां, तो इसका राज्यवार ब्योरा क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : दो सदस्यों की एक समिति कार्यक्रम बना रही है। वर्तमान स्थिति यह है कि निर्यात के लिये नियत में ३००० करघे और तीन वर्ष में प्रतिवर्ष २५०० करघों के हिसाब से लगाये जाने वाले ७५०० करघे उपयुक्त मिलों को उनके प्रदेश और उत्पादन को देखते हुए आवंटित किये जायेंगे।

†**श्री प्र० च० बोस** : क्या उन मिलों ने, जहां साधारण करघों के स्थान पर स्वचालित करघे लगाये गये हैं, छंटनी किये हुए श्रमिकों को दूसरी नौकरियां दे दी हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां।

†**श्री वारियर** : ये ३००० स्वचालित करघे कितने यूनिटों को आवंटित किये जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी यह काम शुरू हुआ है। समिति इसे देख रही है। आवंटन होने पर सभा को जानकारी दे दी जायगी।

†**श्री गोरे** : इसका कितने श्रमिकों पर प्रभाव पड़ेगा और कितने लोग बेरोजगार हो जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने बताया है कि प्रति वर्ष लगभग एक हजार या पंद्रह सौ श्रमिक बेरोजगार होंगे और इतने बड़े उद्योग के लिये इन श्रमिकों को दूसरा काम देना कोई कठिन बात नहीं।

†**श्री जाधव** : १९५२ से पूर्व कितने स्वाचालित करघों की मंजूरी की गई थी और अब तक कुल कितने लगाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : सभा को मालूम ही होगा कि उत्पादन शुल्क लगाने की पुरानी योजना सफल नहीं हुई थी और यह नई योजना उसी का स्थान ले रही है जिसके अधीन अतिरिक्त करघे लगाये जायेंगे और पुराने करघे बदले जायेंगे। कुछ ऐसे कारण रहे कि इस समय देश भर में केवल १०,००० अथवा १२,००० स्वचालित करघे लगे हुए हैं।

श्री रा० क० वर्मा : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ अर्से पहले कामर्स एण्ड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से आटोमैटिक लूम्ज के बारे में एक सूचना-पत्र प्रकाशित किया गया था कि जब यूनियनें तैयार होंगी, उस के बाद उस इंडस्ट्री को आटोमैटिक लूम्ज इम्पोर्ट करने की स्वीकृति दी जायेगी, क्या इसका पालन किया जायेगा।

श्री मनुभाई शाह : यह तो पुरानी बात है। इस के बाद सारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ लेबर मिनिस्ट्री और हमारी मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई और वहां यह तय किया गया कि इसको एक राष्ट्रीय प्रश्न बनाया जाय और माड्रानाइजेशन का काम हाथ में लिया जाये।

श्री रा० क० वर्मा : आटोमैटिक लूम्ज के साथ जो पीछे की मशीनरी है, उस के बारे में भी कुछ रिप्लेसमेंट के बारे में सोचा है या केवल आटोमैटिक लूम्ज लगाए जायेंगे।

श्री मनुभाई शाह : हमारा ख्याल यह है कि बारबार कोलमैन और अन्य हाई स्पीड वार्पिग एंड वाइडिंग मशीस आदि बहुत सी मिलों के पास हैं। लेकिन यह जरूरी है कि जहां आटोमैटिक लूम्स लगेंगी वहां पर अगर एसी मशीनरी की आवश्यकता हो तो सरकार उस पर भी विचार करेगी।

†**श्री आचार** : माननीय मंत्री ने वह शर्त बताई थी जिस पर कि स्वचालित करघे लगाने की अनुमति दी जायेंगी। यदि उसका पालन किया जाय तो क्या उस से उत्पादन की लागत नहीं बढ़ जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : आशा है कि उत्पादन भी बढ़िया होगा और लागत भी कुछ कम आयगी।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या सरकार यह विचार कर रही है कि जो मिलें इस समय बन्द पड़ी हैं उनमें स्वचालित करघे लगाये जायें और उन्हें सरकारी क्षेत्र में रखा जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

श्री रा० क० वर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि अगर पिछली मशीनरी पुरानी रखी गई और आटोमैटिक लूम्स को चलाने की परमिशन दी गई तो क्या उसका प्रोडक्शन के ऊपर बुरा असर नहीं होगी ?

श्री मनुभाई शाह : इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। जो टैक्निकल कमेटी आटोमैटिक लूम्स को मंजूर करेगी वह यह भी देखगी कि पुरानी मशीनरी अच्छी है या नहीं और अगर अच्छी नहीं होगी तो उसको भी बलदने की इजाजत दी जाएगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मूलभूत भेषजों के निर्माण के लिये कारखाने[1]

+

†*१३६५. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भक्त दर्शन :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री नागी रेड्डी :
श्री रामम् :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इल्यास :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री वें० प० नायर :
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री ई० मधूसूदन राव :
श्री सरजू पांडे :
श्री स० म० बनर्जी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री परुलकर :
काजी मतीन :
श्री खुशवक्त राय :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वारियर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २५ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मूलभूत भेषज के उत्पादन के कारखाने लगाने और भेषजों तथा औषधियों की गवेषणा करने के बारे में रूसी विशेषज्ञों के प्रतिवेदन पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Plants for Basic Durgs

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). रूसी विशेषज्ञों के एक दल ने, जो अगस्त—अक्तूबर, १९५८ में भारत सरकार के निमन्त्रण पर उन भेषज परियोजनाओं के क्षेत्र पर चर्चा करने में लिये भारत आया था जो उनके सहयोग से स्थापित की जानी हैं, जाने से पूर्व एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। सरकार प्रतिवेदन पर विचार कर रही है और उसे कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इन परियोजनाओं के क्षेत्र का सारांश और कुल विनियोजन के प्राक्कलन सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७८**]

†**श्री सुबोध हंसदा** : माननीय मंत्री ने अभी-अभी बताया कि प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। यह कब प्रस्तुत किया गया था और इसमें इतना समय क्यों लगा है?

†**श्री मनुभाई शाह** : शायद दो मास से अधिक समय नहीं हुआ है क्योंकि वे अक्तूबर १९५८ में गये थे और तभी प्रतिवेदन दिया था। माननीय सदस्य को मालूम होगा कि हमारे दो वरिष्ठ पदाधिकारी इस समय मास्को में करार को अन्तिम रूप देने के लिये गये हुए हैं।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से पता चलता है कि भारत में चार कारखाने लगाये जाने वाले हैं। क्या स्थानों का चुनाव किया जा चुका है और यदि हां, तो वे कौन-कौन से हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : इसका उत्तर भी कई बार दिया जा चुका है। योजना आयोग की एक टैक्नीकल समिति यह विचार कर रही है कि प्रत्येक यूनिट कहां खोली जाये।

†**डा० सुशीला नायर** : भेषज उत्पादन का काम वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है और स्वाभाविक है कि उसी मंत्रालय ने उस दल को बुलाया होगा। इस दल को उन भेषज कारखानों में क्यों नहीं ले जाया गया जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन हैं। क्या इस बात का ध्यान रखा गया था कि सम्भव है कि उनमें से कुछ एक कारखाने वे भेषज बना सकते?

†**श्री मनुभाई शाह** : स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारा मंत्रालय एक दूसरे के सहयोग और तालमेल से काम करते हैं। सरकारी क्षेत्र के इन कारखानों की देखरेख यह मंत्रालय ही करता है और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक भेषज परियोजना चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या गैर-सरकारी क्षेत्र में, वह पूर्ण मितव्ययता से अधिक से अधिक भेषजों का उत्पादन करे।

श्री भक्त दर्शन : जो विवरण रखा गया है इसमें संख्या ३ में बताया गया है कि मैडिसीनल प्लांट्स के बारे में, औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में भी एक प्राजैक्ट पर विचार किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि हिमालय का क्षेत्र जो कि इन चीजों के लिये बहुत प्रसिद्ध है और जहां इसका बहुत बड़ा भंडार है, इसके सम्बन्ध में क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई प्रार्थना की है, यदि की है तो क्या उसको स्वीकार कर लिया गया है या स्वीकार किये जाने की सम्भावना है?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा देश है और यहां अलग अलग किस्म की जड़ी बुटियां अनेक जगहों में मिलती हैं। य० पी० की सरकार से भी हमारे पास एक मैमोरेंडम आया है और दूसरी सरकारों से भी प्रार्थनायें हमारे पास आई हैं और सभी बातों पर गवर्नमेंट विचार कर रही है ।

श्री अ० मु० तारिक : आपने इस स्टेटमेंट में यह ज़ाहिर नहीं किया है कि यह सोवियट डेलीगेशन जो आया था वह किन-किन मकामात पर गया है और क्या यह काश्मीर भी गया था ? क्या उसने काश्मीर के बारे में खास तौर पर कोई रिकोमेंडेशन की है और अगर की है तो वह क्या रिकोमेंडेशन है, यह मैं जानना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन रिकोमेंडेशन के बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने पिछले बार भी प्रार्थना की थी कि जो डेलिगेशन आया था वह सिर्फ टैक्निकल जांच पड़ताल करने के लिये आया था। कौन-कौन सी जगहों पर ये फैक्ट्रीज़ लगाई जायें इसका मुआयना उसने नहीं किया है। लेकिन जहां तक काश्मीर का सवाल है, उसके साथ हम सब की हमदर्दी है और जितनी मदद हम कर सकते हैं, करेंगे और जितनी कोशिश हो सकती है वहां इंडस्ट्रीज़ लगाने की कर रहे है। वहां पर जो चीज़ें मिलती होंगी उन सब पर टैक्निकल कमेटी गौर करेगी और दूसरी जगहों के बारे में भी गौर करेगी और सभी बातों को देख कर फिर लोकेशन के बारे में कोई फैसला किया जायगा ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** क्या इस उद्योग के लिये कच्चे माल का कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो किस प्रदेश में ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ये अलग उद्योग हैं और इनके लिये अलग कच्ची सामग्री चाहिये और टैक्नीकल समिति योजना आयोग और भारत सरकार को स्थानों की सिफारिश करने से पूर्व इन सब पहलुओं पर अर्थात् इस पर भी विचार कर लेगी कि वहां कच्चा माल उपलब्ध है या नहीं ।

†**श्री जयपाल सिंह :** इस परियोजना के लिये, जिसमें औषाधयां बनाने के पाच कारखाने लगाये जायेंगे और जिस पर कुल २० करोड़ रुपये लागत आयेगी, कितनी विदेशी सहायता प्राप्त होगी और क्या रूसी विशेषज्ञ यहां काम करेंगे या कि हमारे दल रूस में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजे जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इन पांच परियोजनाओं पर कुल ८ करोड़ रूबल विदेशी मुद्रा खर्च होगी और वह सब रूस से ऋण के रूप में प्राप्त होगी। अब तक रूस से दो दल आये हैं। हमारे देश से एक दल गया था जिसके नेता हमारे वरिष्ठ औद्योगिक मंत्रणाकार थे। इस समय दो उच्च-पदाधिकारी मास्को में बातचीत कर रहे हैं। हमारे देश से कई युवक टैक्नीशियन प्रशिक्षण पाने के लिये रूस भेजे जायेंगे और कारखाने में प्रशिक्षण देने के लिये रूसी विशेषज्ञ भी यहां आयेंगे।

†**श्री वारियर :** क्या इस सम्बन्ध में किसी व्यापार मंडल अथवा भेषज निर्माता संघ ने कोई अभ्यावेदन भेजा है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इस बारे में हज़ारों सुझाव प्राप्त हुये हैं जिन में से प्रत्येक में यह मांग की गई है कि कारखाना अमुक स्थान पर खोला जाये। इन सब ज्ञापनों की छानबीन की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी म

†**श्री स० म० यनर्जी :** विवरण में कहा गया है कि पांच कारखाने खोले जायेंगे। क्या यह सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में खोल दिये जायेंगे ?

†**श्री मनेभाई शाह :** करार आदि के बारे में लगभग सारा काम हो चुका है और आशा है कि हम अगले दो वर्ष में काफी काम कर लेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष की समाप्ति तक अथवा द्वितीय वर्ष के प्रारम्भ में कई छोटी मोटी तैयारियां हो जायेंगी और शायद कारखाने चालू भी हो जायेंगे ।

†**श्री राघेलाल व्यास :** क्या सरकार ने यह कोई अनुमान लगाया है कि जहां कारखाने खोले जायेंगे वहां किन-किन बातों का होना जरूरी है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं कई बार बता चुका हूं कि कारखानों के स्थानों के बारे में योजना आयोग की टैक्नीकल समिति विस्तारपूर्वक विचार कर रही है ।

†**श्री राघेलाल व्यास :** मेरा प्रश्न यह नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कारखाने खोलने के लिये किसी स्थान विशेष पर किन-किन बातों का होना लाजमी है। क्या ये आवश्यकतायें निर्धारित करके टैक्नीकल समिति और राज्य सरकारों को भी बता दी गई हैं जो इन आवश्यकताओं के आधार पर अपनी सिफारिशें भेज सकें ।

†**श्री मनुभाई शाह :** रूसी दल का प्रतिवेदन जिसमें प्रत्येक परियोजना की आवश्यकतायें सविस्तार बताई गई हैं सभी राज्य सरकारों को भेजे गये हैं। राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार और बातचीत हो रही है। जब कभी वे पूछताछ करते हैं उन्हें पूरी जानकारी भेज दी जाती है ।

†**श्री रामेश्वर टांटियां :** क्या रूसी सरकार के अतिरिक्त स्विटजरलैंड से भी परामर्श किया जायेगा जो कि इस काम में बड़े माहिर समझे जाते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राघेलाल व्यास :** मेरा निवेदन है कि राज्य सरकारों को भेजे गये प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जाये ताकि हम उसे समझ कर, उसका अध्ययन करके अपनी सिफारिशें भेज सकें ।

†**श्री मनुभाई शाह :** इस समय जब कि बातचीत चल रही है, प्रतिवेदन प्रकाशित कराना ठीक नहीं होगा। परन्तु हम चाहते हैं कि करार होने पर करार और प्रतिवेदन की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायें ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** एक दिन पहले हिन्दुस्तान ऐंटीबायटिक्स में एक अमरीकी फर्म के सहयोग से कुछ भेषज बनाने की बात चल रही थी। उधर रूस के साथ भी बातचीत चल रही है। मैं जानकारी के लिये यह पूछना चाहता हूं कि 'मर्क' की फर्म ने, जिनके साथ हम ने हिन्दुस्तान ऐंटीबायटिक्स में भेषज बनाने का करार किया है, अपने जर्मन हिस्सेदारों के द्वारा साराभाई कैमिकल्ज के साथ रासायनिक पदार्थों के आयात के लिये कोई करार किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इसमें कई बातें हैं। पहले तो यह एक अमरीकन कम्पनी है और यह जर्मनी में एक कम्पनी के द्वारा नहीं किया गया था। साराभाई के साथ उनका सहयोग नहीं चल रहा है। जब कभी कोई बड़ा उद्योग स्थापित किया जाना होता है तब हम कई देशों से बातचीत करते हैं ताकि उस फर्म का सहयोग प्राप्त किया जाये जो सर्वोत्तम हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

दण्डकारण्य योजना

\+

†*१३६६. **श्री रा० च० माझी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री तंगामणि :
श्री सूपकार :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री आसर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वाजपेयी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री सुबिमन घोष :
श्री बिमल घोष :
श्री झूलन सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री सिद्धनंजप्पा :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री प्र० चं० बरूआ
पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री मानवेन्द्र शाह :
श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री पाणिग्रही :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री १७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य योजना के अन्तर्गत भूमि को कृषि योग्य बनाने के बारे में आगे और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कैम्पों में और कैम्पों से बहार रहने वाले कितने विस्थापित व्यक्तियों ने वहां बसाये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं ;

(ग) अब तक उस क्षेत्र में कितने परिवार बसाये गये हैं और उन्हें क्या सुविधायें दी गई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) वहां बसाये गये लोगों में कितने प्रतिशत व्यक्ति पश्चिमी बंगाल से बाहर के शरणार्थी कैम्पों के रहने वाले थे ;

(ङ) क्या पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को वहां फिर से बसाने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री यू० शे० नास्कर)** : (क) अब तक लगभग १५०० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई गई है जिसमें से १००० एकड़ भूमि काश्त के लिये तैयार है परन्तु मेंढ़ बनाने का काम शीघ्र ही आरम्भ होने वाला है ।

(ख) लगभग २७,०००

(ग) ९४. ये प्रवीण श्रमिक हैं जैसे कि मैकैनिक और मोटर ड्राइवर आदि । उनके लिये रहने, चिकित्सा, रोजगार और मनोरंजन की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है । उत्तर तैयार करने के पश्चात २०० परिवार और जिनमें लगभग १००० व्यक्ति हैं दण्डकारण्य को भेजे जा चुके हैं ;

(घ) कोई नहीं ।

(ङ) नहीं ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री रा० च० माझी** : जिन विस्थापित व्यक्तियों ने बसने के लिये आवेदन किया है उन्हें कब तक बसाया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस दण्डकारण्य योजना में ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : प्रश्न के उत्तर में मेरे माननीय सदस्य द्वारा यह बताया जा चुका है कि अब तक हम ३०० परिवारों के लिये व्यवस्था कर चुके हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : जोगनी नदी से पीने और सिंचाई के लिये फरसगांव क्षेत्र में पानी के संभरण की योजना के बारे में कुछ कठिनाई महसूस की जा रही है । इसमें कहां तक प्रगति हुई है और क्या इसे आरम्भ किया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह डर निराधार है । मैं स्वयं वहां गया हूं और मैंने कुएं चलते हुये देखे हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : पिछली जुलाई में जब मैंने यही प्रश्न पूछा था तो माननीय मंत्री ने बताया था कि पश्चिमी बंगाल के सारे शिविरों को अगली जुलाई में समाप्त करने की योजना है । अर्थात् २०,००० से ३०,००० लोगों को दण्डकारण्य भेज दिया जायेगा तथा पश्चिमी बंगाल सरकार भी लगभग १०,००० परिवारों को बसायेगी । इस बारे में अब क्या स्थिति है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : वर्तमान स्थिति यह है कि पिछले दो वर्षों में हमने शिविरों से पश्चिमी बंगाल में लगभग १ लाख व्यक्ति पहुंचा दिये हैं तथा उन्हें जगह-जगह पर बसाने का कार्य अभी जारी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी :** वे विस्थापित व्यक्ति जो अब भी स्यालदह स्टेशन पर ठहरे हुये हैं, उनसे भी यह कहा गया है कि वे दण्डकारण्य चले जायें, और यदि हां, तो उनमें से कितने लोग स्वेच्छा से जाने को तैयार हो गये हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं पश्चिमी बंगाल के शिविरों में रहने वाले परिवारों की पूर्णरूपेण जांच तथा सर्वेक्षण करवा रहा हूं और इन लोगों में स्यालदह स्टेशन तथा बेघर बार लोगों के लिये स्थापित किये गये गृहों के लोग भी शामिल हैं । जो व्यक्ति इस योग्य हैं कि उन्हें यहां से हटाया जा सकता है और जो स्वयं भी वहां से जाने के इच्छुक हैं, उन्हें हटाने के लिये योजना बनाई जा रही है । अभी तक उनका आना-जाना ऐच्छिक है ।

†**श्री सूपकार :** खेती की गई भूमि का कितना क्षेत्र ले लिया गया है अथवा लेने का विचार है और क्या इन क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों को उचित रूप से बसाया जायेगा या केवल प्रतिकर देकर उन्हें शरणार्थी बना दिया जायेगा ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** पूर्वी प्रदेश में प्रतिकर सम्बन्धी विधि लागू नहीं होती ।

†**श्री सूपकार :** इस कार्य के लिये जिस भूमि पर खेती की जाती है ऐसी कितनी भूमि ली गई है और क्या वे लोग जो उस पर खेती करते हैं, उन्हें कहीं और बसाया जायेगा अथवा उन्हें केवल प्रतिकर दिया जायेगा

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** जहां तक बस्तर जिले का सम्बन्ध है, जितनी भी भूमि हमें मिल रही है, सब सरकार की भूमि है जब कि अम्बिकापुर और धर्मजमगढ़ में हमने गैर-सरकारी भूमि खरीदी है किन्तु इस बात का ध्यान रखा गया है कि मूल काश्तकार को न हटाया जाये ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** दण्डकारण्य के मध्य प्रदेश क्षेत्र में वहां के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें उनकी भूमियों से हटाया जा रहा है तथा उनकी भूमियों के लिये उन्हें कुछ भी प्रतिकर नहीं दिया जा रहा है । ऐसे लोग अधिकांशतः आदिवासी हैं और उनकी संस्कृति भी नष्ट की जा रही है ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं है । मैं अभी कह चुका हूं कि दण्डकारण्य क्षेत्र की सारी सरकारी भूमि हम ले रहे हैं जो मध्य प्रदेश खण्ड में आती है । आदिवासियों के बारे में सभा को पहले ही निश्चित आश्वासन दे चुका हूं कि न केवल उन के हितों की सुरक्षा ही की जायेगी अपितु उनका विकास किया जायेगा ।

†**श्री जयपाल सिंह :** आदिवासियों को भूमिया काश्त के बदले निश्चित फसलें बोने के लिये प्रोत्साहित करने के बारे में भारत सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुये, इस दण्डकारण्य क्षेत्र विशेष में आदि वासियों के लिये कितना क्षेत्र अलग कर दिया गया है तथा उसमें स्थायी रूप से कितने परिवार बसाये जा सकेंगे इसमें फरसगांव तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों में जो व्यक्ति विस्थापित होंगे वे भी शामिल हैं ? मैं उन लोगों के आंकड़े चाहता हूं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैंने इस बारे में मध्य प्रदेश के एक बहुत उच्च पदाधिकारी श्री नरोन्हा से बात-चीत कर ली है, जो आदिमजातियों के बड़े गहरे दोस्त भी हैं और उनसे परामर्श करके इस बारे में कुछ सुझाव तैयार किये जा रहे हैं कि आदिमजातियों के लिये कितनी भूमि आवंटित की जाये । इस समय हमारा विचार आदिमजातियों द्वारा जितनी भूमि कृषि योग्य बनाई गई है, उसका २५ शत भाग उन्हें आवंटित करने का है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कासलीवाल** : राजस्थान और सौराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में बसाये गये किसी शरणार्थी परिवार ने भी दण्डकारण्य में बसने के लिये आवेदन किया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : राजस्थान अथवा किसी अन्य राज्य से उन परिवारों को हटाने का कोई प्रश्न नहीं है जिनको पूरे पुनर्वास सम्बन्धी लाभ प्राप्त हो चुके हैं ।

†**श्री पाणिग्रही** : पहले सरकार ने दण्डकारण्य में मार्च, १९५९ तक ४००० शरणार्थी परिवार बसाने का निश्चय किया था किन्तु अब माननीय मंत्री का कथन है कि केवल ३०० परिवार हटाये गये हैं । क्या जुलाई १९५९ में शिविरों को बन्द कर देने के लिये जो तारीख निश्चित कर दी गई थी सरकार उस पर दृढ़ रहेगी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : प्रश्न का दूसरा भाग पूर्णरूपेण काल्पनिक है। पहले हिस्से के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि मुझे अनुभव ने यह सिखा दिया है कि मैं अत्यधिक सतर्क रहूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय लोगों को जाने के लिये बाध्य नहीं कर सकते । वह केवल उन्हें जाने के लिये समझा-बुझा सकते हैं । माननीय मंत्री के उत्तर का अभिप्राय यह है कि ज्योंही वे जाने को तैयार हो जायेंगे तत्काल ही उन्हें ले जाया जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या पश्चिमी बंगाल के शरणार्थियों पर दण्डकारण्य में बसाये जाने के लिये उन्हें मजबूर किया जा रहा है और इस प्रकार इन शरणार्थी परिवारों को अभी तक जो अकर्म-वेतन मिल रहा था वह बन्द कर दिया जाये ? यदि ऐसा है तो क्यों ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह सत्य नहीं है । अकर्म-वेतन केवल उन्हीं व्यक्तियों का बन्द कर दिया गया है जिनके बारे में राज्य सरकार से परामर्श करके जांच करने पर यह पता लगा था कि वे इसके पाने के उपयुक्त पात्र नहीं हैं । दण्डकारण्य जाने के लिये मना करने पर किसी भी व्यक्ति का अकर्म-वेतन अभी तक रोका नहीं गया है । मैं अभी-अभी बता चुका हूं कि अभी तक उनका वहां जाना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है । शिविरों से लगभग ५०० परिवारों के नाम मेरे पास मौजूद हैं जो दण्डकारण्य में बसने के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री बाजपेयी** : क्या दण्डकारण्य क्षेत्र को केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र बनाने का विचार है जिससे कि कुशल प्रशासन की स्थापना करने के लिये विभिन्न राज्य उनके मार्ग में बाधक न बन सकें ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : ऐसी कोई बात नहीं है । इसकी स्थापना सम्बन्धित राज्य सरकार के परामर्श और सहयोग से की गई है किन्तु प्रशासकीय दृष्टि से वह भारत सरकार के नियंत्रण में है ।

†**पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या इन लोगों को जो काम दिया गया है उससे विभिन्न कामों में इन लोगों को जो आय होगी उसका कोई अनुमान लगाया गया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : योजना अभी आरम्भ हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

भारी मशीन बनाने वाला कारखाना

+

†*१३६७. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हटिया में भारी मशीन बनाने वाले कारखाने में एकीकृत इस्पात संयंत्रों के लिये मशीनें बनाई जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उर्वरक संयंत्रों के लिये मशीनें बनाने की कोई प्राथमिकता दी जायेगी ; और

(ग) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिये कोई उपबन्ध करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता इतनी होगी कि उससे भारी उद्योग की अन्य शाखाओं के लिये भी कुछ प्रकार की मशीनें बन सकेंगी जिनमें उर्वरक के लिये मशीनें भी शामिल हैं । उर्वरक संयंत्रों के निर्माण के लिये आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये अलग से सरकार कार्यवाही कर रही है ।

(ग) इस पर यथासमय विचार किया जायेगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इन चीजों के निर्माण के लिये किसी विदेशी फर्म से संविदा किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि सभा को विदित है यह संयंत्र सोवियत रूस के सहयोग से बनाया जा रहा है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : चूंकि देश में अनेक उर्वरक कारखाने स्थापित किये जाने वाले हैं तथा इन उर्वरक कारखानों की अधिकांश मशीनों का निर्माण हमारे देश में ही हो रहा है, अतः क्या इस मशीन का आयात रोक दिया गया है, यदि ऐसा है तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रश्न रांची के हरिया नमाक स्थान में स्थापित किये जाने वाले भारी मशीनें बनाने वाले संयंत्र के बारे में है । यह सोवियत सहकार से बनेगा । फाउण्ड्री फोर्ज के लिये जेकोस्लोवाकिया का सहकार रहेगा । जैसा कि उत्तर में बताया जा चुका है हम इस्पात संयंत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं तथा उसके साथ ही उर्वरक मशीन संबंधी सहायक पुर्जे भी बनाने का विचार कर रहे हैं । जैसा कि माननीय सदस्य

---

†मूल अंग्रेजी में

को विदित है कि रूरकेला उर्वरक के लिये भी सिन्दरी उर्वरक कम्पनी संयंत्र और उपकरण के रूप में लगभग ८ करोड़ रुपय का माल बना रही है ।

प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना

†*१३६९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन एकको ने संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की स्थापना करन के लिये स्वेच्छा प्रकट की थी उनकी स्थापना की जा चुकी है ;

(ख) यदि नहीं, तो उन एककों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक संयुक्त परिषदों की स्थापना नहीं की है ; और

(ग) इस मामले में किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी नहीं ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ७९]**

(ग) समझा-बुझा कर राजी करना ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की स्थापना करने में इन एककों के मालिकों ने कोई कठिनाई जाहिर की है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** लगभग १९ एकक ऐसे हैं जिन्होंने इन परिषदों की स्थापना नहीं की है किन्तु भिन्न-भिन्न एककों की कठिनाइयां अलग-अलग हैं और उनमें से किसी के भी सामन कोई गंभीर प्रकार की कठिनाई नहीं है ।

†**श्री केशव :** क्या सरकारी क्षेत्र में इस दिशा में कोई प्रयत्न किया गया है, यदि हां, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री ला० ना० मिश्र : जी हां । यह सरकारी क्षेत्र में भी लागू कर दी गई है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने 'समझा-बुझा कर राजी करना' बताया है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में यही योजना क्यों नहीं जारी की जा रही है जबकि सरकारी क्षेत्र राज्य सरकारों के अधीन हैं ? इस संबंध में क्या कठिनाइयां हैं और वे क्यों कार्यान्वित नहीं की जातीं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नंदा) :** जी हां । हमने इस मामले में संबंधित मंत्रालय से बात की है और मुझे आशा है कि संयुक्त परिषद तथा मजदूर के भाग लेने की इस पद्धति के अधीन और अधिक एकक आ जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस बारे में विधान लागू करने का कोई विचार है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : जी नहीं।

मैसूर राज्य में कागज और अखबारी कागज का निर्माण

+

†*१३७०. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री केशव :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ११ नवम्बर, १६५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में सोवियत रूस के सहयोग से अखबारी कागज और कागज बनाने की योजना के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति की गई है ;

(ख) इसमें कितनी पूंजी का विनियोग होगा ; और

(ग) कारखाना कब से काम करने लगेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) पूंजी जारी करने के लिये आवश्यक सहमति और कागज बनाने के लिये संयंत्र और मशीनों का आयात करने के लिये लाइसस मंजूर कर दिया गया है । इस योजना में अखबारी कागज का निर्माण नहीं आता है ।

(ख) ४.२७ करोड़ रुपये।

(ग) १६६१ या १६६२ के आरम्भ में।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या अखबारी कागज के बनने लगने के बाद हम इसमें आत्म-निर्भर हो जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारा देश बहुत बड़ा है । संसार में हमारा कागज का उपयोग सब से कम है । हम आत्म-निर्भर हों अथवा न हों किन्तु हम अधिक से अधिक कागज बनाना चाहते हैं जिससे हम शिक्षा तथा अन्य कार्यों में उसका उपयोग कर सकें ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : कागज बनाने का यह कारखाना सब से पहले मैसूर राज्य के मांड्या में स्थापित करने का विचार था । अब इसकी स्थापना के० आर० एस० बांध के निकट बेल्लागोला में करने का विचार है जहां से कच्चा माल बहुत दूर पड़ेगा । अमरीकी, विशेषज्ञों ने इसे दूसरे स्थान पर लगाने की क्यों सोची ?

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों स्थान एक ही राज्य में हैं ।

†**श्री केशव** : वह मांड्या के रहने वाले हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है कि पहले यही समझा गया था कि मांड्या जगह अच्छी रहेगी किन्तु दोनों भारतीय टेक्नीशियनों तथा विदेशी सहयोगियों ने योजना की मित-

---

†मूल अंग्रेजी में

व्ययता की जांच करने के पश्चात् यही बताया कि मैसूर के निकट ही यह जगह होनी चाहिये, इसी कारण इसका स्थान बदल दिया गया है ।

†**श्री आचार** : इस कारखाने में कितना अखबारी अथवा दूसरी प्रकार का कागज बनेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस कारखाने में सामान्यतः लिखने का कागज लगभग १५,००० से लेकर १८,००० टन प्रति वर्ष अथवा ५० टन प्रति दिन के हिसाब से बन सकेगा ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : माननीय मंत्री ने कहा है कि अखबारी कागज की हमारी आवश्यकता दिन प्रति दिन बढ़ती जायेगी । क्या आसाम में कोई कारखाना स्थापित करने का विचार है जहां तमाम कच्चा माल उपलब्ध है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रश्न अखबारी कागज के बारे में न होकर कागज के संबंध में है । किन्तु यह सच है कि आसाम में भी कागज की दो मिलें चल रही हैं ।

सीमेंट

+

†*१३७१. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी** :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट निर्माताओं ने सीमेंट की थोड़ी सी मात्रा उठाने और शेष मात्रा का उनके गोदाम में स्टाक जमा करने के बारे में अपना संबंध व्यक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) सीमेंट की मांग में वृद्धि करने के लिये निम्न कार्यवाही की गई है :

(१) स्टाकिस्ट/उपभोक्ताओं के स्तर पर सीमेंट के वितरण पर से नियंत्रण हटाना ।

(२) सीमेंट की अनुपलब्धता और अपर्याप्तता के कारण उसके इस्तेमाल पर लगी पाबन्दी संबंधी सार पहले के निर्देशों को वापस लेना ।

(३) सीमेंट का निर्यात बढ़ाना ।

(४) समय समय पर अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के प्रश्न पर पुनर्विचार करना ।

सीमेंट की मांग बढ़ाने के बारे में अन्य उपाय अभी भारत सरकार के विचाराधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या यह सच है कि सीमेंट निर्माताओं ने सरकार से यह कहा है कि सड़कें बनाने के लिये वह निःशुल्क सीमेंट में अपना अंशदान दें और क्या यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हमें निःशुल्क के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। इस प्रकार के हम अनेक प्रस्ताव स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। वे इस बात पर आग्रह कर रहे हैं कि यदि सीमेंट का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जाता है, तो सीमेंट का अधिक उपयोग हो सकेगा। साधनों को देखते हुए हम इस समय इस कार्यक्रम को आरम्भ करें तो कर सकते हैं किन्तु एक बहुत सीमित स्तर पर कर सकेंगे।

†**श्री च० द० पांडे :** क्या सरकार को यह पता है कि सीमेंट के उपभोग की कमी का कारण उसका मूल्य अधिक होना और विशेषकर २४ रुपये प्रति टन उत्पादन शुल्क तथा ६० रुपये प्रति टन मूलभूत मूल्य तथा १२८ रुपये प्रति टन बिक्री मूल्य के बीच की खाई है ? क्या स्टाक जमा करने का यह एक प्रमुख कारण नहीं है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मूलतः यह कहना गलत होगा कि सीमेंट की मांग नहीं बढ़ी है, हां इतना अवश्य है किन्तु सीमेंट उद्योग का जितना विकास हुआ है उतनी मांग में वृद्धि नहीं हुई है। मूल्य का वास्तव में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तविक कारण यह है कि निर्माण संबंधी कार्य-कलाप तथा इस्पात की उपलब्धता दोनों ही कम हो गई हैं।

†**श्री जाधव :** क्या स्टाक जमा हो जाने के परिणामस्वरूप मूल्य में कुछ कमी हो जायेगी ?

†**श्री मनुभई शाह :** जी नहीं, जिस वस्तु पर कंट्रोल होता है उसका मूल्य प्रशुल्क आयोग द्वारा उचित और निश्चित लाभ लगा कर निर्धारित किया जाता है। इससे मूल्य में कमी होने की कोई संभावना नहीं है।

†**श्री जयपाल सिंह :** अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में हमारे यहां के मूल्य कैसे हैं ? क्या इस उद्योग का विकास करके निर्यात बढ़ाना संभव नहीं हो सकता ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं जो सुझाव दे चुका हूं उनमें से एक कार्यवाही यह भी है। हम इसी समय दो लाख टन निर्यात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का संबंध है, यह एक ऐसा पदार्थ है जिसके मूल्यों में बड़ा उतार-चढ़ाव होता रहता है और इसकी तुलना कर सकना कठिन है। हमारे निर्यात के मामले में एक कठिनाई यह है कि हमें माल के मांगने और किराये भाड़े में बहुत खर्च करना पड़ता है।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या नदीघाटी परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में सीमेंट की मांग कम हो गई है अथवा इसकी मांग केवल गैर-सरकारी क्षेत्र में ही गिर गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** दोनों ही क्षेत्रों में कमी हो गई है ?

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से जितना सीमेंट जमा हो गया था उसमें कुछ कमी हुई है, और यदि ऐसा है, तो कहां तक ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। किन्तु हम आशा करते हैं कि जिस गति से विकास कार्य हो रहा है उसे देखते हुये और तृतीय पंच-वर्षीय योजना काल में सीमेंट की मांग को ध्यान में रखते हुये सीमेंट की मांग बढ़ने की पूरी संभावना है।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन् प्रश्न संख्या १३७२ के साथ प्रश्न संख्या १३९४ भी ले लिया जाये क्योंकि वह उस कमेटी से संबंध रखता है जो नमक के उद्योग के संबंध में जांच करने के लिये बिठाई गई थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसका भी उत्तर दिया जा सकता है।

केन्द्रीय नमक बोर्ड

+

†*१३७२. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हेम राज :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक स्वायतशासी केन्द्रीय नमक बोर्ड स्थापित करने का विचार करती है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कौन-कौन लोग होंगे तथा उसके क्या कार्य होंगे ; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक हो जाने की संभावना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत सरकार द्वारा जनवरी, १९५८ में नमक उद्योग में विकास से संबंधित कुछ मामलों का पता लगाने के लिये नियुक्त की गई नमक समिति ने सरकार को हाल में प्रस्तुत किये अपने प्रतिवेदन में इस बात की सिफारिश की है कि नमक विभाग के विकास संबंधी कार्यों के लिये मंजूरी और योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये एक स्वायतशासी नमक बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिये। नमक उद्योग में लगे श्रमिकों के कल्याण की योजनायें भी इसी को सौंपी जानी चाहिये तथा नमक निर्माताओं को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देना भी इसी बोर्ड का काम होगा। नमक समिति ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्रीय बोर्ड में सभापति, नमक आयुक्त, केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों, नमक उद्योग के प्रतिनिधि जिनमें एक प्रतिनिधि छोटे पैमाने के क्षेत्र से शामिल है, नमक संबंधी श्रमिकों के प्रतिनिधियों, नमक सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों, उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों, कुछ विशेषज्ञों तथा कुछ अन्य लोग जिनका नमक उद्योग में हित है तथा जिनको समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नमक उद्योग में शामिल करना आवश्यक हो, मिलाकर कुल संख्या ११ सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

नमक समिति की सिफारिश विचाराधीन है और आशा की जाती है कि इस मामले में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही हो सकेगा।

नमक उद्योग

\+

*१३९४. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २० नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक उद्योग की कार्य-पद्धति का पता लगाने के लिये नियुक्त की गई नौ व्यक्तियों की समिति के प्रतिवेदन की जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). मामले पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है और ज्यों ही निर्णय कर लिया जायेगा, प्रतिवेदन की एक प्रति सरकार के निर्णयों सहित सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या विभिन्न जिलों में केन्द्रीय नमक बोर्ड नमक समितियों का सारा काम किया करेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह:** जी नहीं। प्रादेशिक बोर्ड को मंत्रणा संबंधी कार्य इसी प्रकार करने पड़ेंगे जैसे कि वह इस समय कर रहा है। इस नमक के मूलभूत उद्योग के विकास की नीति बढ़ाने के लिये ही केन्द्रीय बोर्ड पर विचार किया जा रहा है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समिति की रिपोर्ट गवर्नमेंट के हाथों में किस तारीख को पहुंची, और देर से देर कब तक फैसला हो जाने का अनुमान है ?

श्री मनुभाई शाह : इस रिपोर्ट को हमारे पास आये कोई चार महीने हुए, लेकिन चूंकि यह बहुत बड़ा सबजेक्ट है और इसका सारे स्टेट गवर्नमेंट्स से सम्बन्ध है इसलिए जब तक उनसे राय मशविरा न हो जाये निर्णय करना मुश्किल होगा। इसीलिए इसमें थोड़ी सी देरी हो गयी है।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये फोर्ड फाउन्डेशन का अनुदान

*१३७४. **श्री अजीत सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फोर्ड फाउण्डेशन ने छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये एक करोड़ रुपये का अनुदान किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) प्रत्येक राज्य को (राज्यवार) कितनी-कितनी राशि दी गई ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) फोर्ड फाउण्डेशन ने छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये जनवरी, १९५८ में २१.६३ लाख डालर का अनुदान दिया है।

(ख) इसका कोई राज्य-वार लेखा नहीं है क्योंकि इसका उपयोग छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये सम्पूर्ण देशव्यापी कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है।

†**श्री अजीत सिंह सरहदी** : किन उद्योगों को प्राथमिकता दी जायेगी, आदि बातों पर भी क्या मानदंड़ रखा जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह कार्यक्रम सतत चलने वाला कार्यक्रम है। फोर्ड फाउंडेशन वार्षिक अनुदान देता है। यह अनुदान जनवरी १९५८ में प्राप्त हुआ था जो विस्तार सेवा संस्थाओं की स्थापना करने के लिये दिया गया है और हम प्रत्येक राज्य में एक ऐसी बड़ी संस्था की स्थापना कर भी रहे हैं।

†**श्री वारियर** : क्या केरल के छोट पैमाने के सभी उद्योगों को इस अनुदान में शामिल कर लिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां। केरल सदैव शामिल किये जाने वाले राज्यों में से एक रहता है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : यह राशि किस प्रकार व्यय की गई है, इस बारे में मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करें। जब तक हमें यह पता न हो कि वे छोटे पैमाने के उद्योग कौन-कौन से हैं और कौन-कौन से राज्य शामिल किये गये हैं, तब तक प्रश्न पूछना सम्भव नहीं है।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये है। इसका सारा लेखा-लेखा की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रखा जाता है तथा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत जो ऋण दिये जाते हैं वे भी प्रतिवेदन में दिखाये जाते हैं।

†**श्री सिंहासन सिंह** : छोटे पैमाने के उद्योगों की परिभाषा क्या सरकार ने दी है ? क्या उसमें विद्युत से चलने वाले उद्योग भी आ जाते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : छोटे पैमाने के उद्योग की मूल परिभाषा थी "५० व्यक्ति काम करते हों तथा विद्युत के साथ ५ लाख रुपये की पूंजी लगी हो और यदि विद्युत् से काम नहीं होता है तो १०० व्यक्ति काम करते हैं; ५ लाख रुपये की पूंजी लगी हो" हाल ही में छोटे पैमाने के उद्योग ने भारत सरकार पर यह आग्रह किया और योजना आयोग ने छोटे पैमाने के उद्योगों की यह परिभाषा स्वीकार कर ली है जो इस प्रकार है : "प्रति शिफ्ट ५० व्यक्ति काम करते हों और जिसमें बिद्युत से काम लेने पर ५ लाख रुपये की पूंजी लगी हो तथा बिना विद्यत् के प्रति शिफ्ट १०० व्यक्ति काम करते हों और ५ लाख रुपय की पूंजी लगी हो।"

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या फोर्ड फाउण्डेशन से लघु उद्योग सेवा संस्था को भी अनदान मिल सकता है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** जी हां ।

भारत-नैपाल व्यापारिक करार

†*१३७५. **श्री भक्त दर्शन :** क्या प्रधान मंत्री १६ दिसम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-नैपाल व्यापारिक करार के संशोधित करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** इस मामले पर अभी नेपाल सरकार के साथ बातचीत चल रही है और मौजूदा क़रार में क्या परिवर्तन किये जायें, इसे अंतिम रूप से निश्चित नहीं किया गया है । इसलिये, ऐसी हालत में ब्यौरा देना उचित न होगा ।

†श्रीमन्, मैं यह भी बता दूं कि इस समय नेपाल में देशभर में निर्वाचन चल रहे हैं और इस से पहले महीनों से इस निर्वाचन की तैयारी चल रही थी इसलिये इस मसले को उनसे उठाना कठिन था ।

श्री भक्त दर्शन: श्रीमन् क्या यह सत्य नहीं है कि इस प्रश्न पर लग-भग पिछले दो वर्ष से विचार किया जा रहा है ? और माननीय प्रधान मंत्री जी ने बताया है कि चुनाव के कारण इस में देरी हो रही है, तो चुनाव तो अभी हाल ही में प्रारम्भ हुए हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि और कौन सी अड़चनें थीं, जिन की वजह से इस सम्बन्ध में इतनी देरी हुई ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : चुनाव तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन चुनाव का चर्चा और उसकी तैयारी बरसों से है और उस की वजह से वहां की जो सरकारें हुई, वे कुछ आरज़ी ढंग की हुई—वे बहुत पक्की नहीं थीं । इन्तज़ार था कि पक्की हो जाय, तो उन से फ़ैसला हो । कुछ फ़ैसले हुये हैं आरज़ी तौर पर, लेकिन आधे हुये हैं और यह उचित नहीं है कि यहां पर आधे बताये जायें, जब तक पूरा पक्का फ़ैसला न हो जाय ।

†**श्री आसर :** क्या सरकार को पता है कि हाल ही में कुछ नैपाली पत्रों ने कुछ ऐसे भारतीय व्यापारियों की आलोचना की थी जो मौजूदा करार की कमियों से नाजायज़ फायदा उठाते हैं, और यदि हां, तो सरकार ने इन व्यापारियों के खिलाफ़ क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** मैं नेपाली पत्र नहीं पढ़ता । [मुझे पता नहीं, हो सकता है उनमें से कुछ ने इनकी आलोचना की हो ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** नेपाल सरकार से यह करार कितनी अवधि के लिये किया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे पता नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह जानना चाहते हैं कि क्या यह क़रार थोड़ी ही अवधि के लिये किया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** आमतौर पर इनकी अवधि पांच वर्ष होती है या १० वर्ष । इसकी अवधि भी इतनी ही होगी, मुझे ठीक ठीक पता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टीन

†*१३७७. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टीन न मिलने के कारण बड़ी संख्या में टीन-निर्माता देश में बेकार हो गये हैं ;

(ख) क्या टीन-निर्माताओं ने सरकार से कोई अभ्यावेदन किया है; और

(ग) कितनी सहकारी समितियां इस कार्य में लगी हैं और कच्चा माल न मिलने के कारण उनमें से कितनीं बन्द हो गई हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). इस प्रकार के कारखानों के बन्द किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को तो कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन टीन की चादरों के आयात के लिये सीमित मात्रा में विदेशी मुद्रायें मिलने के कारण देश में इन की भारी कमी महसूस की जा रही है ।

टीन की चादरों के उत्पादन और संभरण में वृद्धि के लिये कार्यवाही की जा रही है। जहां तक सरकार को पता है, ऐसी एक भी सहकारी समिति नहीं है जो केवल टीन ही का सामान तैयार करती हो ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** देश में कुल कितनी टीन की चादरों की आवश्यकता पड़ती है और क्या ये सभी चादरें स्थानीय रूप से ही उपलब्ध हो जाती हैं या उन में से कुछ का आयात भी करना होता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** प्रत्येक वर्ष ८०,००० से १,००,००० टन तक टीन की चादरों की आवश्यकता होती है। देश में कुल ६४,००० टन का उत्पादन होता है और शेष का आयात करना पड़ता है ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या छोटे पैमाने के उद्योगों और छोटे शिल्पियों के उपयोग के लिये कुछ परिमाण नियत कर दिया गया है, और यदि हां, तो क्या उनकी सम्पूर्ण मांग पूरी कर दी जाती है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी हां। छोटे पैमाने वाले उद्योगों को उद्योग-निदेशक से अपना कोटा मिल जाता है। वह आवश्यकता-प्रमाण पत्र जारी करते हैं और उस पर कोटा मिल जाता है ।

†**श्री सिंहासन सिंह :** क्या बड़े कारखानों से छोटे पैमाने के उद्योगों को कुछ संरक्षण प्रदान किया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** श्रीमन्, माननीय सदस्य ने सामान्य नीति सम्बन्धी यह प्रश्न उठाया है। सभा को पता है कि हम बड़े उद्योगों की तुलना में छोटे पैमाने वाले उद्योगों को ज्यादा प्राथमिकता प्रदान करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सिंहासन सिंह :** क्या संरक्षण दिया जाता है। क्या यह उत्पादन-शुल्क न लेने की शक्ल में होता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इसके कई तरीके होते हैं और विभिन्न उद्योगों में यह भिन्न भिन्न रूप में दिया जाता है। लेकिन इस प्रश्न को लेकर सरकार की छोटे पैमाने वाले उद्योगों सम्बन्धी पूरी नीति पर चर्चा नहीं उठाई जा सकती। हम रियायती दरों पर ऋण देते हैं, उधार-खरीद प्रणाली से मशीनों की खरीद की व्यवस्था करते हैं, उदारता पूर्वक पेशगी धन देते हैं, कच्चे माल के विशेष कोटे देते हैं और विभिन्न संस्थाओं और विस्तार केन्द्रों से विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकीय सहायता दिलाते हैं।

श्री सिंहासन सिंह : एक्साइज ड्यूटी भी इन्क्लूड किया है या नहीं ?

श्री मनुभाई शाह : इन्क्लूड किया है।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

†*१३७८. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में बहुत से विस्थापित व्यक्तियों ने अपनी कोशिशों से जमीन प्राप्त कर ली है और टाइप-योजनाओं के अधीन ऋण के लिये आवेदन किये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उनके मामलों का फैसला दो वर्षों से विचाराधीन पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें ऋण मंजूर करने में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर):** (क) इस ऋण के लिये जिन १,२९७ परिवारों ने आवेदन किया है उनमें से केवल १०५ परिवार स्वयं अपने प्रयास से स्पष्ट रूप से अपने नाम में भूमि प्राप्त कर पाये हैं।

(ख) जी नहीं। हाल ही में वह यह सिद्ध कर पाये हैं कि जमीन उन्होंने खरीदी है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इन १०५ परिवारों के मामले आशा है इस वर्ष मार्च के अन्त तक निबट जायेंगे।

†**श्री बांगशी ठाकुर :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सरकार त्रिपुरा के सहायता तथा पुनर्वास विभाग को हाल ही समाप्त करने का विचार कर रही है लेकिन त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों को ऋणों के भुगतान में देर हो रही है, क्या सरकार त्रिपुरा के शरणार्थियों को ऋण देने वाली है, और यदि हां, तो कब ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** यदि मैंने उनकी बात ठीक से सुनी है तो शायद वह यह जानना चाहते थे कि क्या यह सच है कि हम त्रिपुरा में पुनर्वास विभाग बन्द करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका उत्तर सकारात्मक है और हमें आशा है कि नये वित्तीय वर्ष के अन्त तक हम यह कार्य पूरा कर लेंगे। जहां तक वहां के विस्थापित व्यक्तियों का प्रश्न है, उनके मामले की जांच की जा रही है और कुछ मामलों में तो पुनर्वास सहायता दी भी जा चुकी है। अन्य मामलों की जांच की जा रही है और मुझे आशा है कि उनका निबटारा भी हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी संघ

+

†*१३७९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री पाणिग्रही :
श्री जाधव :
श्री भक्त दर्शन :
श्रीमती इलापाल चौधरी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी संघ का कोई ज्ञापन मिला है जिसमें यह आग्रह किया गया है कि घरेलू कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों का विनियमन किया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकारें आम तौर पर घरेलू कर्मचारियों की काम की शर्तों और रोजगार का विनियमन करने के पक्ष में नहीं है क्योंकि उनका खयाल है कि यदि इस प्रकार का कोई कानून लागू किया गया तो संभव है कि उसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर इनकी छंटनी हो जाय और इन्हें रोजगार मिलने की संभावनायें कम हो जायेंगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या विश्व के किसी भी भाग की सरकार ने घरेलू कर्मचारियों की नौकरी का विनियमन किया है, और यदि हां, तो किस प्रकार ?

†**श्री आबिद अली** : यह जानकारी केवल कुछ ही देशों से एकत्र की गई है । बताया जाता है कि जर्मन फेडरल गणतंत्र में कोई विधान नहीं है । अमरीका के कुछ राज्यों में राजकीय न्यूनतम मजूरी विधियां हैं और कुछ राजकीय विधियों में इस आशय के उपबन्ध हैं कि १६ वर्ष से कम आयु के बच्चों को नौकर न रखा जाये आदि । ब्रिटेन में कोई विधान नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इन घरेलू कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और उन पर क्या विचार हुआ है ?

†**श्री आबिद अली** : संक्षेप में उनकी मांगें हैं :—दिन में काम के घंटे आठ हों, हफ्ते में छुट्टी मिले, सवेतन मुफ्त इलाज हो, रहने को नौकर का क्वार्टर मिले, नौकरी समाप्त करने के लिये १ महीने का नोटिस दिया जाये, साल में एक महीने की सवेतन छट्टी दी जाय, त्योहारों पर सवेतन छुट्टी मिले, बोनस दिया जाय, अधिक और कम उम्र वाले नौकरों को सख्त काम न दिया जाय, आदि ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि अभी इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने का समय नहीं आया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि घरेलू कर्मचारियों को अक्सर मौके पर छोटे से बहाने पर निकाल दिया जाता है, उनकी तनख्वाह खत्म हो जाती है और यहां तक कि दिल्ली में

†मूल अंग्रेजी में ।

मारने-पीटने और कत्ल करने तक के भी मामले हुये हैं, अतः क्या इसलिये इस बीच में ऐसी ज्यादतियों को रोकने के लिये कोई कदम उठाये जायेंगे ?

श्री आबिद अली : कानून की मारफत तो यह रोकना मुश्किल होगा। मगर कर्मचारियों का खुद का संगठन अब हो गया है। वह संगठन अच्छे तरीके से काम करे और जो लोग उनको रखते हैं, वे यह कार्यवाही न करें और खुद मुलाजिम भी बगैर नोटिस के न चले जाया करें।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय उपमंत्री जी ने १६ तारीख को जो वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने ये शब्द प्रयुक्त किये थे :—

> †"लेकिन हमें आशा है कि जनमत के प्रभाव और सामाजिक चेतना तथा जागृति के विकास से स्थिति में शनैः शनैः सुधार हो जायेगा।"

मैं जानना चाहता हूं कि पब्लिक ओपीनियन—अर्थात् जनमत—और सामाजिक अन्तरात्मा को चैतन्य करने का भी क्या कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री आबिद अली : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह भी उसी का एक हिस्सा है।

श्री ब्रज राज सिंह : क्या सरकार को पता है कि डोमेस्टिक सर्वेंट्स युनियन की तरफ से आज सारे दिल्ली शहर में हड़ताल है और ३०,००० से ऊपर डोमेस्टिक सर्वेंट्स इस हड़ताल में शामिल हैं ? क्या सरकार को यह भी पता है कि इस वजह से लोगों को चाय और खाने पीने को नहीं मिलता है और २१ दिन से पार्लियामेंट हाउस के बाहर उनके जनरल सेक्रेटरी ने भूख हड़ताल कर रखी है ? यदि ये सब बातें सही हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इस हड़ताल के बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री आबिद अली : जी हां, हड़ताल तो कुछ लोगों ने की है। जितनी संख्या माननीय सदस्य ने बताई है वह तो शायद सही नहीं होगी और इसमें काफी जबर्दस्ती भी हुई है यह भी बहुत से लोगों को मालूम है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : इन घरेलू कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के क्षत्राधिकार के भीतर लाने में कौन सी चीज़ सरकार को रोकती है जब कि खेतिहर मजदूर तक उसके अधीन ले आये गये हैं ?

श्री आबिद अली : १६ तारीख को जो बयान मैंने यहां पढ़ा था उसमें सभी चीजें तफसील से बता दी गई थीं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। खेतिहर मजदूरों तक को, जिनके सम्बन्ध में किसानों की क्षमता कहीं कम होती है, न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन ले आया गया है और उनको १ रुपया प्रति दिन की दर से मजूरी देना अनिवार्य है। इसलिये इन घरेलू कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन लाने में सरकार क्यों असमर्थ है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : जहां तक अन्तिम प्रश्न का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों को पता है कि खेतिहर मजूरों के सम्बन्ध में भी इसे लागू करना बड़ा ही कठिन रहा है और इसके सम्बन्ध में बराबर शिकायतें आती रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

जहां तक घरेलू कर्मचारियों का सम्बन्ध है हमें उनके साथ पूरी सहानुभूति है और मुझे विश्वास है कि ऐसे मामले कई हैं जिनमें सहायता देनी चाहिये, अर्थात् जिनकी स्थिति में सुधार होना ही चाहिय । चाहे यह कानून बना कर हो या सामाजिक कार्यवाही द्वारा हो, इस काम को होना ही चाहिये, और इसके लिये इस सभा में होने वाली चर्चायें वास्तव में बड़ी उपयोगी सिद्ध होती हैं ।

अब, उन विभिन्न राज्यों के मत का प्रश्न उठता है जिन्हें इसे लागू करना है । उन्होंने कह दिया है कि यह कार्य उनके बस का नहीं है, फिर भी संसद् के मत का बड़ा महत्व होता है । हम कुछ भी न्यूनतम मजूरी का यह प्रश्न सलाहकार समिति में चर्चा के लिये ला सकते हैं, या आगे चल कर जो भारतीय श्रम सम्मेलन होने वाला है उसमें न्यूनतम मजूरी का यह सवाल उठाया जा सकता है । हम वहां इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि क्या इसका कोई भी ऐसा पहलू है जिस पर विचार करना संभव है ।

श्री ब्रज राज सिंह : माननीय उपमंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ जबर्दस्ती की गई है । मैं जानना चाहता हूं कि जबर्दस्ती किसकी तरफ से की गई है, क्या की गई है, किस किस्म की की गई है ? दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कहा गया है कि वहां से जो उत्तर आये हैं उनमें कहा गया है कि वे इसे नहीं कर सकती हैं । मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली के सम्बन्ध में जहां पर यह समस्या मुख्य रूप से है, सैंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है ?

श्री आबिद अली : श्री नन्दा ने इसके बारे में सब कुछ बता दिया है ।

श्री ब्रजराज सिंह : जबर्दस्ती क्या हुई है, यह साफ नहीं होता है । कैसे मालूम हो कि जबर्दस्ती हुई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : एक न एक हड़ताल होती ही रहती है । आमतौर पर जो एक शुरू करता है वह दूसरी भी करेगा ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : बात साफ नहीं हुई । 'जदर्दस्ती' किसने कहा है ?

काजी मतीन : ज़बर्दस्ती यह हुई कि ज़बर्दस्ती डोमेस्टिक सर्वेंट्स को रोक लिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री नाथ पाई** : श्रम मंत्री ने आमतौर पर घरेलू कर्मचारियों से सहानुभूति प्रगट की है । लगातार होने वाले प्रदर्शनों, आज की हड़ताल और चलने वाले अनशन को और जो बातें कही गई हैं उनको ध्यान में रखते हुये, क्या सरकरि का संघ के प्रतिनिधियों को कोई आश्वासन देने का विचार है ताकि शहर के वातावरण में सुधार हो सके और उनकी सही शिकायतों की जांच हो सके ?

†**श्री नन्दा** : जो मैं कह चुका हूं उतना ही फिलहाल काफी है । मैं नहीं समझता कि इस मामले में संसद को पहले से विचार कर किसी प्रकार से भी वचनबद्ध कर देने का कुछ भी उपयोग होगा । आश्वासन यही है कि हम इस बात का पता लगाने के लिये इस मामले की छानबीन करेंगे कि इसमें क्या व्यवहार्य है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मण्डी की सेंधा नमक की खानें

+

†*१३८०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हेम राज :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री पद्म देव :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री अ० मु० तारिक :
श्रीमती इला पाल चौधरी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २९ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५३८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तरीकों से गुमा और दरंग खानों से सेंधा नमक की खुदाई में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि जिला मंडी की दरंग खान में सेंधा नमक की लगभग १,००० फुट की पर्त पाई गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो नमक निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है और उसमें से अब तक कितना नमक निकाला गया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गुमा और दरंग खानों से वैज्ञानिक तरीकों से नमक निकालने में प्रगति का विवरण

गुमा खान:—सतह से दो—एक ५६५ फुट लम्बी और दूसरी ३३६ फुट लम्बी—पक्की सुरंग निकाली जा रही है। एक अब तक ३३१ फुट और दूसरी ८२ फुट तक पहुंच गयी हैं। आशा है कि ये दोनों सुरंगें इस वर्ष में पूरी हो जायेंगी। इस खान से प्रतिवर्ष ५० से ७५ हजार मन तक का उत्पादन होने की संभावना है।

दरंग खान:—१३.६२ लाख रुपयों की प्राक्कलित लागत पर दो कूपकों[1] को नीचे ले जाने की योजना पर काम हो रहा है। यह कार्य १९५९-६० में पूरा हो जाने की आशा है। उस समय उत्पादन ४ लाख मन तक बढ़ जाने की संभावना है।

सामान्य :—दोनों खानों में बिजली लगा दी गयी है। बिजली से चलने वाली मशीनें, जैसे कम्प्रेसर, पम्प और वेन्टिलेटर लगा दिये गये हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस खबर में कितनी सत्यता है कि पूर्णरूपेण विकसित होने पर ये खानें यदि अधिक नहीं तो खेवड़ा की खान जितनी बड़ी आवश्यक हो जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Shafts.

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं गुमा खान का अनुमानित आकार या परिणाम बता चुका हूं। वहां प्रतिवर्ष ५०,००० से ७५,००० मन का उत्पादन होगा और दरंग खान से ४ लाख मन प्रति वर्ष होगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्यों कि बाजार में इस नमक और समुद्र के पानी से तैयार किये गये नमक में होड़ होने की संभावना है, इसलिये जहां तक इन खानों का संबंध है बाजार में इस प्रकार की होड़ रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** नमक की कई किस्में होती हैं और भारत के कुछ भागों में इस प्रकार का नमक पसन्द किया जाता है। इसलिये कोई संघर्ष मुश्किल ही है, लेकिन यदि संघर्ष हो भी तो हमें भिन्न किस्मों के विभिन्न उपयोग ढूंढने पड़ेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह : जहां तक मुझे मालूम है सनातनी लोग जो हैं सेंधा नमक का वे बहुत प्रयोग करते हैं और आजकल उसका भाव एक रुपया और डेढ़ रुपया सेर है। मैं जानना चाहता हूं कि यह नमक सस्ता हो और लोगों को खाने के लिए मिल सके और सनातनियों को मिल सके, इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : यह नमक साल्ट माइंस से बनेगा और इसकी शक्ल जो है बहुत रिफाइंड साल्ट जैसी होगी, इसलिए सनातनी लोगों का क्या विचार इसके बारे में होगा यह तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन खाने में अच्छा रहेगा।

श्री पद्म देव : समुद्री नमक और राक साल्ट की कीमत में क्या फर्क है और अगर राक साल्ट ज्यादा सस्ता पड़ता है तो क्या माननीय मंत्री इस बात का यत्न करेंगे कि मंडी या चम्बा में जो इस किस्म का नमक है, उसको ज्यादा निकालने की कोशिश की जाए ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और नमक भी अच्छा आए ?

श्री मनुभाई शाह : हमारी कोशिश यह है कि जिस जिस इलाके में राक साल्ट मिले और मैरिन साल्ट भी मिले, उसको निकाला जाए, उसकी तरक्की की जाए। और बहुत से हमारे देश में उपयोग हैं जिनके अन्दर अलग अलग साल्ट काम में आ सकता है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्यों कि खनन के लिये वैज्ञानिक तरीके अपनाये जाने वाले हैं, इसलिये क्या नमक के खानों में काम करने वाले श्रमिकों के विशिष्ट रोगों, उनके इलाज और खानों में कल्याणकारी कार्यों का कोई सर्वेक्षण किया जायगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मण्डी की खानों में हम खनन का आधुनिकतम तरीका अपनाने जा रहे हैं। मुख्य विचार यह है कि एक ही क्रिया में नमक को साफ कर लिया जाय ताकि मण्डी के नमक में जो २० प्रतिशत मिट्टी पायी गयी है वह निकल जाय और हमें कमोबेश स्फटिकोज्वल नमक मिल सके। इस प्रकार की मंत्रचालित खानों में काम करने वाले श्रमिकों को कोई रोग होने का प्रश्न ही नहीं होता और मेरे ख्याल से इस समय तो नमक की खानों के रोगों का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पद्म देव : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मंडी में इस वक्त कितना नमक निकाला जा रहा है और उस नमक से वहां के लोगों की मांग पूरी होती है या नहीं होती है और अगर नहीं होती तो बाहर भेजने का सवाल ही कहां आता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : मंडी के अलग-अलग इलाकों में जो उत्पादन पिछले साल हुआ वह लगभग १ लाख ३१ हजार मन था। लेकिन यह काफी नहीं होता है। हमारे पास और जगहों से भी फरियादें आती हैं और यह भी प्रार्थना आती है कि पहाड़ी इलाके में ज्यादा इस नमक को दिया जाए, हिमाचल प्रदेश में दिया जाय, पंजाब में दिया जाए तथा दूसरे इलाकों में दिया जाए, लेकिन जब नई माइंस काम में आ जायेंगी तब ख्याल यह है कि शायद सबको संतोष मिल जाए।

मशीनों के डिजायन तैयार करने वाली राष्ट्रीय संस्था

†*१३८१. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मशीनों के, जिनमें सोवियत संघ और चेकोस्लोविकिया के सहयोग से स्थापित होने वाले कारखाने भी शामिल हैं, डिजायन तैयार करने के लिये एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

योजना आयोग से पूरा-पूरा परामर्श कर सरकार भारत में मशीनों का निर्माण करने वाले उद्योगों के विकास के तरीकों और उपायों पर विचार कर रही है। इस कार्य-क्रम की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देश में डिजायन तैयार करने की सुविधायें विकसित की जायें। सोवियत संघ के सहयोग से रांची में भारी मशीनों के निर्माण का जो कारखाना स्थापित किया जा रहा है उसकी मूल योजना के अंग के रूप में सरकार एक डिजाइन और इंजीनियरिंग विभाग की स्थापना का अनुमोदन कर चुकी है। यह विभाग उस कारखाने की मशीन निर्माण की क्षमता के आवश्यक अंग के रूप में काम करेगा। अब सरकार इस यूनिट में डिजायन तैयार करने की सुविधायें इस ढंग से विकसित करणे का विचार कर रही है ताकि यह केन्द्रीयकृत तौर पर भारी मशीनों के संबंध में, चाहे इनका निर्माण रांची में होने वाला हो या किसी अन्य स्थान पर, काफी व्यापक क्षेत्र में डिजायन बना सके। विशिष्ट उद्योगों की वैशिष्टयपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ऐसे अभिकरणों की स्थापाना वांछनीय समझी गयी है और सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स में, जिसे राउरकेला में स्थापित होने वाले उर्वरक के कारखाने के संबध में आंशिक आर्डर प्राप्त हो गये हैं, उर्वरक संयंत्रों के डिजायन तैयार करने के संबंध में इस दिशा में कार्य का श्रीगणेश भी हो चुका है। फिर भी, इस मसले के प्रत्येक पहलू पर विचार करने और डिजायन तैयार करने के संबंध में सुविधोओं के विकास के लिये ब्योरेवार योजना बनाने में अभी कुछ समय लग जायेगा।

†**श्री शिवनंजप्पा :** चेकोस्लोवाकिया से किस प्रकार की सहायता मिल रही है, क्यों कि विवरण में केवल रूस से सहायता मिलने का उल्लेख किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री मनुभाई शाह** : रांची के कारखाने से संलग्न यह संस्था डिजायन तैयार करने वाली एक प्रमुख संस्था होगी। सभा को पता है कि तृतीय योजना में हमारा इरादा इस देश में मशीनों के निर्माण की दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ने का है। अब तक हम केवल उत्पादन इंजीनियर ही तैयार करते रहे हैं; और यह इस देश में इस ढंग का पहला प्रयास होगा जिसमें अनुभवी इंजीनियरों को मशीनों के मूल डिजायन तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जायगा। इस मामले में हमें सभी देशों से, जिनमें चेकोस्लोवाकिया भी शामिल है, सहायता और सहयोग मिलने की आशा है।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या चीनी के कारखानों के लिये भी किसी मशीनों का डिजायन तैयार करने वाली यूनिट की स्थापना करने का विचार है?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसमें सभी भारी मशीनें आती हैं। लेकिन विभिन्न प्रविधिक समितियों द्वारा इस प्रश्न पर भी विचार और निर्णय किया जायगा कि क्या यह सभी उद्योगों के लिये एक केन्द्रीय संस्था की तरह रांची में ही केन्द्रित रहे या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, भोपाल में इलैक्ट्रिकल्स या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस से संलग्न शाखा संस्थायें खोल दी जायं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नैरोबी में भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय

†*१३६८. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैरोबी के भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय में कुछ वित्तीय अनियमितताएं थीं;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी या की जाने वाली है?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र है। गम्भीर अनियमितताओं को लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कर लिया जाता है और ये साधारणतया सभा पटल पर रख दिये जाते हैं। १९५८ का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन संसद् के समक्ष रखा जा चुका है और उसमें वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विदेशों में स्थित किसी राजदूत-कार्यालय अथवा मिशनों के सबंध में किसी वित्तीय अनियमितता का जिक्र नहीं है।

नैरोबी के भारतीय आयुक्त के कार्यालय के हाल के स्थानीय लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन में स्थानीय लेखा-परीक्षक दल ने कुछ आपत्तियां उठायी थीं। इन के बारे में संबंधित मिशन के परामर्श से छानबीन की जा रही है। यदि लेखा परीक्षक किसी बात से संतुष्ट न हो सके तो वह यथासमय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सभा के सामने आयेगी ही।

---

†मूल अंग्रेजी में।

चीनी मिलों में शीरे की बर्बादी

†*१३७६. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी मिलों में तैयार होने वाला शीरा बड़ी मात्रा में बर्बाद होता है ; और

(ख) यदि उसका उपयोग करने के लिये कुछ कार्यवाही की गयी हो तो वह क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) चीनी मिलों में बनने वाले कुल शीरे का केवल १५ प्रतिशत अंश बर्बाद होता है।

(ख) अल्कोहल और उन उद्योगों की उत्पादन क्षमता के विकास के लिये कार्यवाही की गयी है जिनमें शीरा कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। फालतू शीरे के निर्यात के लिये भी सुविधायें दी जाती हैं।

अफ्रीका को जूट के सामान का निर्यात

†*१३८२. **श्री संगण्णा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान की होड़ के कारण पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका को जूट के सामान के निर्यात में बाधा पहुँची है ; और

(ख) यदि हां, तो इस होड़ का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दण्डकारण्य योजना के लिये ट्रैक्टर

†*१३८३. **श्री नथवानी :**
श्री मुरारका :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य योजना के विभिन्न ट्रैक्टर और भूमि साफ करने वाले उपकरण खरीदने के लिये कोई आर्डर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह आर्डर किस को दिया गया है और कितने मूल्य का है ;

(ग) यह यंत्र कब तक आ जाने की संभावना है ; और

(घ) क्या ये आर्डर टेंडरों की मार्फत दिये गये थे या किसी अन्य तरीके से ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां ।

(ख) डाइरैक्टर जनरल, आडनेन्स फैक्टरीज़। यह आर्डर ८८.४६ लाख रुपयों के हैं।

(ग) सितम्बर, १९५९ तक।

(घ) टेंडर मांगने के बाद।

बर्मा में भारतीय

*†१३८४. **श्री मुरारका** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा में रहने वाले भारतीयों को बड़ी संख्या में बिना मुकदमा चलाये देश निकाला दे दिया गया है, नजरबन्द कर लिया गया है और या कोको द्वीप समूह में भेज दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार देश निकाला पाने वाले, नजरबन्द किये गये अथवा कोको द्वीप समूह में भजे गये व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इस प्रकार की कार्यवाहियों की क्या वजह थी और भारत सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी या की जाने वाली है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) बर्मा में रहने वाले कुछ भारतीय राष्ट्रजनों को देश निकाला दे दिया गया है या जेलों में नजरबन्द कर दिया गया है।

(ख) जहां तक हमारे राजदूत को प्राप्त सूचनाओं से पता लग सका है, अब तक १७ भारतीय राष्ट्रजनों को देश निकाला दे दिया गया है, १४ देश से निकाले जाने वाले हैं और १३ नजरबन्द हैं। नज़रबन्द व्यक्तियों में से ३ कोको द्वीप समूह में हैं और शेष बर्मा के अन्य भागों की जेलों में अपनी नजरबन्दी काट रहे हैं।

(ग) इन भारतीय राष्ट्रजनों के खिलाफ अलग से कोई आरोप तो नहीं लगाये गये हैं, लेकिन जिन्हें देश निकाला दिया गया या दिया जाने वाला है या जो नजरबन्द हैं उन सभी को बर्मा विदेशी अधिनियम के अधीन अवांछनीय विदेशी व्यक्तियों की श्रेणी में रखा गया है। बताया जाता है कि ये गिरफ्तारियां और देश-निकाले की कार्यवाही विदेशी मुद्राओं संबंधी विनियमों के कथित उल्लघन या कथित नाजायज़ तरीके से माल छिपाने चोरबाजारी या अन्य समाज-विरोधी कार्यों के कारण की गयी हैं।

रंगून स्थित हमारे राजदूत के कार्यालय ने यह सुनिश्चित करने के लिये अभ्यावेदन किये हैं कि भारतीय राष्ट्रजनों को अनुचित ढंग से देश निकाला न दिया जाय या नजरबन्द न किया जाय।

पावर टूल्स एण्ड एप्लांएसिज़ कम्पनी, कलकत्ता

†*१३८५. **श्री जोकीम आल्वा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता की 'पावर टूल्स एण्ड एप्लायंसिज कम्पनी' को विदेशों से मशीनी औजार मंगवाने की अनुमति दे दी गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स' में इस प्रकार के उपकरणों का उत्पादन प्रारम्भ हो जाने के बावजूद भी इन मशीनी औजारों के आयात की अनुमति क्यों दी गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८०]**

केरल में मांड़ का कारखाना

†*१३८६. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेपिग्राको के आटे से मांड के उत्पादन के लिये केरल के मांड का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो वह सुझाव इस समय किस स्थिति में है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). लगभग दो वर्ष पूर्व भारत सरकार ने मैसर्स कार्न प्राडैक्शन रिफाइनिंग कम्पनी, न्यूयार्क, द्वारा भेजी गयी उस योजना को मंजूरी दे दी थी जिसमें मेसर्स पेरी एण्ड को० मद्रास के साथ मिलकर केरल में एक टेपिग्राको मांड फैक्टरी स्थापित करने की प्रार्थना की गयी थी। परन्तु फैक्टरी प्रारम्भ करने वालों ने स्वयं ही उस योजना को छोड़ दिया है।

फोटो के सामान का आयात

***१३८७. श्री दिनेश सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशों से प्रकाश ग्राही फोटो सामग्री[1] का आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो १६५८ में इस प्रकार की कितनी और किस किस देश से सामग्री आयात की गयी थी ; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम के पास इस सामग्री को स्टोर करने के लिये उचित सुविधायें हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य (जी० डी० आर०) से ७,५०,००० रुपयों की सामग्री का आयात किया गया था।

(ग) राज्य व्यापार निगम की व्यापारिक संस्थाओं के पास इस सम्बन्ध में सभी उपयुक्त सुविधायें हैं।

† मूल अंग्रेजी में

[1]Sensitised photo material.

कुछ कार्यों का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरण

†*१३८८. **श्री ईश्वर अय्यर :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री तंगामणि :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ एक सड़कों और इमारतों की देखभाल करने का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या क्या काम हैं और इसके कारण कितने श्रमिकों पर असर पड़ा है ;

(ग) जिन लोगों पर असर पड़ा है, उनकी सेवा की शर्तों की रक्षा करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) क्या बिजली संबंधी कुछ कार्यों को भी दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, हां ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि किस-किस प्रकार के कार्यों का हस्तान्तरण किया गया है और उससे कितने श्रमिकों पर असर पड़ा है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८१]**

(ग) श्रमिकों को अस्थायी रूप से उन्हीं शर्तों पर स्थानान्तरित किया गया है जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उन पर लागू थीं । निगम से यह कहा गया है कि वह उन लोगों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय करें । शर्तों का निर्णय हो जाने पर कर्मचारियों से कहा जायेगा कि वे निगम की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में अपना विकल्प प्रकट कर सकते हैं । जो लोग इन शर्तों से सहमत नहीं होंगे, उन्हें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वापिस भेज दिया जायेगा ।

(घ) जी हां ।

भारत में अमरीकी व्यापार मिशन

†*१३८९ **श्री मोहम्मद इलियास :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका के व्यापार सम्बन्ध विभाग (बिजनेस रिलेशंस डिवीजन) और विदेशी व्यापार विभाग ब्यूरो (ब्यूरो आफ फारेन कामर्स डिपार्टमेंट) से एक व्यापार मिशन, जिसके नेता श्री पालब्रेट हैं, पश्चिमी बंगाल के हावड़ा के लघु उद्योग केन्द्रों का दौरा कर रहा है ; और

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनके आने का क्या प्रयोजन है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). श्री पाल० एच० ब्रेन्ट के नेतृत्व में आने वाला यह व्यापार मिशन संयुक्त राज्य अमरीका सरकार द्वारा कलकत्ता में की जा रही अमरीकी लघु उद्योग प्रदर्शनी के सम्बन्ध में भेजा गया है । यह मिशन प्रदर्शनी का 'सूचना केन्द्र' बतायेगा और पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक तथा औद्योगिक केन्द्रों का मौके पर दौरा करके यह पता लगायेगा कि वहां व्यापार की संभावनाएं कैसी हैं । इसी काम के लिये मिशन ने २६ फरवरी, १९५९ को हावड़ा का दौरा किया था ।

'माउंट जन्नू' पर अभियान

†*१३९०. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माउंट जन्नू पर अभियान के लिये फ्रांसीसी विशेषज्ञों का एक दल भारत पहुंचा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उस दल को क्या-क्या सहायता दे रही है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**. (क) जी, हां ।

(ख) अभियान दल के सदस्यों तथा उनके सामान और उपकरणों के भारत से होकर जाने के सम्बन्ध में सामान्य सुविधायें दी गयी हैं । आकाशवाणी द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि १ अप्रैल से ५ जून, १९५९ तक अभियान के सम्बन्ध में प्रतिदिन समाचार प्रसारित किये जायेंगे ।

पंजाब में कागज की कमी

†*१३९१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में कागज की अत्यधिक कमी हो गयी है और उसके परिणामस्वरूप कागज के भाव बहुत चढ़ गये हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण आयात में कमी हो जाने के कारण पंजाब तथा दूसरे देश के कई अन्य भागों में कागज की कमी हो गयी थी और उसके परिणाम-

---

† मूल अंग्रेजी में

स्वरूप भाव चढ़ गये थे । पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान पंजाब के प्रशासकों द्वारा अनुभव की जा रही कि चाइयों की ओर आकृष्ट किया था । देश में कागज की कमी और भावों में वृद्धि को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कागज निर्माताओं को यह हिदायत दी है कि वे अपना कागज सभी को बराबर बराबर बांटें और अपने वितरकों तथा फुटकर दुकानदारों पर नियन्त्रण रखें । सस्ती पाठ्य पुस्तकों आदि को छपवाने के लिये नेपा का अखबारी कागज बिना किसी शुल्क (ड्यूटी) के दिया जा रहा है । एक छोटी सी समिति भी नियुक्त की गयी है जो कि दुकानदारों द्वारा लिये जाने वाले अत्यधिक मूल्यों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों के सम्बन्ध में विचार करती है । उचित मूल्य निर्धारित करने का काम प्रशुल्क आयोग को सौंप दिया गया है और आशा है कि उसकी रिपोर्ट मई, १९५९ में प्राप्त हो जायेगी ।

व्यापार चिह्न पंजीयन कार्यालय

†*१३९२. **श्री मोहम्मद इमाम :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार चिन्ह पंजीयन कार्यालय को बंगलौर से मद्रास ले जाने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी, हां ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८२]**

भूमि सुधार

†*१३९३. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रामी रेड्डी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री आसर :
श्री वोडयार :
श्री मं० वं० कृष्ण राव ।
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री परुलकर :

क्या **योजना** मंत्री १४ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार नीति को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कहां तक प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को भूमि सुधार सम्बन्धी विधान के बारे में कोई नयी हिदायत भेजी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या हिदायतें भेजी हैं ; और

(घ) उनके सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८३]

भूमि सुधार सम्बन्धी 'पेनल' का पुनर्गठन

†*१३९५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि सुधार सम्बन्धी 'पेनल' में संसद्-सदस्यों को भी सम्मिलित करने के लिये उसके पुनर्गठन का प्रश्न इस समय किस अवस्था में है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : पेनल का पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि उसमें १२ संसद्-सदस्यों, दो अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ के प्रतिनिधियों, तीन प्रमुख अर्थ शास्त्रियों और राज्यों से लगभग १० प्रमुख गैर-सरकारी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जा सके । इन १० गैर-सरकरी व्यक्तियों के नाम, जिन्हें भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यों में विशेष ज्ञान तथा रुचि हो, मुख्य मंत्रियों द्वारा भेजे जायेंगे । इस सम्बध में निमन्त्रण पत्र भेज दिये गये हैं।

प्रबन्ध अभिकरण पद्धति

†*१३९६. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री मुरारका :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की वर्तमान प्रबन्ध अभिकरण पद्धति को १९६० तक बदल देने का कोई विचार है ; और

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की वर्तमान प्रबन्ध अभिकरण पद्धति का परीक्षण करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है ।

उद्योगों में अनुशासन संहिता

†*१३९७. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में चलने वाले उद्योगों ने अनुशासन संहिता को स्वीकार कर लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन-किन संस्थापनाओं ने उसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया है कि अनुशासन संहिता को, कुछ एक स्पष्टीकरणों के अधीन, निगमों तथा कम्पनियों के रूप में चलने वाले सभी सरकारी कार्यक्रमों पर लागू किया जायेगा, परन्तु यह प्रतिरक्षा सम्बन्धी उपक्रमों, बैंकों और जीवन बीमा निगम पर लागू नहीं होगा। उनके लिये अलग की व्यवस्था की जायेगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी उपयुक्त कार्यवाही करेंगे ।

आकाशवाणी की गवेषणा प्रयोगशाला

†*१३९८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी की गवेषणा प्रयोगशाला द्वारा २ जनवरी, १९५९ को रूस द्वारा छोड़े गये चांद राकेट द्वारा दिये जाने वाले संकेतों से रेडियो सम्पर्क स्थापित करने और उन्हें ग्रहण करने के प्रयत्न किये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रिसीविंग सेट ठीक न होने के कारण इन प्रयत्नों में सहायता नहीं मिली ; और

(ग) आकाशवाणी के रिसीविंग सेटों को सुधारने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग). आकाशवाणी को चांद राकेट छोड़े जाने के समय के सम्बन्ध में कोई जानकारी न थी और इसलिये इस सम्बन्ध में कोई उपयुक्त प्रबन्ध नहीं किया गया था ।

सरकारी इमारतों के ठेकेदार तथा फर्नीचर संभरणकर्ता

†*१३९९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ और १९५८ में भारत सरकार के लिये किये जाने वाले कार्यों या संभरित की गयी वस्तुओं के लिये इमारतों के ठेकेदारों और फर्नीचर संभरणकर्ताओं को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल कितनी राशि अदा की गयी थी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** :

	१९५७ (रुपयों में)	१९५८ (रुपयों में)
इमारतों के ठेकेदार	९,१३,६६,२४८	९,२२,५२,३६२
फर्नीचर संभरणकर्ता	११,१७,८७४	२१,४२,८७५
कुल	९,२४,८४,१२२	९,४३,९५,२३७

†मूल अंग्रेजी में

भारत में रजाकारों का प्रवेश

†*१४००. श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री १६ दिसम्बर, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६ अक्तूबर, १६५८ को भारत में रजाकारों के प्रवेश के विरुद्ध भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को जो पत्र भेजा था, उसका उत्तर आ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर आया है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) अभी तक कोई अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री राधेश्याम काटन मिल्स लिमिटेड, हावड़ा

†*१४०१. श्री मोहम्मद इलियास :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री वारियर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री राधेश्याम काटन मिल्स लिमिटेड, हावड़ा, जो कि पश्चिमी बंगाल की एक प्रमुख काटन मिल है, १६५४ से बन्द पड़ी है और उसके परिणामस्वरूप २५०० मजदूर बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मिल के बन्द होने के क्या कारण थे ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) श्री राधेश्याम काटन मिल्स लिमिटेड, हावड़ा, नवम्बर, १६५३ में बन्द हो गयी थी और उससे लगभग २४०० मजदूरों पर बुरा असर पड़ा था ।

(ख) मिल बन्द हो जाने के कारण थे—वित्तीय कठिनाइयां, मशीनों का अत्यधिक पुराना हो जाना और प्रबन्धकर्ताओं की अकुशलता ।

संसद्-सदस्यों के लिये और अधिक फ्लैट तैयार करना

*१४०२. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री १६ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्मी ट्रासपोर्ट कम्पनी के लिये स्थान सम्बन्धी अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके लिये इस्पात बनाने और प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान द्वारा नार्थ एवेन्यू का स्थान खाली करने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) संसद सदस्यों के लिये और अधिक फ्लैट बनाने का काम कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संरक्षण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, नहीं ; उस स्थान के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार तथा प्रतिरक्षा अधिकारियों ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है ।

(ख) और (ग). आर्मी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के लिये इमारत बनाने के लिये योजना तथा प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं । स्थान की मंजूरी मिल जाने पर आर्मी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के लिये इमारत बनवा दी जायेगी और कम्पनी को नार्थ एवेन्यू से हटा दिया जायेगा । उस स्थान के खाली होने के बाद ही संसद सदस्यों के लिये और अधिक फ्लैट बनाये जा सकेंगे ।

पंजाब में सुधार शुल्क

†*१४०३. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री खुशवक्त राय :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार के पास यह निदेश भेजा गया है कि वह पंजाब किसानों से सुधार शुल्क के रूप में भाखड़ा बांध की सम्पूर्ण लागत पूरी कर ले ;

(ख) वह राशि कितनी अवधि में पूरी की जायेगी ;

(ग) योजना आयोग ने पंजाब सरकार को किसानों से कितना शुल्क लेने का सुझाव दिया है ;

(घ) क्या पंजाब सरकार ने उक्त सुझाव को स्वीकार कर लिया है या कि उसने कोई और सुझाव दिया है ; और

(ङ) यदि पंजाब सरकार से कोई और सुझाव आया है तो वह सुझाव क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं०मिश्र)** : (क) से (ङ). इसका उत्तर सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा किसी और तिथि को दिया जायेगा ।

दिल्ली में आकाशवाणी का ऑडिटोरियम

†*१४०४. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री वारियर :
श्री तंगामणि :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी आगामी वित्तीय वर्ष में दिल्ली में एक 'ऑडिटोरियम' का निर्माण प्रारम्भ कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आयेगी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) 'ऑडिटोरियम' में कितने व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री(डा० केसकर)** : (क) जी, हां। यह दिल्ली स्टेशन के स्टूडियो प्लान का मुख्य यूनिट है ।

(ख) १४·७० लाख रुपये ।

(ग) लगभग ८०० व्यक्ति ।

रेफ्रिजरेटर

†२१३६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष कुल कितने रिफ्रिजरेटरों की आवश्यकता होती है ;

(ख) १९५८ में कुल कितने रिफ्रिजरेटर देश में तैयार किये गये ;

(ग) कितने रिफ्रिजरेटर विदेशों से आयात किये गये ; और

(घ) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री(श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) इस सम्बन्ध में अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है कि देश में रिफ्रिजरेटरों की कुल कितनी मांग है । फिर भी मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रति वर्ष लगभग १०,००० रिफ्रिजरेटरों की मांग है ।

(ख) १,९०१ रेफ्रिजरेटर ।

(ग) और (घ). जुलाई, १९५७ से रेफ्रिजरेटरों के आयात पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगा हुआ है । हां, पहले की अवधि में जारी किये गये लाइसेन्सों के अधीन जनवरी—नवम्बर १९५८ में जो रिफ्रिजरेटर मंगवाये गये थे और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी थी, इनका ब्यौरा यह है :—

	संख्या	मूल्य
(१) एलेक्ट्रिक हाउस-होल्ड रेफ्रिजरेटर आदि	७७३	६,७३,००० रुपये
(२) अन्य डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर	२३२	१,८४,००० रुपये

भारतीय फिल्मों का निर्यात

†२१३७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर १९५८ से आज तक भारतीय फिल्मों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : अक्तूबर और नवम्बर, १९५८ में १६·३ लाख रुपये । नवम्बर, १९५८ के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिल्मों का निर्माण

†२१३८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में अभी तक कितनी फीचर फिल्में तैयार की गई हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** भारत में फिल्मों के निर्माण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इसलिये यह ठीक-ठीक बताना बड़ा कठिन है कि किसी विशेष वर्ष में कितनी फिल्में तैयार की गई थीं ; फिर भी १ अप्रैल, १९५८ से २८ फरवरी, १९५९ तक की अवधि में सिनमेटोग्राफ एक्ट, १९५२ के अधीन सेन्ट्रल फिल्म सेन्सर बोर्ड को भारत में निर्मित २८२ फीचर फिल्मों को सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिये प्रमाण पत्रों के लिये निवेदन किया गया था ।

काजू का निर्यात

†२१३९. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में प्रत्येक देश को कितना और कितनी कीमत के काजू का निर्यात किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८४]**

घड़ियों के लिये आयात लाइसेन्स

†२१४०. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में घड़ियों और उनके पुर्जों के आयात के लिये कितनी पार्टियों को आयात लाइसेंस दिये गये ; और

(ख) उन में कितनी नई पार्टियां हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) घड़ियों और उनके पुर्जों को भारतीय व्यापार नियन्त्रण अनुसूची की क्रम संख्या ३०८ (घ)/ ४ के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है । १ जुलाई, १९५७ से घड़ियों का कोटा शून्य है, परन्तु पुर्जों के आयात की अनुमति है । इसके अधीन जिन पार्टियों को लाइसेंस दिये गये हैं, उनकी संख्या यह है :—

अप्रैल से सितम्बर १९५८ तक . .	८५२
अक्तूबर, १९५८ से १०–१–५९ .	५५६

(ख) कोई भी नहीं ।

सीमेन्ट का उत्पादन

†२१४१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५८ और १९५९ में अभी तक सीमेंट का उत्पादन बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें कितनी वृद्धि हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). जी, हां। सीमेन्ट के उत्पादन के सम्बन्ध में जानकारी निम्नलिखित है :—

वर्ष	संस्थापित उत्पादन क्षमता	उत्पादन
	लाख टन	लाख टन
१९५७	६६	५६
१९५८	७०·५	६०·६
१९५९ (दो मास)	७४·९	१० (जनवरी और फरवरी मास)

दण्डकारण्य योजना के अधीन सिंचाई परियोजनायें

†२१४२. **श्री प्र० के० देव** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य योजना के अन्तर्गत 'उमरकोट' और 'मलकानगिरि' क्षेत्रों में छोटी, मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजाओं के लिये कोई जांच-पड़ताल की गई है; और

(ख) यदि हां, तो वे परियोजनायें कौन-कौन सी हैं और उन पर लगभग कितनी लागत आयेगी ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) इन दोनों क्षेत्रों में 'लघु' तथा 'मध्यम' सिंचाई-कार्यों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल की जा रही है। इन दोनों क्षेत्रों में कोई भी बड़ी योजना प्रारम्भ करना सुकर नहीं है।

(ख) निम्नलिखित योजनाओं के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल की जा रही है :—

१. उमरकोट ज़ोन

(१) कड़का गांव से दो मील की दूरी पर भास्कल नाले पर एक बांध तथा एक जलाशय का निर्माण। इससे लगभग २०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी।

(२) फुपुगांव नामक गांव के निकट अमराली नाले पर बांध और एक जलाशय का निर्माण करना।

२. मलकानगिरि ज़ोन :

(१) मलकानगिरि से लगभग २½ मील की दूरी पर सेही गुडा नाले पर एक बांध और जलाशय का निर्माण करना। इससे लगभग ३०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी।

†मूल अंग्रेजी में

(२) तरलाकोटे नामक गांव के निकट पोटेरू नदी पर एक बांध और जलाशय का निर्माण करना। यह कार्य सेलीगुडा पर बांध बन जाने के उपरान्त प्रारम्भ किया जायेगा। क्योंकि सेलीगीडा के सम्बन्ध में अभी तक सर्वेक्षण तथा अनुसंधान कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिये उक्त योजना के सम्बन्ध में अभी तक प्राक्कलन नहीं तैयार किया गया है। इसलिये उन पर आने वाली प्राक्कलित लागत इसी समय नहीं बतायी जा सकती।

उड़ीसा में काम दिलाऊ दफ्तर

†२१४३. **श्री प्र० के० देव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में अभी तक कुल कितने कुशल और अकुशल व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराये हैं; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को अभी तक काम काज दिला दिया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) ३१ जनवरी, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में—गत १२ महीनों में—५४,३७७ व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराये थे।

(ख) उक्त अवधि में ७,१६२ व्यक्तियों को काम काज दिया गया था।

आन्ध्र प्रदेश में रेशम कीट पालन उद्योग का विकास

†२१४४. **श्री मं० वें० कृष्णराव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष १९५९–६० में रेशम कीट पालन उद्योग के विकास के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ;

(ग) उसके लिये कितनी राशि मांगी है; और

(घ) वर्ष १९५९–६० में उस पर कितना धन व्यय करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८५]**

(ग) ३·९९ लाख रुपये (२·९५ लाख रुपये अनुदान और १·०४ लाख रुपये ऋण के रूप में)।

(घ) २·८ लाख रुपये।

	केन्द्रीय अंश	राज्यों का अंश
अनुदान	१·१३ लाख रुपये	१·१३ लाख रुपये
ऋण	·५४ लाख रुपये	
योग	२·८ लाख रुपये।	

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग

†२१४५. **श्री मं० वें० कृष्णराव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में वर्ष १९५९–६० के दौरान में छोटे पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग धंधों के विकास के लिये कोई योजनायें स्वीकृत की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर कितनी राशि व्यय की जायेगी ;

(ग) वे योजनाएं क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) अंतिम प्रक्रिया के अनुसार इन योजनाओं को जारी रखने के लिये केन्द्रीय सरकार की किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है । केवल नई योजनाएं चालू करने के सम्बन्ध में ही भारत सरकार की प्रविधिक स्वीकृति की आवश्यकता है आगामी कार्य के लिये अभी तक किसी नई योजना के लिये स्वीकृति नहीं दी गई है ।

(ख) वर्ष १९५९–६० के लिये आंध्र प्रदेश के हेतु वार्षिक योजना पर विचार करते समय विभिन्न कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योग धंधों के बारे में निम्नलिखित व्यय स्वीकृत किये गये हैं :—

लाखों रुपये में

क्रम संख्या	उद्योग	केन्द्रीय सहायता		
		ऋण	अनुदान	योग
१	हथकरघा	१९·००	४९·००	६८·००
२	छोटे पैमाने के उद्योग	२७·००	९·००	३६·००
३	औद्योगिक क्षेत्र	१८·५०	..	१८·५०
४	दस्तकारी	०·४५	२·७७	३·२२
५	रेशम कीट पालन	०·५४	१·१३	१·६७
६	नारियल का रेशा	०·४६	०·४०	०·८६
	योग	६५·९५	६२·३०	१२८·२५

खादी और ग्राम उद्योग के लिये राशि—खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा उस धन राशि में से नियत की जायेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस वर्ष के व्यय के लिये उसे दी जाती है। वर्ष १९५९–६० के लिये खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने आन्ध्र प्रदेश को प्रयोग के लिये ६१·१९ लाख रुपये ऋण और ३३.७२ लाख रुपये अनुदान के रूप में दिये हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वर्ष १९५९–६० में राज्य विकास कार्यक्रम के अधीन जिन योजनाओं को सम्मिलित करने का विचार है और जिनके लिये केन्द्रीय सरकार की सहायता मांगी गई है संलग्न विवरण में दी गई हैं। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ८६]

नांगल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†२१४६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नांगल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, न्यू नांगल, के कितने कर्मचारी १ जनवरी, १९५९ तक स्थायी बनाये गये हैं ;

(ख) उन में से कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं; और

(ग) वर्ष १९५९–६० में कितने कर्मचारियों को स्थायी बनाने की आशा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) ३६ ।

(ख) एक भी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न समवाय प्रबन्धकों के विचाराधीन है ।

आंध्र प्रदेश के लिये अतिरिक्त चर्खे

†२१४७. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में वर्ष १९५९–६० में अतिरिक्त चर्खे (अम्बर) को जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रयोजनार्थ १५·८३ लाख रुपये अनुदान और ४६·३५ लाख रूपये ऋण के रूप में अस्थायी तौर पर स्वीकृत किये गये हैं ।

रेडियो कार्यक्रम पत्रिकाओं की बिक्री

†२१४८. **श्री रा० च० भाक्षी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी रेडियो कार्यक्रम पत्रिकाओं की बिक्री में वृद्धि के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) वर्ष १९५६, और १९५७ की अपेक्षा १९५८ में कितनी अतिरिक्त आय हुई ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर** : (क) पत्रिकाओं की बिक्री बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(१) आकाशवाणी के सभी प्रमुख स्टेशनों पर शो केसों में रेडियो पत्रिकाओं का रखना;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) समाचार पत्रों में विज्ञापन देना और आकाशवाणी पर कार्यक्रमों के अधीन उनके बारे में घोषणा करना;

(३) प्रदर्शिनियों में आकाशवाणी के स्टालों पर उनका प्रदर्शन करना;

(४) इन पत्रिकाओं को अधिक आकर्षक और लोकप्रिय बनाने के लिये उनके प्रकाशन में सुधार करना;

(५) रेडियो सप्ताह और संगीत सम्मेलनों के अवसर पर उन पत्रिकाओं के विशेष संस्करण निकालना;

(६) इन पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिये बढ़िया कागज का उपयोग करना;

(७) पाठ्य सामग्री में वृद्धि करना;

(८) एजेन्सी देने की शर्तों को उदार बनाना;

(९) 'आवाज' और 'सारंग' के मूल्यों में कमी करना ।

(ख) कुल प्राप्त आय निम्न प्रकार है :

१९५५–५६ . . .	६,५७,४९७
१९५६–५७ . .	९,०६,६०६
१९५७–५८ . .	१०,९८,१६६

वर्ष १९५९-६० के लिये राज्यों की वार्षिक योजनायें

†२१४९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री नागी रेड्डी :
श्री रामम् :
श्री साधन गुप्त :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री रामी रेड्डी :
श्री पाणिग्रही :
श्री सिद्धनंजप्पा :
श्री दलजीत सिंह :

क्या योजना मंत्री ११ दिसम्बर, १९५८ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या १३२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५९–६० के लिये राज्यों का वार्षिक योजनायें तैयार हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) तथा (ख). वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकृत योजनाओं में किये जाने वाली व्यय-राशि, विकास शीर्षक के अधीन-विवरण में दी हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय वस्तुओं का साइप्रस को निर्यात

†२१५०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वस्तुओं के साइप्रस को निर्यात का विस्तार किये जाने की काफी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो साइप्रस में किस प्रकार की वस्तुओं की खपत हो सकती है, और

(ग) निर्यात का विस्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) तथा (ख). दस्तकारी की चीजें, कपड़ा, रेयन, जूट का सामान, प्लास्टिक का सामान, डिब्बों में बन्द खाने का सामान, छोटी छोटी मशीनें और बिजली के सामान का निर्यात करनें में विस्तार करने की कुछ संभावना है।

(ग) सभी देशों के साथ निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिये जो कार्यवाही की गई है उसके अतिरिक्त साइप्रस के मामले में कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है। यह तो निर्यातकों पर ही निर्भर करता है कि इन चीजों के व्यापार को बढ़ाने में प्रारम्भ करें और विकास करें।

केरल राज्य व्यापार निगम

†२१५१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित केरल राज्य व्यापार निगम की जटिलताओं पर विचार किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ है।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :(क) जी हां।

(ख) तथा (ग). विस्तृत बातों के बारे में केरल सरकार से बातचीत चल रही है।

चीन और जापान में छोटे पैमाने के उद्योगों का अध्ययन

†२१५२. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५८ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १०२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन और जापान में छोटे पैमाने के उद्योगों के संगठन और उनकी वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने के लिये वहां उसके बाद से कोई सरकारी प्रतिनिधि मंडल गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनके प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) तथा (ख). जापान को भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का प्रश्न विचाराधीन है। छोटे पैमाने के उद्योगों का अध्ययन करने के लिये अलग से प्रतिनिधिमंडल चीन को भेजने का तो कोई विचार नहीं है किन्तु इस्पात और अन्य उद्योगों का अध्ययन करने के लिये जो प्रतिनिधिमंडल चीन जायेगा वही छोटे पैमाने के उद्योगों का भी अध्ययन करेगा।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय की कर्मचारी परिषद्

२१५३. **पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय की कर्मचारी परिषद का विधान अभी एक मास पूर्व बनाया गया था जब कि गृह-कार्य मंत्रालय के आदेशानुसार यह बहुत पहले बन जाना चाहिये था; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). अधीनस्थ दफ्तरों में कर्मचारी परिषद् बनाने का फैसला होम मिनिस्ट्री ने सितम्बर, १९५७ में दिया। इस दफ्तर की कर्मचारी परिषद् जनवरी १९५९ में स्थापित की गई।

यह दफ्तर बहुत बड़ा है और इसके १८०० कर्मचारी सारे भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर काम करते हैं। कर्मचारी परिषद् बनाने के लिये कुछ समय लगना जरूरी था क्योंकि विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों ने अपने २ प्रतिनिधि विधान के अनुसार चुनने थे।

दिल्ली में कृषि उत्पादन

२१५४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० में दिल्ली में "कृषि उत्पादन" की मद के अन्तर्गत कितनी राशि नियत की गई थी ;

(ख) इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन ने कितनी राशि का सुझाव दिया था ;

(ग) इस संबंध में प्रशासनिक परामर्शदाता की सिफारिशें क्या हैं ;

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्ताविक राशि में कुछ कटौती की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं०मिश्र) : (क) से (ङ) : दिल्ली प्रदेश की १९५९–६० की योजना में कृषि उत्पादन के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्तावित १६.५९ लाख रुपये के स्थान पर १२.६३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इस राशि का निश्चय करने में उन सब विभिन्न मदों एवं कार्यों पर होने वाले व्यय का भली भांति ध्यान रखा गया है जिनको योजना में शामिल करना आवश्यक था लेकिन जिन के लिये आम बजट में व्यवस्था नहीं थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात जोखिम बीमा निगम

२१५५. **श्री नवल प्रभाकर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात जोखिम बीमा की स्थापना से अब तक कितने निर्यातकों ने अपने माल का बीमा कराया ;

(ख) कितने रुपये के माल का बीमा कराया गया ;

(ग) क्या ऐसे बीमे पर किसी निर्यातक को रुपया देना पड़ा ; और

(घ) बीमे के भुगतान में साधारणत: कितना समय लग जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) ३१ जनवरी १९५९ तक १९४ ने ।

(ख) २.५२ करोड़ रुपये का ।

(ग) जी, हां । दो निर्यातकों को ३०,३६३.१२ रु० देने पड़े ।

(घ) वैध दावा प्राप्त होने पर भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाता है ।

श्रीनगर (गढ़वाल) में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

२१५६. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर (गढ़वाल) में आकाशवाणी का एक पारेषक स्थापित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, नहीं । लखनऊ में जो १० किलो-वाट शक्ति का शार्ट वेव ट्रांसमीटर लगा हुआ है इस से इस इलाके की जरूरत पूरी की जाती है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

वस्तु क्रय योजना में छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा भाग लिया जाना

†२१५७. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई नई नीति निर्धारित की है जिस से कि छोटे पैमाने के उद्योग केन्द्रीय सरकार की वस्तु क्रय योजना में पूर्णत: भाग ले सकें ;

(ख) क्या कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय छोटे पैमाने के उद्योग सेवा संस्था ने उड़ीसा की छोटे औद्योगिक इकाइयों की कोई सूची तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा की वे छोटे औद्योगिक इकाइयां क्या हैं ; और सामान्यत: वे क्या भांडार उत्पादन करते हैं और उनकी उत्पादन क्षमता क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ८८**]

विकिरण के खतरे

†२१५८. **श्री वी० चं० शर्मा:** क्या **प्रधान मंत्री** २५ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २४२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में समुद्र तटीय क्षेत्रों में विकिरण से होने वाली हानि के सम्बन्ध में किया जाने वाला विस्तृत अध्ययन पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) अभी नहीं। जैसा कि पहले भी बताया गया था, इसके अध्ययन के लिये जटिल वैज्ञानिक अन्वेषण करना होगा उसके लिये क्रम बद्ध एवं लम्बे अनुसंधान की आवश्यकता होगी। अत: अनुसन्धान पूरा होने और उसके परिणामों का अनुमान लगाने में अभी काफ़ी समय लगेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई राज्य में कपड़ा मिलों का बन्द होना

†२१५९. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई राज्य में किसी कपड़ा मिल ने मिल बंद करने की धमकी दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस मिल का नाम क्या है ; और

(ग) इसकी बंदी से कितने श्रमिकों पर प्रभाव पड़ेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :(क) बम्बई राज्य में सात सूती कपड़ा मिलों ने मिल बंद करने की सूचना दी है ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८९**]

पुनर्वास विभागों का बन्द किया जाना

†२१६०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के कितने राज्यों ने पुनर्वास विभागों को बंद कर दिया है अथवा निकट भविष्य में बंद करने की इच्छा प्रकट की है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : मैसूर, मद्रास, केरल मनिपुर और आंध्र के पुनर्वास विभाग बंद कर दिये हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल और संभवत: आसाम और त्रिपुरा को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों ने पुनर्वास विभाग या बंद कर दिये हैं अथवा वित्तीय वर्ष १९५९-६० के अंत तक उनकी स्थिति में काफी कमी कर दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुड़ उद्योग

†२१६१. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ में भारत में कितने व्यक्ति गुड़ (शीरा) के व्यापार में लगे रहे ; और

(ख) वर्ष १९५८ में इसके व्यापार से कितने विदेशी विनिमय की आय हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) खादी और ग्राम उद्योग आयोग से प्राप्त विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या ९०]**

(ख) वर्ष १९५८ में जनवरी से नवम्बर के दौरान में १३७.८९ लाख रुपये के गुड़ का निर्यात किया गया।

ऊनी सामान

†२१६२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ में विदेशों में भारतीय ऊनी वस्त्रों के सामान को खपाने के लिये क्षेत्र ढूंढ़ने के सम्बन्ध में ऊनी वस्त्रों की विकास परिषद ने क्या कार्यवाही की ; और

(ख) इसका अब तक क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) विकास परिषद की सिफारिशों के आधार पर ऊनी वस्त्रों के निर्यात के विरुद्ध कच्चे सामान का आयात करने की सुविधा देने के लिये १ अप्रैल १९५८ से निर्यात वृद्धि योजना चालू कर दी गई है।

(ख) उसके बाद से ऊनी वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हुई है। अप्रैल से नवम्बर १९५८ के दौरान में ३५६.०४ लाख रुपये के ऊनी वस्त्रों का निर्यात किया गया है जब कि इसी अवधि में वर्ष १९५७ में केवल ३१३.०८ लाख रुपये का व्यापार किया गया था।

हथकरघा द्वारा उत्पादित कपड़े पर छूट (रिबेट) के लिये मद्रास को सहायता

†२१६३. **श्री इलयापेरुमल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में हथ करघा उत्पादित कपड़े पर छट (रिबेट) देने के लिये कितनी राशि केन्द्र द्वारा मद्रास सरकार को दी गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** (श्री **लाल बहादुर शास्त्री**) : वर्ष १९५८-५९ में हथ करघा द्वारा उत्पादित कपड़े पर छट (रिबेट) देने के लिये केन्द्र द्वारा मद्रास सरकार को ४५ लाख रुपये व्ययकर ने की स्वीकृति दी गई थी। इसके अतिरिक्त ३१ मार्च १९५८ तक हथकरघा द्वारा उत्पादित कपड़े की बिक्री पर दी गई छट के भुगतानी दादों के व्यय की पूर्ति करने के हेतु राज्य सरकार को ४० लाख रुपय की राशि और स्वीकृत की गई थी। वर्ष १९५९-६० के लिये छूट देने के मद में अस्थायी तौर पर ४५ लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

चंडीपुर कालोनी में "अपना घर बनाओ योजना"

†२१६४ **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अपना घर बनाओ योजना" के अधीन केवल २५० रुपये तक दिये जाने वाले ऋण चंडीपुर वस्ती, बदुरिया और २४ परगने को दिये गये हैं ;

(ख) क्या इस योजना को सफल बनाने के लिये ऋण लेने वालों से ईट पकाने और श्रम लेने का भी विचार है;

(ग) कितने विस्थापित श्रमिक के रूप में जीविकोपार्जन के लिये इस पर निर्भर करते है; और

(घ) क्या निर्माण कार्य में सरकार उनको मजदूरी देने का विचार रखती है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कोई भी विस्थापित परिवार पूर्णतः मजदूरी पर निर्भर नहीं करता।

(घ) जी नहीं। बंगाल सरकार की "अपना घर बनाओ योजना" के अधीन इससे लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को श्रम करना आवश्यक है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड

†२१६५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने अपनी छिरिया लौह अयस्क खान में कोई एम्बुलैंस गाड़ी नहीं रखीं;

(ख) क्या यह खदान नियमों के अनुसार है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) खदान विभाग के रिकार्ड में छिरिया आइरन और खदान नामक कोई खदान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इंडियन आइरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के मनोहरपुर नामक खदान का स्थानीय नाम छिरीया हो। इस खदान में कोई एम्बुलैंस कार नहीं रखी है।

(ख) जी हां। चूंकि खदान के साथ अस्पताल लगा है। अतः गम्भीर रोगियों को स्ट्रेचर की सहायता से वहां ले जाया जा सकता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में बेरोजगारी

†२१६६. श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने गत दो वर्षों में बेरोजगारी की स्थिति का मूल्यांकन किया है और उसको अपनी संबंधित योजनाओं सहित केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) भारत सरकार को ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नारियल जटा विकास योजनायें

†२१६७. श्री कुमारन :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २९ नवम्बर, १९५८ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ५८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारियल जटा उद्योग के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपना अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के मुख्य सुझाव और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन विचाराधीन है। जैसे ही प्रतिवेदन पर विचार समाप्त हो जाएगा और उस पर सरकार का संकल्प निश्चित कर लिया जाएगा वह प्रतिवेदन तथा संकल्प सभा-पटल पर रख दिए जायेंगे।

रूस, अमेरीका तथा ब्रिटेन से पुस्तकों की खरीद

†२१६८. श्री जाधव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७–५८ और १९५८–५९ में औसतन रूस, अमेरिका और ब्रिटेन से पुस्तकों की खरीद पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई; और

(ख) पुस्तकों का आयात किन अधिकरणों की ओर से किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) रुस, अमेरिका और ब्रिटेन से १९५७-५८ और १९५८-५९ (अप्रैल--नवम्बर) में आयात की गई पुस्तकों का मूल्य निम्न प्रकार है;

	१९५७-५८ रु०	१९५८-५९ (अप्रैल-नवम्बर) रु०
रुस	१३,०००	नगण्य
अमेरिका	६२,९२,०००	३०,२६,०००
ब्रिटेन	४९,९७,०००	४१,३१,०००

(ख) सुस्थापित आय तकों के अतिरिक्त पुस्तकालयों, प्रविधिक तथा शैषक्षिक संस्थाओं आदि जैसे वास्तविक उपभोक्ताओं से प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर तदर्थ विचार किया जाता है। ऐसे लाइसेंसों पर व्यादेश साधारणतः सुस्थापित आयातकों द्वारा ही दिए जाने चाहिए जब तक कि वास्तविक उपभोक्ता यह प्रमाण न दे सकें कि वे प्रतियोगिता के आधार पर आयात कर सकेंगे।

लाइसेंस समिति

†२१६९. **श्री सम्पत्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में लाइसेंस समिति की उद्योग प्रारंभ करने अथवा उनका विस्तार करने के लिए प्रार्थनापत्रों पर विचार करने के लिए कितनी बैठकें हुई; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश, मद्रास तथा बम्बई में नए उद्यम प्रारंभ करने के लिए कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए तथा कितने लाइसेंस मंजूर किए गए ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १९५८ में लाइसेंस समिति की सात बैठकें हुई थी।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और बम्बई में नए औद्योगिक उपक्रम प्रारंभ करने के लिए १९५८ में प्राप्त प्रार्थना पत्रों और मंजूर किए गए लाइसेंसों की संख्याएं निम्न प्रकार हैं:

राज्य	प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	मंजूर किए गए लाइसेंसों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	१३	६
मद्रास	४१	१३
बम्बई	१७७	३६

कोयला खानों में दुर्घटनायें

†२१७०. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला खानों में १९५६, १९५७ और १९५८ में से प्रत्येक वर्ष में कितनी दुर्घटनायें हुई; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त अवधि में (वर्षवार) मरे, गंभीर रूप से घायल हुए और मामूली तौर से घायल व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क)

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
१९५६	२,९६१
१९५७	२,८४३
१९५८	२,९५३

(ख)

वर्ष	मृत व्यक्तियों की संख्या	गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों की संख्या
१९५६	२५९	२,८४४
१९५७	१९२	२,७६२
१९५८	४१७	२,८१२

मामूली तौर से घायल व्यक्तियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली की नई बस्ती 'झील कुरंजा'

२१७१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अभी तक दिल्ली की नई बस्ती 'झील कुरंजा' का विकास कार्य पूर्ण नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पूरा होने की संभावना है ;

(ग) क्या बस्ती के निवासियों ने इस सम्बन्ध में सरकार को कोई ज्ञापन भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) संभवतः यह जानकारी शरणार्थी बस्ती झील कुरंजा जिसको कि गीता कालोनी भी कहते हैं, के बारे में मांगी गयी है। २३ फरवरी १९५९ को अतारांकित प्रश्न संख्या ६७६ के उत्तर में यह जानकारी दी जा चुकी है।

(ग) जी हां। दिसम्बर, १९५८ में गलियों में रोशनी की व्यवस्था के काम को पूरा करने के बारे में।

(घ) मंत्री सुधार सभा, झील कुरंजा, दिल्ली को स्थिति के बारे में सूचना दे दी गयी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में भारी इंजीनियरी मशीनें बनाने वाला कारखाना

†२१७२. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री वारियर :
श्री तंगामणि :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में एक भारी इंजीनियरी मशीनें बनाने वाला कारखाना स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके रेंड़ क्षेत्र में स्थापित किये जाने की संभावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सांभर साल्ट वर्क्स

†२१७३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सांभर साल्ट वर्क्स के केन्द्र द्वारा स्थापित हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को हस्तान्तरण का प्रश्न किस अवस्था में है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : सांभर झील स्थित सरकारी नमक कारखाना १ जनवरी, १९५९ को हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को हस्तान्तरित कर दिया गया था ।

भारत सरकार का मुद्रणालय, अलीगढ़

†२१७४. **श्री नरदेव स्नातक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ के भारत सरकार मुद्रणालय में काम करने वालों की कितनी श्रेणियां हैं और प्रत्येक श्रेणी में कितने व्यक्ति हैं; और

(ख) उन में से कितने स्थायी हैं तथा वे कितने वर्षों के बाद स्थायी बनाये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९१].**

भारत का राज्य व्यापार निगम

†२१७५. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास स्थित भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के कर्मचारियों से कोई स्मरण पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पुराना किला स्थित विस्थापित व्यक्ति

†२१७६. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुराना किला में रहने वाले कितने विस्थापित व्यक्तियों को लाजपतनगर में प्लाट आवण्टित किये गये हैं ;

(ख) उन में से कितने व्यक्तियों ने इन प्लाटों पर वास्तविक कब्जा कर लिया है ;

(ग) कितने प्लाट प्राप्त व्यक्तियों को पुराना किला से हटाया जा चुका है; और

(घ) जो लोग पुराना किला में ही रह रहे हैं उनके सम्बन्ध में मंत्रालय की क्या योजनायें हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) २८७ परिवार।

(ख) २१७ ।

(ग) २ परिवार हटाये गये हैं।

(घ) इस सम्बन्ध में १५ जुलाई, १९५८ को जारी किये गये प्रेस नोट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९२]**

पुराना किला स्थित विस्थापित व्यक्ति

†२१७७. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुराना किला स्थित कितने व्यक्तियों से १९४९ में १५ रुपये से लेकर ३०० रुपये प्रति परिवार के हिसाब से विभिन्न राशियां वसूल की गई थीं ; और

(ख) ये राशियां किन प्रयोजनों के लिये वसूल की गई थीं तथा उन्हें किस खाते में डाला गया था ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) (१) १५ रुपये से ४७३ रुपये तक।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) १५० रुपये से ३०० रुपये तक २१६ से ।

(ख) ये राशियां इन विस्थापित व्यक्तियों से अग्रिम किराये के रूप में वसूल की गई थी । ये वसूलियां लेखे की उपयुक्त मदों में डाल दी गई थीं ।

लंका के साथ व्यापार

†२१७८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका में भारत में बने माल की और खपत की संभावनाओं की खोज की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ड्राई सैल बिजली की बैटरियों, रबर की वस्तुओं—टायर तथा टयूबों, सिलाई मशीनों, अल्यूमिनियम के बर्तनों, इस्पात का फर्नीचर, जूता बनाने के यंत्रों, मोटर के पुर्जों, पीतल के बर्तनों तथा कृत्रिम रेशम के कपड़ों जैसे तैयार माल का निर्यात १९५८ में गत वर्ष की तुलना में बढ़ गया है । अन्य तैयार माल के सम्बन्ध में प्रायः वही स्थिति है जो पहले थी ।

जीरा का निर्यात

†२१७९. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में किन-किन देशों को जीरा निर्यात किया गया तथा उसके निर्यात पर प्रशुल्क वसूल किया गया;

(ख) कुल निर्यात तथा अर्जित विदेशी मुद्रा कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये निर्यात बढ़ाने के लिये निर्यात शुल्क में कमी करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :(क) जापान, केनिया, लंका, सिंगापुर, सऊदी अरब, आस्ट्रेलिया, फीजी द्वीप, बर्मा, मोजाम्बीक, जैन्जीबार, टैंगयानिका, अदन, ब्रिटेन, बहरीन द्वीप, कुवैत, ट्रुशियल ओमान, पाकिस्तान, मालाडाइन, हांगकांग, इंडोनेशिया, मस्कट, थाईलैण्ड, गैम्बिया, सायरा लिओन, घाना, नाइजीरिया, रोडेशिया, यूगाण्डा, न्यासालैण्ड, सेचेल्स, सूडान, टैन्जियर, बैल्जियन कांगो, मैडागास्कर, सोमालीलैण्ड, ट्रिनिडाड, ब्रिटिश गायना, न्यूजीलैण्ड, मलाया, दक्षिण वियतनाम, फ्रांसीसी सोमालीलैण्ड और मारीशस ।

जीरा के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं वसूल किया जाता है ।

(ख) १९५७–५८ में २६६ टन जिसका मूल्य ६.७ लाख रुपये है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक सदस्य के निलम्बन के संबंध में

†**श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद)** : मैं ने कल नियम ३७७ के अन्तर्गत उत्तरप्रदेश विधान सभा के एक सदस्य के ४५ दिन के लिये निलम्बन से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं ने विश्व-संसदों के इतिहास को देखा परन्तु कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां किसी सदस्य को इतने दिनों के लिये निलम्बित किया गया हो। यह प्रजातन्त्र के भविष्य का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये इस पर विचार किया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी दो एक दिन हुए जब माननीय सदस्य ने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी तो मैं ने बताया था कि यह प्रश्न इस सभा में नहीं उठाया जा सकता। संविधान के अन्तर्गत सभी राज्य विधान-सभायें अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त हैं। वहां की विधान सभा में लोगों के प्रतिनिधि मौजूद हैं जो इस प्रश्न की जांच कर सकते हैं। इस सभा को उन के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उस सभा के सदस्यों को ही यह प्रश्न उठाना चाहिये। हम इस विषय पर विचार नहीं कर सकते।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं निलम्बित सदस्य के प्रति सहानुभूति के रूप में सभा-भवन से बाहर जा रहा हूं।

[इसके पश्चात् श्री ब्रजराज सिंह सदन से बाहर चले गये]

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति की कार्यवाही

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं कोयला खनन औद्योगिक समिति के छठे अधिवेशन की, जो २१ फरवरी, १९५९ को नई दिल्ली में हुआ था, कार्यवाही के सारांश की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १३०५/५९]

समवाय अधिनियम के कार्य तथा प्रशासन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३८ के अन्तर्गत समवाय अधिनियम, १९५६ के कार्य तथा प्रशासन के बारे में वर्ष १९५७–५८ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १३०६/५९]

समवाय अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३७ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ७ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २७७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १३०७/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की मांगें

गृहकार्य मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब गृह-कार्य मंत्रालय की मांग संख्या ४६ से ६० और संख्या १२३ पर चर्चा होगी। जो माननीय सदस्य इन मांगों के सम्बन्ध में अपने कटौती-प्रस्ताव रखना चाहते हों वे उनकी सूचना १५ मिनट के अन्दर सभा-पटल पर रख दें।

वर्ष १६५६-६० के लिये गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
४६	गृह—कार्य मंत्रालय	२,६५,७३,०००
४७	मंत्रि—मंडल	३४,२२,०००
४८	क्षेत्रीय परिषदें	३,३८,०००
४६	न्याय प्रशासन	२,२८,०००
५०	पुलिस	४,६८,१५,०००
५१	जन—गणना	१६,६७,०००
५२	आंकड़े	१,७३,२६,०००
५३	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां व भत्ते	३,८६,०००
५४	दिल्ली	६,६६,०२,०००
५५	हिमाचल प्रदेश	५,३४,३३,०००
५६	अंडदमान व निकोबार द्वीप समूह	२,८५,४४,०००
५७	मनीपुर	२,१४,४०,०००
५८	त्रिपुरा	३,४१,५७,०००
५६	लक्कद्वीप, मिनीकोय व अमीनद्वीप द्वीप समूह	१७,२६,०००
६०	गृह—कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१०,६८,८७,०००
१२३	गृह—कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	७४,२७,०००

†**श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—मध्यम)**: गृह मंत्रालय की मांगों पर विचार करते हुए हमारा ध्यान उसकी शक्तियों की ओर जाता है। भारत सरकार के किसी भी अन्य मंत्रालय का क्षेत्राधिकार इतना विस्तृत नहीं है। इसलिए इस पर अधिक नियंत्रण होना चाहिए।

†मूल अंग्रेजी में

सर्वप्रथम मैं यह निवेदन करूंगा कि महाराष्ट्र और गुजरात के लोग अपनी पृथक राज्य की मांग न माने जाने के कारण बहुत असंतुष्ट हैं। हाल में अनेक बार इस भावना को व्यक्त किया गया है । खेद है कि सरकार जनता की भावना के अनुसार कार्य नहीं करती है।

मैं राज्यों के संबंध में एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि उनके जो विधान राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आते हैं उनके संबंध में बहुत विलम्ब किया जाता है। सरकार को केवल वैज्ञानिक औचित्य देखना होता है। फिर इतना विलम्ब क्यों किया जाता है? संभवतः राजनैतिक छानबीन के कारण ऐसा होता हो। केरल का जेनमीकरम विधेयक बहुत समय से वहां पड़ा हुआ है।

जहां तक निवारक निरोध का संबंध है मुझे दुख है कि उसका प्रयोग चोर बाजारी और अन्य समाज-विरोध. कार्यों को रोकने के लिए नहीं वरन् राजनैतिक प्रतिशोध के लिए किया जाता है। मैं चाहता हुँ कि गृह-मंत्री इस पर विचार करें।

हाल ही में पंजाब में गोली चलाई गई जो कि दिल्ली के इतना निकट है। मैं इसकी गहराई में तो नहीं जाना चाहता परन्तु इतना अवश्य अनुरोध करूंगा कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिएं जिनसे इस प्रकार की घटना रोज की चीज न बन सकें। इस संबंध में केरल ने श्री चटर्जी के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की है जो पुलिस द्वारा आग्नेयास्त्रों के प्रयोग के संबंध में सुझाव देगी। भारत सरकार को भी इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए।

यह बात भी उल्लेखनीय है कि सरकार विभिन्न सेवाओं के कर्मचारियों के साथ राजनैतिक भेदभाव करती है और उन्हें तंग करती है। हाल में अखिल भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा कर्मचारी संघ के महामंत्री श्री जोसेफ को इस आधार पर नौकरी से अलग कर दिया गया कि उन्होंने जुलूस में भाग लेकर नियम ४ ए० का भंग किया है। इस नियम से कर्मचारियों में बहुत असंतोष है। श्री नाथपाई ने इस संबंध में बड़े जोरदार शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए थे। इस प्रकार का राजनैतिक भेदभाव तथा उत्पीड़न यथाशीघ्र बन्द होना चाहिए।

जहां तक केन्द्रीय असैनिक सेवा आचार नियम के नियम ४ ए० और ४ बी० में हाल में किए गए संपरिवर्तन का संबंध है, जिसके अनुसार ५०० रुपए तक के वेतन वाले कुछ कर्मचारियों को इन नियमों से मुक्ति दी गई है, मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार का भेदभाव उचित नहीं है। यह छूट सभी कर्मचारियों को दी जानी चाहिए जो उस वेतनक्रम में आते हों।

इसके बाद में भारतीय प्रशासन सेवा की भर्ती के संबंध में प्राप्त शिकायतों का उल्लेख करना चाहता हूँ। १९५६ में जो भर्ती हुई थी उसमें १७,००० से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे जिसमें से १२०० योग्य घोषित किए गए थे। परन्तु उनमें से केवल १०२ को ही चुना गया और उसमें भी योग्यता के सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया।

इस संबंध में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारियों की यह शिकायत है कि उनके प्रति बहुत उदासीनता बरती जाती है। इस विशेष भर्ती की परीक्षा में सचिवालय सेवा के जो लोग बैठे थे उनमें से ७१ योग्य घोषित किए गए थे परन्तु केवल १ को ही चुना गया। यह कहा जाता है कि वे लोग प्रशासकीय सेवा के उपयुक्त नहीं होते

इसी प्रकार हमें आयकर निरीक्षकों की परीक्षा और इंजीनियरिंग सेवाओं की परीक्षा के संबंध में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के असिस्टेंन्टों के स्थायी बनाए जाने का प्रश्न भी उल्लेखनीय है। १५ वर्ष तक उस पद पर कार्य करने पर

[श्री हो० ना० मुकर्जी]

भी वे अस्थायी ही बने हुए हैं। हजारों की संख्या में से केवल ६०० को अर्ध-स्थायी किया गया है।

इसके बाद में सभा का ध्यान भ्रष्टाचार-विरोध की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हाल में 'फ्री प्रैस जनरल' में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि विशेष पुलिस विभाग ने बताया कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार में ३० प्रतिशत वृद्धि हुई है।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : यह वृद्धि पुलिस द्वारा पता लगाए गए मामलों की संख्या संबंधी है।

†**श्री हीं० ना० मुकर्जी** : मैं मंत्री जी की बात मानने को तैयार हूँ। परन्तु फिर भी ऐसा आभास होता है कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सरकार तत्परता से कार्य नहीं कर रही है। जीवन बीमा निगम के मामलों संबंधी विवियन बोस प्रतिवेदन का अभी तक न निपटाया जाना और प्रधान मंत्री के विशेष सहायक के संबंध में जांच में विलम्ब किया जाना इस प्रवृत्ति के द्योतक हैं।

मैंने नागरिकता अधिनियम के संबंध में एक कटौती प्रस्ताव की सूचना दी है क्योंकि उसका कार्यकरण ठीक नहीं हो रहा है। मैंने नागरिकता प्राप्ति संबंधी एक मामला गृह-मंत्री के पास भेजा था जिसमें एक व्यक्ति को भारतीय नागरिकता देने से इन्कार किया गया था परन्तु उन्होंने उत्तर में अपनी असमर्थता प्रकट की। खेद है कि जब देश के कानूनों के अनुसार उसे यहां की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है तो फिर इस प्रकार का इन्कार क्यों किया गया ?

जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का संबंध है हमें इसकी विस्तृत चर्चा के लिए बाद में समय मिलेगा। यहां मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि नौकरियों के मामले में उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। यह ठीक है कि उनका समुचित विकास नहीं हुआ है परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें उच्च श्रेणियों में बिल्कुल भी स्थान न दिया जाए। उदाहरण के लिए एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि रेलवे सेवाओं में ३,४६० गजटेड पदाधिकारियों में से केवल ९ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं। मैं आशा करता हूँ कि गृह मंत्री इसके संबंध में कोई आश्वासन देंगे।

इसके बाद मैं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रश्न को लूंगा जिसका कल भी निर्देश किया गया था। विधि आयोग के प्रतिवेदन में भारत के मुख्य न्यायाधिपति के इस वक्तव्य का उल्लेख किया गया है कि "मुख्य न्यायाधिपति की सिफारिशों की उपेक्षा करके मुख्य-मंत्री की सिफारिशें मानी गई हैं।" एक अन्य उद्धरण में यह भी विचार व्यक्त किया गया है कि दस वर्षों के बाद उच्च न्यायालयों में वही न्यायाधीश होंगे जिनकी नियुक्तियां राजनीतिज्ञों की सिफारिशों पर की गई होंगी। इस संबंध में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये विचार नहीं वरन् स्पष्ट वक्तव्य हैं। इसलिए जहां तक उच्च न्यायालयों की नियुक्ति का प्रश्न है सरकार के विरुद्ध इससे बड़ा महाभियोग और क्या हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि गृह-कार्य मंत्री इसके संबंध में कुछ संतोष प्रदान करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों के सुरक्षण के संबंध में अनेक कटौती प्रस्ताव रखे गए हैं। जहां-जहां भी ये लोग हैं। सरायकिल्ला, सिंहभूम, संथाल परगना आदि—वहां वे कुछ निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं। मैं आशा करता हूँ कि इन अल्पसंख्यकों के आयुक्त गृह–कार्य मंत्री की सहायता से इन लोगों की कठिनाइयां दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

एक और मामले की ओर मैं गृह–कार्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और वह है दावूदी बोरा सम्प्रदाय के लोगों की विचित्र स्थिति। उनका पुजारी अभी भी उनके ऊपर मध्ययुगीन अत्याचार करता है जैसे सामाजिक बाहिष्कार आदि। वह अपने सम्प्रदाय के लोगों को जो शपथ दिलाता है वह हमारे संविधान के विरुद्ध है। श्री मोरारजी देसाई इन चीजों से भली प्रकार परिचित हैं और उन्होंने बम्बई में इस संबंध में एक अधिनियम भी पारित कराया था। मैं चाहता हूँ कि गृह–कार्य मंत्री इस सम्प्रदाय के संबंध में प्रकाश डालें।

फिर मैं कलकत्ता के एक दैनिक पत्र के एक भूतपूर्व संयुक्त सम्पादक द्वारा सरकार पर लगाए गए इस आरोप का उल्लेख करना चाहता हूँ कि कलकत्ता में एक साम्यवाद–विरोधी पत्र चलाने के लिए केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग के कोष का प्रयोग किया गया। मैं नहीं जानता कि यह बात सच है या नहीं। परन्तु मेरे पास इससे संबंधित कुछ कागज हैं जो मैं गृह–कार्य मंत्री को देता हूँ और आशा करता हूँ कि वह इसकी जांच करायें। यदि यह आरोप सही है तो सरकार को इस प्रकार का कार्य छोड़ देना चाहिए।

एक विषय और है जिसका उल्लेख मैं कुछ संकोचपूर्वक करूंगा क्योंकि हमें राज्यपालों के कार्य की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। पश्चिमी बंगाल विधान सभा के विरोधी दल के नेता ने ४ मार्च को सभा में पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय के उपकुलपति की स्थिति में लिखे गए पत्र को पढ़ कर सुनाया था जो उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को लिखा था। उस पत्र में इस बात पर खेद प्रकट किया गया था कि कुछ विद्यार्थियों को इलाज के लिए चीन भेजा जाता है जहां उपचार के साथ उनकी विचारधारा भी बदली जाती है।

यह एक गंभीर बात है। राज्यपालों को इस प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति के बाद देश में दूसरा नम्बर उन्हीं का है, वे राज्य के प्रतीक होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गृह–कार्य मंत्री इसकी जांच करें और यह प्रयत्न न करें कि राज्यपाल इस प्रकार का भेदभाव न करें।

अन्त में मैं यह कहूँगा कि हमारे गृह–कार्य मंत्री सरकार के उन थोड़े से व्यक्तियों में है जो राष्ट्रीय व्यक्तित्व रखते हैं। उन्हें चाहिए कि सरकार के 'सत्यमेव जयते' के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न करें। गृह–कार्य मंत्रालय को इस सिद्धान्त के अनुसार ही आचरण करना चाहिए।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा): हमें सबसे पूर्व यह देखना है कि देश में सुरक्षा स्थिति को स्थिर रखने की दिशा में गृह–कार्य मंत्रालय कहा तक सफल रहा है। आस–पास के देशों में जो कुछ हो रहा है, उसे देखते हुए, यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे विचार में इस मामले में स्थिति बड़ी भयावह है। बार-बार मांग करने पर भी पुलिस के व्यवहार के सम्बन्ध में कोई संहिता का निर्माण नहीं किया गया। गोली और लाठी की घटनाओं की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

वृद्धि हुई है और पुलिस इस मामले में मनमानी करती है। अपराधों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सामान्य लोग थानों में जाने से डरते हैं क्योंकि यह विचार आम हो गया है है कि उन्हें पुलिस का संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता। यह भी खेद का विषय है कि निवारक निरोध अधिनियम की तलवार अभी वैसे ही लटक रही है। भ्रष्टाचार की तो बात न ही की जाये तो अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार आज लोगों की आजादी छीनने का प्रयत्न कर रही है और यहां तक कि विधानमंडलों और न्यायपलिकों के निर्णयों की भी परवाह नहीं की जाती। आप जरा अन्दाजा लगाये कि मई १६५७ के बाद से ११० अध्यादेश इस देश में लागू किये गये है और इनमें से १० राष्ट्रपति के अध्यादेश है। जब विधानमंडलों और संसद के अधिवेशन काफी लम्बे अर्से तक चलते है तो अध्यादेशों की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? क्या इससे लोकतंत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? देश की कई घटनाओं से स्पष्ट है कि सरकार अपने संविधानिक दायित्वों की चिन्ता नहीं कर रही; समझ में नहीं आ रहा कि देश में लोकतंत्र कैसे चलेगा।

राज्यपालों की नियुक्ति के प्रश्न का भी पुनरीक्षण होना चाहिए। राज्यपाल किसी दल में से नहीं लिया जाना चाहिए। परन्तु आज हम देखते हैं कि चौदह में से दस राज्यपाल कांग्रेसी है। इनमें वह भी हैं जो कि चुनावों में पराजित हो चुके हैं। राज्यपाल कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका राजनीति से कोई सम्बन्ध न हो। अतः मेरा कहना है कि इस सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्रालय को अपनी प्रस्थापनायें प्रस्तुत करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी शिकायत है कि सरकार न्यायपालिका के क्षेत्र में भी अतिक्रमण करने में संकोच नहीं करती। गृह–कार्य मंत्रालय मुख्य न्यायाधीशों के मुकाबले में मुख्य मन्त्रियों की बात की ओर अधिक ध्यान देता है।

'मंत्रिमंडल' के व्यय में २ लाख की वृद्धि हुई है और यह केवल मंत्रियों के दौरों पर हुए खर्चे के बारे में ही है। कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है; मैं नहीं जानता कि मन्त्रियों और कर्मचारियों की संख्या में बराबर वृद्धि क्यों की जा रही है? साधारण जनता के पैसे का इतना अपव्यय नहीं होना चाहिये।

फिर रिपोर्ट में यह दिया गया है कि सरकारी अधिकारियों के लड़कों को ऐसी फर्मों में नौकरी नहीं मिले, जिनका सरकार से संबंध हो, इस दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि क्या वास्तव में ऐसी रोक-थाम हो रही है? मेरा कहना है कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार आज देश में प्रत्येक स्तर पर हो रहा है, अतः मेरा निवेदन है कि मंत्रियों के कार्य के सम्बन्ध में भी एक संहिता का निर्माण किया जाना चाहिए।

हमारा गृह मंत्रालय एक महान नेता के नेतृत्व में काम कर रहा है और अनुदान की मांगों सम्बन्धी पुस्तिका से पता चलता है कि उन्होंने व्यय काफी कम करने का प्रयत्न किया है। परन्तु इस पर भी अनिश्चित रूप से कर्मचारियों की वृद्धि हो रही है। १६५६–६० में ११७ अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था है जब कि १६५८–५६ में केवल ११ अतिरिक्त अधिकारी ही थे। मैं जानना चाहता हूं कि किया लोक सेवा आयोग के सुपुर्द किया गया था। केन्द्रीय गुप्तचर विभाग पर व्यय १६५७–५८ में १ करोड़ ५७ लाख रुपया था और अब १६५६–६० में व्यय का अनुमान २ करोड़ ६ लाख रुपये है। इस विभाग का खर्चा काफी बढ़ा है शायद इसकी सेवाओं का उपयोग अन्य राजनीतिक दलों के विरुद्ध किया जा रहा है।

मैं इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सचिवालय में जो पदोन्नतियां दी जाती है उनका कोई ठोस आधार नहीं होता।

क्षेत्रीय परिषदों पर खर्च किया जा रहा है। क्या गृह-कार्य मंत्री से यह पूछा जा सकता है कि इन परिषदों पर खर्च करने का क्या लाभ हो रहा है? क्या देश के विभिन्न भागों में विवादस्पद क्षत्रों के बारे में कोई मतैक्य हुआ है? क्या सीमा विवादों का कोई हल निकला है? हमें देश के विभिन्न विवादों को समाप्त करके आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। गृह-मंत्री महोदय को अपने प्रभाव का प्रयोग कर देश में फैले असन्तोष को दूर करना चाहए। लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए और उसके लिए संसद के निर्णय को भी बदलने में संकोच नहीं होना चाहिए।

आदिम जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए हम प्रत्येक मास १ करोड़ का खर्च कर रहे हैं। इसके लिए मंत्रालय को मुबारकबाद दी जानी चाहिए, परन्तु इस खर्च की जाने वाली राशि का ठीक उपयोग नहीं हो रहा। ऐसे संस्थाओं को रुपया दिया जा रहा है जिनको कोई जानता भी नहीं। रुपया लेने के लिए कई नयी संस्थाओं का भी निर्माण हो गया है। इससे हारे हुए और बेकार कार्यकर्त्ताओं का पुनर्वास किया जा रहा हैं। ये लोग चुनावों और उपचुनावों में खूब काम आते है। ग्रामदान और सहकारिता आन्दोलनों के विकास की भी लगभग यही कहानी है। मंत्री महोदय को इन बातों की ओर समुचित ध्यान देना चाहिए।

दिल्ली के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। दिल्ली का प्रशासन ठीक ढंग से नहीं चल रहा। दिल्ली पुलिस पर दो करोड़ रुपया खर्च किया जाता है परन्तु फिर भी होमगार्ड की आवश्यकता अनुभव हो रही है। क्या इनको राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा? यदि यही अवस्था रही तो देश में लोकतन्त्र का भविष्य भारी खतरे में पड़ जायेगा। मैं गृह-मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि उन्हें देश में स्वस्थ्य लोक-तंत्रीय वातावरण निर्माण करने का प्रयत्न करना चाहिये। इसमें ही हम सबका भला है।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी): मैं इस बात के लिए आभार प्रदर्शन करती हूँ कि मुझे गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया है। मैं गृह-कार्य मंत्री महोदय को इस बात के लिए मुबारकबाद देती हूं कि यद्यपि देश में गड़बड़ करने वाले व्यक्ति और दल काफी हैं परन्तु फिर भी यह वर्ष शांति से व्यतीत हो गया हैं। मुझे इस बात का दुःख है कि विरोधी दल बम्बई के मामले में संसद द्वारा किये गये निर्णय को कार्यान्वित किये जाने के रास्ते में काफी कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं। इस से बम्बई राज्य पूर्णरूप से विकसित नहीं हो पा रहा। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि निवारक निरोध के अन्तर्गत अब जेलों में केवल ७२ व्यक्ति हैं, जब कि ३१ दिसम्बर, १९५१ को यह संख्या १८६५ थी। मैं तो यह चाहती हूं कि एक व्यक्ति भी जेल में नहीं रहना चाहिए, परन्तु फिर भी कई बार जनहित में और सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने पड़ते हैं।

प्रशासन की दृष्टि से राज्य पुनर्गठन का कार्य देश भर में बड़ी अच्छा प्रकार हो गया और विभिन्न क्षेत्रीय परिषदें गृह-कार्य मंत्री महोदय की देख रेख में

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। आशा है कि समय के साथ इन विभिन्न परिषदों के कार्य का उचित समवन्य हो जायेगा जिसका देश के विकास पर काफी प्रभाव होगा।

दिल्ली में गुंडों और उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में डाकुओं का आतंक मिटाने के लिए समुचित व्यवस्था करने के लिए भी गृह-कार्य मंत्री को मुबारकबाद दी जानी चाहिए। मेरा मत है कि इस समस्या को रचनात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इन लोगों की शक्ति का प्रयोग देश के भले कामों के लिए किया जा सकता है, और गृह-कार्य मंत्रालय इस दिशा में प्रयोग कर सकता है। चम्बल घाटी परियोजना के अन्तर्गत इनके लिए भूमि की व्यवस्था की जा सकती है। इस बात की पूरी सम्भावना है कि यह लोग बड़े लाभदायक नागरिक बन जायें।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहती हूं कि इन डाकुओं की सम्पत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली गयी है और इन लोगों की सन्तान भूखी मर रही है। मैं पुतली की ५ या ६ वर्षीय लड़की तथा मानसिंह डाकू के पोते-पोतियों से मिली थी। उनकी सारी सम्पत्ति छीन ली गई है और वे लोग भूखे मर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि गृह मंत्री इनके लिये कुछ उपाय करें हमें इनकी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। जेलों में कैदियों को कड़ी सजायें न देकर उन्हें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। कई एक जेलों में कैदियों से अच्छे कार्य लिये जा रहे हैं। कई जेलों में कैदियों को काम का मुआवजा भी दिया जाता है इससे जेल से छूटने तक उनके पास कुछ राशि जमा हो जाती है जिससे कि कैदी बाहर जाकर नये सिरे से अच्छा जीवन आरम्भ कर सकता है। यह प्रणाली सारे भारत में लागू की जानी चाहिए। जब कैदी जेल से मुक्त हो जाय तो भी कला और विभिन्न शिल्पों के विकास के लिए इन का प्रयोग किया जा सकता है। सहकारी संस्थाओं के साधन द्वारा इस कार्य को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। अभियोगाधीन व्यक्तियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है और उन्हें पुलिस का बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। मैं समझती हूं कि हमारे देश की न्यायप्रणाली में भी आवश्यक परिवर्तन होने चाहिएं ताकि न्याय प्राप्त करने में अनुचित देरी न हो। कई विचाराधीन कैदी अथवा नजरबन्दों के मामले काफी लम्बे समय तक लटकते रहते हैं। हम अपनी न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और सफलताओं पर हमेशा गर्व करते हैं। परन्तु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मुकदमों के बहुत लम्बे चले जाने से भी समुचित रूप में न्याय प्राप्त नहीं होता। गृह-कार्य मंत्री को इसका कोई हल निकालना चाहिए।

इन समस्याओं के प्रति पुलिस का भी नया दृष्टिकोण होना चाहिए और उसके लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था बड़ी अनिवार्य है। अपराधों के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, ताकि अपराधियों की शक्ति और क्षमता का लाभदायक कामों में प्रयोग किया जा सके। पुलिस वालों को इस प्रकार के अपराधों को निपटाने के लिए मनोवैज्ञानिक साधनों से सुपरिचित कराने की बड़ी आवश्यकता है। हमें इन अपराधियों को अच्छे मानव बनाने का प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए समुचित व्यवहार की अपेक्षा है।

भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कहा जाता है। उसके उपचार के जितने भी साधन अपनाये गये हैं उतना ही यह मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन में बहुत वृद्धि हो रही है। हमें इसे कम करना चाहिए, मैं एक बात अवश्य कहूंगी कि हमारी सरकार ने सत्यता और ईमानदारी

की बड़ी महान परम्पराओं का निर्माण किया है। अतः यह कहना ठीक नहीं कि सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार चल रहा है।

एक और बात जो मैं कहना चाहती हूं वह स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक पण्य से सम्बन्धित है। इसको अधिक से अधिक मात्रा में दूर किया जाना चाहिए। इस दिशा में १९५६ में संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था और गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि यह १-५-१९५८ को सारे देश भर में लागू होगा। परन्तु अभी तक कई राज्यों ने इसके अन्तर्गत अपेक्षित नियमों का निर्माण नहीं किया। इस अधिनियम को लागू करने का यह नतीजा हुआ है सारे पुराने कानून, नया विधान बन जाने के कारण प्रभावहीन हो गये हैं। इससे कई स्थानों पर स्थिति पहले से अधिक शोचनीय हो गयी है। हमने बिना पूरी व्यवस्था किये इस कानून को लागू करने की कोशिश की है जिससे संतोषजनक परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं। इस समस्या को हल करने के लिए मुझे देश भर में कहीं भी गम्भीरता-पूर्वक और निश्चयात्मक प्रयत्न होते दिखाई नहीं दिया। परन्तु फिर भी इसका हल तो आखिर निकालना ही है, अतः मैं गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करूंगी कि उन्हें इस अधिनियम को समुचित और प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे पड़ौसी देश से वेश्यावृत्ति समाप्त हो गयी है और हमें भी इस दिशा में द्रुत गति से आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस बात पर जोर दूंगी कि इस प्रकार के कामों में हमें गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता लेनी चाहिए। इस दिशा में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड जैसी संस्थायें गत ३० वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रही हैं। इस प्रकार की योजना के लिए ऐसी संस्थाओं का सहयोग बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है।

जहां तक दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र का प्रश्न है, यदि दो सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को प्रशासन में सम्मिलित कर लिया गया तो यह कोई ऐसी बात नहीं कि जिसकी तीव्र आलोचना की जाये।

दिल्ली की विधान सभा समाप्त हो जाने पर गृह-मंत्री ने उद्योग और जन सम्पर्क के लिये दो समितियां बना कर बड़ा अच्छा काम किया है और इन समितियों में यहां के दो सम्मानीय व्यक्तियों को रखकर कोई बुराई नहीं की है। फिर श्री हीरेन मुकर्जी जैसे विद्वान आदमी के मुख से यह सुन कर कि स्वास्थ्य लाभ के लिए हमें अपने बच्चों को चीन के चिकित्सालयों में भेजना पड़ता है, मुझे बड़ा अचरज हुआ। क्या चीन जैसे चिकित्सालयों की व्यवस्था हमारे अपने देश में नहीं है। हमारे यहां बड़े अच्छे सैनेटोरियम हैं और यदि वे बच्चों को भेज सकते हैं तो यहां भी इलाज करने में पैसा खर्च कर सकते हैं।

अन्त में मैं गृह-कार्य मंत्रालय से अपील करना चाहती हूं कि उसे प्रशासन के विस्तार पर कुछ नियन्त्रण रखना होगा। नये-नये कर लगाये जा रहे हैं और प्रशासन का व्यय बढ़ गया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि नये करों का उपयोग उत्पादन-लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए, न कि प्रशासन के व्यय को बढ़ाने के लिए।

चौ० ब्रह्म प्रकाश (दिल्ली सदर) : जनाब स्पीकर साहब, मैं होम मिनिस्ट्री के थोड़े से हिस्से पर, यूनियन टेरीटरीज और दिल्ली के मामले में कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कुछ थोड़ा सा बैकवर्ड क्लासिज के बारे में भी कहूंगा। मैं पिछले दो ढाई साल से जान बूझ कर इन मामलों के मुतालिक चुप रहा, क्योंकि कई साल मेरा कुछ सम्बन्ध एडमिनि-स्ट्रेशन से रहा और मैं उन लोगों में से था, जिन की राय में रीआर्गनाइजेशन आफ स्टेट्स के मुताबिक इन इलाकों में जो नई तब्दीली की गई है, जो नया तरीका लाया जा रहा है,

[चौ० ब्रह्म प्रकाश]

वह वहां के लोगों के लिए मुफीद साबित नहीं होगा और वहां के लोगों का ताल्लुक एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से दूर हो जायेगा और लोगों में और एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा फर्क पड़ जायेगा। जिस बात का डर था, पिछला तजुर्बा उसको ठीक साबित कर रहा है। उस वक्त यह बार-बार कहा गया था कि इन टेरीटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन पापुलर होना चाहिए और वहां की रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, वहीं के लोग होने चाहिएं, जो कि किसी बाडी के सामने जिम्मेदार हों। इसमें कोई शक नहीं कि आम तौर से इन दो सालों में होम मिनिस्टर साहब ने मुख्तलिफ दर्जा पर एडवाइजरी कमेटीज और एडवाइजरी कौंसिल्ज के जरिये कोशिश की कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा साथ लिया जाय और लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक ताल-मेल रखा जाय। इसमें भी कोई शक नहीं कि होम मिनिस्टर साहब और उनके दोनों डिप्टीज ने, जहां तक उन का ताल्लुक था, जब भी उनके सामने मामले लाए गए---कमेटी के अन्दर या बाहर, उनको हल करने की कोशिश की। लेकिन एडवाइजरी कमेटीज के जरिये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता। इन यूनियन टेरीटरीज का तकरीबन चालीस करोड़ का बजट है और वह सारा बजट सिर्फ आफिसर्ज के जरिये खर्च होता है, जिनका रोज-मर्रा की जिन्दगी में लोगों से ताल्लुक नहीं है। गैर-सरकारी लोग कमेटीज में आते हैं और अपनी बात कह कर चले जाते हैं, वे कुछ बातों को परस्यू कर सकते हैं और कुछ को परस्यू नहीं कर सकते हैं, जिसका नतीजा यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन दिन-ब-दिन रिजिड और ब्यूरोक्रेटिक होता जा रहा है। इसके बारे में क्या तरीका हो ? मैं कोई पुरानी बात कहूं, तो शायद इस वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन यह जो लोगों में और एडमिनिस्ट्रेशन में गैप बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए तदबीरें निकाली जायें। हो सके, तो इसकी जांच के लिए एक कमेटी मुकर्रर की जाय, जिसमें पार्लियामेंट के मेम्बरान हों और वह कमेटी देखे कि वाकई कहां तक यह शिकायत दुरुस्त है। इस बारे में बार-बार कहा गया है। मैं समझता हूं कि होम मिनिस्टर साहब इस बारे में जरूरी कदम उठायेंगे।

दिल्ली का जहां तक ताल्लुक है, दिल्ली में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियां हुई हैं, जिन के जरिये यहां का एडमिनिस्ट्रेशन कार्पोरेशन और चीफ कमिश्नर से चलाया जा रहा है। चीफ़ कमिश्नर और कार्पोरेशन पर गवर्नमेंट आफ़ इंडिया है। और फिर एक डेवेलपमेंट अथारिटी है। इन चारों में एक सही ताल-मेल नहीं है। कई महकमों में काफ़ी कनफ़्यूज़न है। खास तौर से जो रूरल एरियाज़ हैं, उन का तकरीबन सारा ताल्लुक कारपोरेशन से है, लेकिन वहां डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट है। डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट और कारपोरेशन के काम में कोई ताल-मेल नहीं है, जिस की वजह से डेवेलपमेंट का काम ढीला हो रहा है। एक बात मैं और कहूंगा।

१३.२७ [उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह कोशिश की गई कि नया निज़ाम आने पर, कार्पोरेशन के आने पर किफ़ायत की जाय और एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया जाय, इकानोमी हो। कुछ कोशिश की गई, लेकिन वह नातसल्लीबख्श है। आज के कनटेक्स्ट में मुझे नहीं लगता कि चीफ़ कमिश्नर की क्या जरूरत और क्या काम रह जाता है। थोड़े से काम को छोड़ कर तमाम काम कार्पोरेशन के पास है और एडमिनिस्ट्रेशन में हैड्ज़ आफ़ डिपार्टमेंट्स है---चीफ़ सेक्रेटरी हैं, दो और सैक्रेटरी हैं और डेवेलपमेंट कमिश्नर हैं। सही तौर पर इन तमाम के तमाम के पास कोई काम नहीं है और अगर काम है, तो वह इस तरह का है कि उस से रेड टेप के बढ़ने के सिवा और कोई नतीजा नहीं निकलता।

दो एडवाइज़री कमटियां मुकर्रर की गई हैं। और भी कमेटियां हैं। उन एडवाइज़री कमेटीज़ के होल-टाइम पापुलर चेयर मैन रखे गए हैं। उन के पास भी सिवाए एडवाइस इकट्ठी करने के और काम नहीं है। इंडस्ट्रियल एडवाइज़री कमेटी में शायद थोड़ा बहुत कर्ज़े बांटने का काम है, लेकिन एक्चुअल काम उन के पास नहीं है। असेम्बली के वक्त जितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन था, वह अब भी मौजूद है, जब कि खर्च हर जगह बढ़ गया है। यह समझ में नहीं आता। एजूकेशन डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ज्यादा ताल्लुक चीफ़ कमिश्नर से कर दिया गया है, लेकिन उन के पास क्या है? उन सब कामों के लिए और एप्रूवल के लिए गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के पास जाना पड़ता है, तो फिर चीफ़ कमिश्नर को बीच में क्यों रखा जाय? जहां तक यहां की एडवाइज़री कमेटीज़ के चेयरमैन का ताल्लुक है, मुझे शुरू से ही यह पोस्ट समझ में नहीं आई। मैं ने पिछले दो साल में उन के काम को परखने की कोशिश की। ज़ाती तौर पर वह बेहतरीन आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। मैं उन्हें पसन्द करता हूं, लेकिन जिस इंस्टीच्यूशन से उन का ताल्लुक है और जिस पर खर्च हो रहा है, उस से लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस लिए दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। बम्बई, कलकत्ता और लखनऊ में काम कराना आसान है, लेकिन दिल्ली में बैठ कर, दिल्ली में काम कराना मुश्किल है, उस में देर लगती है, क्योंकि कई-कई चैनल्ज़ से गुज़रना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने एक स्टेप लिया कि यहां पर यूनियन टेरीटरीज़ में---एक पापुलर एडमिनिस्ट्रेशन न रहे, तो गवर्नमेंट आफ़ इंडिया को चाहिए कि वह इस पुराने पैराफ़रनलिया को खत्म करे।

सीधा चार्ज गवर्नमेंट आफ इंडिया ले, यहां पर एक सैल हो यूनियन टैरीटरीस के बारे में जिस में दिल्ली भी शामिल है और उसके ऊपर एक जिम्मेदार आदमी हो, एक अच्छे स्टेट्स का आदमी हो, अफसर हो जो कि सब चीजों की देख भाल करे। मैं चाहता हूं कि चीफ कमिश्नर की पोस्ट को खत्म कर दिया जाए। यहां पर जो सैल हो वही एक तरह से डिवलपमेंट कमिशनर्स और तमाम यूनियन टैरिटरीस को देखे और तमाम टैक्निकल आफिसर्स उसके मातहत काम करें।

इस के साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बावजूद इस बात के कि होम मिनिस्टर साहब अवैलेबल होते हैं, सभी बातों को सुनते हैं, चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की तफ़सील में जा नहीं सकते हैं क्योंकि उन के पास इतना वक्त नहीं होता है। अगर मैं तफसील में जाऊं तो मैं समझता हूं कि सैकड़ों बातें ऐसी होंगी जोकि तकलीफ देने वाली हों लेकिन इस में उनका कोई दोष नहीं है, वह हों या कोई और आदमी हो, उन सब में आसानी से जा नहीं सकता है, आसानी से उनकी तरफ ध्यान नहीं दे सकता है। इस वास्ते जरूरत इस बात की है कि कोई ऐसा एक आदमी बराहेरास्त मुकर्रर कर दिया जाए जो पब्लिक के सामने, एक पब्लिक बाडी के सामने ज़िम्मेवार हो, एक्सीक्यूशन के लिए जिम्मवार हो और दुसरी चीज़ों के लिए जिम्मेवार हो। जब तक एक्सीक्यूशन आथोरिटी कार्यान्वित प्राधिकार ऐसे आदमी के पास नहीं होगी जो कि काम के लिए सीधा जिम्मेवार हो, रोज़मर्रा की डिटेल्ज़ के लिए जिम्मेवार हो, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरीके से नहीं चल सकती है। दिल्ली में एक बड़ा कनफ्यूशन है जिसका दूर किया जाना बहुत आवश्यक है।

दूसरी बात मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट और रूरल डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेहरबानी करके इन दोनों डिपार्टमेंट्स को कारपोरेशन के हवाले कर दिया जाए। चूंकि अब ये कारपोरेशन के पास नहीं हैं इस लिए बेहद कनफ्यूशन है। कहीं पर किसी तरह के स्कूल कारपोरेशन के पास हैं तो दूसरी तरह के स्कूल कारपोरेशन के बाहर हैं। इसी तरह से हैल्थ की बात है।

[श्री ब्रह्म प्रकाश]

ड्रेनेज का काम हैल्थ का काम रूरल एरियाज़ में तो कारपोरेशन करती है लेकिन अलग से उसके ऊपर एक डिवेलेपमेंट डिपार्टमेंट है जिस के तमाम अलग से महकमे हैं। मैं समझता हूं कि यह ज्यादा बेहतर होगा कि डिपार्टमेंट को भी कोरपोरेशन को दे दिया जाए। वह चुनी हुई बाडी है, जिम्मेदार बाडी है और इसको ज्यादा अच्छी तरह से कर सकती है और सही तौर पर जवाबदेह भी हो सकती है और वह इसके साथ ही साथ जो काम है वह एफिशेंटली (योग्यतापूर्ण) हो सकता है। मैं उस कमटी में बैठा था जो कि फ्लड्स के ज़माने में बनी थी। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के आफिसर्स और कारपोरेशन के आफिसर्स भी थे। दोनों ही जिम्मेवारी को एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे थे और जो असली समस्या थी उसको हल करने की किसी की भी तरफ़ से कोई कोशिश नहीं हो रही थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का जो कनफ्यूशन है यह खत्म होना चाहिये।

दिल्ली कारपोरेशन के बारे में मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि उसके पास जो फंड्स हैं वे उसकी जरूरतों को देखते हुए बहुत ही नाकाफी हैं, बहुत ही कम हैं। आखिर दिल्ली से जो टैक्स वसूल होते हैं, कौन सा ऐसा महकमा है जिस पर वे खर्च होते हैं, क्यों नहीं वे तमाम के तमाम दिल्ली पर खर्च होते। चार करोड़ के करीब यहां पर आप टैक्स वसूल करते हैं, गवर्नमेंट आफ इंडिया सीधे वसूल करती है, क्यों नहीं वह तमाम का तमाम रुपया दिल्ली कारपोरेशन को दे दिया जाता है और दिल्ली कारपोरेशन उसको ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर के दिल्ली के लोगों की ज्यादा अच्छी खिदमत कर सकती है। आपने कुछ लोन दिल्ली कारपोरेशन को लिबरली देने की कोशिश की है। लोंस आप देते हैं जो वापस भी देने होते हैं। लेकिन जो ग्रांट आपकी तरफ से दी गई है वह केवल ५० लाख रुपये की ही दी गई है। मैं समझता हूं कि दिल्ली की हालत को देखते हुए यह ग्रांट बहुत ही कम है। आपने एक आफिसर मुकर्रर किया है जो इस सब चीज़ की जांच पड़ताल करेगा और बतायेगा कि क्या दिया जाना चाहिये लेकिन मेरी राय यह है कि ये दोनों महकमें, रूरल डिवेलेपमेंट को और एजुकेशन का कारपोरेशन के हवाले कर दिये जाने चाहियें और साथ ही साथ जितने भी टैक्सिस हैं वे भी तमाम के तमाम कारपोरेशन के हवाले कर देने चाहियें।

अब मैं डिवेलेपमेंट आथोरिटी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। शायद इस के मुतालिक आपकी राय में कुछ फर्क आया हो लेकिन मेरा तजुर्बा यही बताता है कि डिवेलेपमेंट आथोरिटी के पास कोई काम नहीं है और अगर है भी तो वह इतना कम है कि इतना लम्बा चौड़ा जो स्टाफ रखा हुआ है, उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास बहुत ही कम काम है। इसके साथ साथ कनफ्यूशन भी होता है। डिवेलेपमेंट आथोरिटी और कारपोरेशन के बीच में मुख्तलिफ चीज़ों पर डिफेंसिस (मतभेद) होते हैं। यह चीज़ सामने न आती हों लेकिन तमाम के तमाम दिल्ली कारपोरेशन के अफसर और डिवेलेपमेंट आथोरिटी के अफसर ग्रम्बल करते हैं और कोशिश करते हैं कि यह जो फर्क है, यह मुनासिब नहीं है और वह कारपोरेशन में आ जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतर और अच्छा डिवेलेपमेंट हो सके।

दिल्ली के बारे में मैं दो तीन चीज़ों का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। वे हैं इरिगेशन और ड्रेनेज के मसले। ड्रेनेज का मसला तो खास तौर पर कई बार सामने आया है। अजीब बात है कि दिल्ली के चारों तरफ पानी घूम रहा है, काफी बढ़ रहा है, बिजली भी चारों तरफ छाई हुई है लेकिन दिल्ली के गांवों में तथा दिल्ली के लिए न पानी है और न बिजली है। अगर है तो बहुत ही कम है। कई सालों से कोशिश हो रही है कि रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन हो लेकिन अभी तक एक गांव में भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली के लोग कहते हैं कि हमारे पड़ोस के गांवों में बिजली मौजूद है लेकिन हम बिजली के बगैर हैं। इस के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं मानता

हूं कि यह चीज़ कारपोरेशन के पास है। लेकिन प्लानिंग कमिशन और इरिगेशन और पावर मिनिस्ट्री की यह जिम्मेवारी है कि जो रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए सबसिडी है वह उसे दें, जो सबसिडी रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए रखी गई है, वह कारपोरेशन को दे ताकि कारपोरेशन तेज़ी के साथ रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कर सके। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन आज तक यह बता नहीं पा रहा है कि दिल्ली के लिये कितने पानी की जरूरत है। यह कहा जाता है कि जब भाखड़ा केनाल निकलेगी, जब भाखड़ा कैनाल आएगी तो उस से दिल्ली को पानी मिल सकेगा। कई सालों से यह कोशिश हो रही है यहां पर एक इरिगेशन यूनिट हो जो कि सर्वे कर के यह बताये कि दिल्ली के गांवों को इरिगेशन के लिए कितने पानी की जरूरत है ताकि उस पानी का इंतिजाम हो सके। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

इसी तरह से ड्रेनेज का सवाल है। कई सालों से यह कहा जा रहा है कि रूरल ड्रेनेज से खेती को काफी नुक्सान हो रहा है। लेकिन कोई स्टेप इस के बारे में नहीं लिया गया है। कहा जाता है कि स्कीम बन रही है लेकिन वह अभी तक-पूरी नहीं हो सकी है। मैं चाहता हूं कि यह चीज़ भी एक्सपिडाइट होनी चाहिये।

होम गार्डस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यह एलान किया गया कि होम गार्ड यहां पर कायम होगी, तो मैंने उसका स्वागत किया था। मैं समझता हूं कि दिल्ली जैसे शहर के लिए यह और भी ज्यादा जरूरी है कि यहां पर होम गार्ड कायम की जाए।

अब मैं बैक्वर्ड क्लासिस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बैक्वर्ड क्लासिस चाहे, शैड्यूल्डकास्ट हों, शैड्यूल्ड ट्राइब्स हों या अदर बैकवर्ड कम्युनिटीस हों, बावजूद इस बात के कि गवर्नमेंट आफ इंडिया और दूसरी सूबाई सरकारों ने उनकी भलाई के काम करने की कोशिश की है लेकिन जहां तक उन को फील कराने का ताल्लुक है कि वे फील करें कि सही तौर से यह कोशिश की गई है, वे ऐसा फील नहीं करते हैं। मैं मानता हूं कि उनके लिए सर्विसिस में रिज़र्वेशन है और सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको यह फील नहीं होता है कि जो कुछ उनके लिए किया जा सकता है किया जा रहा है। जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है आम तौर से यह देखा गया है और मेरा तजुर्बा है और सभी सूबों में सभी का तजुर्बा भी होगा और गवर्नमेंट आफ इंडिया के रिकार्ड को भी उठा कर आप देखें तो भी आपको यही पता चलेगा कि बैक्वर्ड क्लासिस के बहुत ही कम, बेहद कम आदमी रखे जाते हैं उनकी आबादी को देखते हुए और मैं तो यहां तक कहूंगा कि न के बराबर ही वे रखे जाते हैं। मैं तो समझता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि रिज़र्वेशन का जो स्टेचुटरी आबलीगेशन रखा हुआ है इसको अगर हटा दिया जाए तो बेहतर है। कहीं पर एक आध क्लार्क रख लिया गया तो रख लिया गया वर्ना कोई रखा ही नहीं जाता है। इस तरह से कोई फायदा नहीं है।

यह ठीक है कि कास्टीज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और कहा जाए कि वह नहीं होना चाहिये। लेकिन आखिर कार यह चीज़ कह देने से ही खत्म नहीं हो सकती है। जब तक सोशल ट्रांसफार्मेशन नहीं होता, इकोनोमिक, सोशल और पोलिटिकल पावर और जो रीयल प्रिवेलेज है उसको ट्रांसफर नहीं करते हैं बैक्वर्ड कम्युनीटीस में तब तक कास्टीज्म की जो बात है यह सिर्फ ऊपर तक ही रहने वाली है, तकरीरों तक ही महदूद रहने वाली है, नीचे नहीं उतर सकती है। लोग कहते हैं कि एक तरह की कास्ट ने ही सब चीज़ों पर कब्जा किया हुआ है और बाकी जो मांगते हैं, उनको कहा जाता है कि वे गलत बात कर रहे हैं। इस वास्ते यह जरूरी है कि पोलिटिकल, सोशल और इको-

[श्री ब्रह्म प्रकाश]

नोमिक पावर नीचे तक परमियेट कर दी जाए और इस के लिये ज्यादा से ज्यादा स्टेप उठाये जायें। यह साफ़ है कि सर्विसिस में उनको पूरी जगहें नहीं मिलीं हैं। जबाब देने को आप चाहें दे दें लेकिन यह चीज़ बिल्कुल साफ है।

अब मैं एजुकेशन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । प्लान में यह बात की जा रही है कि शायद एजुकेशन फ्री कर दी जाए। मैं समझता हूं कि सब के लिये नहीं तो एक खास आमदनी, मंथली आमदनी जिसकी हो और वह कम हो—मैं कोई सीमा मुकर्रर नहीं करूंगा —लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सारे हिन्दुस्तान में जो तालीम है, चाहे वह स्कूल की हो, कालेज की हो, टैक्नीकल तालीम हो, वह उस खास आमदनी तक वाले लोगों के लिये मुफ्त कर दी जाये। इस से उनकी बैकवर्डनैस को दूर करने में काफी मदद मिल सकती है और साथ ही सा र जो कास्टीज्म है, वह भी काफी हद तक दूर हो सकती है।

दूसरी बात इसी सिलसिले में मैं हैंडीक्राफ्टस के बारे में कहना चाहता हूं। इस में कोई शक नहीं है कि हैंडीक्राफ्टस वगैरह के लिये काफी कोशिश हो रही है, उसको काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन उस के लिये खास रकम रिज़र्व करने की जरूरत है। मेरे पास जो लोग रिज़र्वेशन की बात को ले कर आते हैं और कहते हैं कि उन्हें फलां जगह पर, जोकि उनको जानी चाहिये थी, नहीं रखा गया और इसकी शिकायत करते हैं तो मैं कहा करता हूं कि डिमांड करो कि फ्री एजुकेशन के लिये पूरी आजादी के साथ उन को रुपये की मदद, कर्जों के रूप में, सब्सिडी के रूप में दी जाय ताकि उन का एकानामिक अपलिफ्ट हो सके।

एक बात की शिकायत बहुत की जाती है । हिन्दुस्तान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुझे बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिला है । सब लोग पूछते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस कमिशन की जो रिपोर्ट है वह सामने आ चुकी है तो गवर्नमेंट उस के ऊपर फैसला क्यों नहीं करती और पार्लियामेंट के अन्दर उस पर क्यों बहस नहीं होती ? अगर उस की बातें गलत हैं, मुझे भी उसकी बहुत सी बातों से नाइतफाकी है, तो गवर्नमेंट दूसरा बैकवर्ड क्लासेस कमिशन मुकर्रर करे । हमारे कांस्टिट्यूशन के अन्दर उस की यह रिस्पांसिविलिटी है। वह दूसरा कमिशन मुकर्रर करे और हम को उस पर बहस करने का मौका दे ताकि उस पर सही सजेशन्स आ सकें। एक गलत जज्बा हिन्दुस्तान में फैलता जाय तो यह मुनासिब नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि बैकवर्ड क्लासैस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में गवर्नमेंट कोई डेफिनेट फैसला करे।

इन शब्दों के साथ जो मिनिस्ट्री की डिमांड्स हैं मैं उन का को सपोर्ट करता हूं।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नाम निर्देशित -आंग्ल भारतीय) : मेरा कटौती प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद ३० के अन्तर्गत अल्प संख्यकों को दिये गये अधिकारों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता के संबंध में है । इस अनुच्छेद में भाषा और धर्म सम्बन्धी अल्प संख्यकों को अधिकार दिया गया है कि वे अपने पसंद की शैक्षणिक संस्थायें स्थापित कर सकते हैं। उसी में यह भी व्यवस्था है कि सरकार इन संस्थाओं के साथ किसी प्रकार का भेद अब नहीं करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे राष्ट्रपति ने केरल शिक्षा विधेयक को विचार के लिये उच्चतम न्यायालय को सौंपा था । लेकिन उसे बड़े ही अविचार पूर्ण ढंग से सौंपा गया था। उस विधेयक की जो व्यवस्थायें स्पष्टतः अवैधनिक थीं, उन पर विकार करने के लिये उच्चतम न्यायालय से कहा ही नहीं गया था। दूसरी बड़ी खामी यह थी कि उन पर अनुच्छेद १४ और ३०(१) की रोशनी में विचार करने के लिये कहा गया था।

लेकिन, गृह-कार्य मंत्री जानते हैं कि अल्पसंख्यकों को सब से अधिक आरक्षण अनुच्छेद ३०(१) नहीं, बल्कि ३०(२) के अन्तर्गत दिया गया है। भेद -भाव न करने की बात उसी में कही गई है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किये जाने का दायरा बहुत ही तंग बना दिया गया था। आंग्ल-भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने में तो मैं सिर्फ इसीलिये उच्चतम न्यायालय में सफल हुआ कि अनुच्छेद ३३६ के अन्तर्गत आंग्ल -भारतीयों को अलग से गारंटी दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने आंग्ल-भारतीयों की शिक्षा संस्थाओं पर लगे सभी प्रतिबन्दो को अवैध घोषित कर दिया है । लेकिन अन्य अल्प संख्यकों का क्या होगा ? हमारे देश में कम से कम १५ करोड़ जनता भाषा और धर्म सम्बन्धी अल्प संख्यकों की है।

मैं उच्चतम न्यायालय से कहा था कि वह इस पर विचार करने से इसलिये इन्कार कर दे कि उसके लिये अधिक गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद ३०(२) पर विचार किये बिना ही अनुच्छेद ३०(१) को ही देख कर अपना निर्णय दे दिया है । इसलिये मैंने अपना कटौती प्रस्ताव रखा है कि अनुच्छेद ३० का मंशा स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखा जाये।

अब उच्चतम न्यायालय के निर्णय से यह परिस्थिति पैदा हो गई है कि यदि कोई राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के किसी स्कूल को एक नया पैसा भी सहायता के रूप में देती है, तो वह उस स्कूल पर अपनी शर्तें लाद सकती है। वह अध्यापकों की अर्हतायें भी निश्चित कर सकती है और स्कल की फीस भी।

इस निर्णय के अनुसार, यदि ऐसे स्कूल को एक पैसा भी सहायता मिलती है तो उस स्कूल को सभी अध्यापकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा उसे जिले के लिये निर्धारित अध्यापकों की तालिका में से ही करनी पड़ेगी।

इसका नतीजा यह है कि आंग्ल-भारतीय अल्प-संख्यकों के दिल्ली-स्थित एक स्कूल—फ्रैंक एन्थनी स्कूल —को दिल्ली जिले की तालिका से ही अध्यापक नियुक्त करने पड़ते हैं ; चाहे हमें यहां सुयोग्य अध्यापक न भी मिलें ।

इस निर्णय के अनुसार, अल्प-संख्यकों के स्कूलों को सरकार की इच्छा के अनुसार ही अपने अध्यापकों का वेतन-क्रम रखना पड़ेगा। इसका नतीजा यह है कि दिल्ली राज्य में अल्प संख्यकों के जितने भी स्कूलों को थोड़ी भी सरकारी सहायता मिलती है, वे अपने अध्यापकों के ७५–१५० रुपये से अधिक वेतन नहीं दे सकते।

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

मैं, उच्चतम न्यायालय के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, कहता हूं कि उसकी राय ग़लत है । उस ग़लती की वजह यही है कि राष्ट्रपति ने यह मामला सौंपते समय उसके लिये पूरी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। इस से अनुच्छेद ३०(२) की व्यवस्था तो बिल्कुल बेकार बन गई है।

इसका मतलब तो यही निकलता है कि यदि अल्प-संख्यक जनता अपने मूल-भूत अधिकारों का प्रयोग करना चाहे, तो उसे सरकार से एक कौड़ी की भी मदद नहीं लेनी चाहिये। और इधर सरकार के पास भी इतने संसाधन नहीं हैं कि वह निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कर सके। तब अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आयेगी कैसे ?

तब अनुच्छेद ३०(१) की इस व्यवस्था का क्या मतलब है कि अल्प-संख्यक जनता अपनी पसंद के स्कूल चला सकती है ?

संविधानकारों का यह मंशा नहीं था। इंगलैंड और अमरीका में जनता को यह मूल भूत अधिकार मिला हुआ है कि सभी नागरिक अपनी इच्छानुसार अपने बच्चों को अपनी पसंद की शिक्षा दे सकते हैं। हमारे यहां भी यह अधिकार तो दे दिया गया है, लेकिन सहायता के साथ लगाई गई शर्तों ने उसे निरर्थक बना दिया है। इसीलिये मैं निर्णय को ग़लत कहता हूं।

मैं यह नहीं कहता कि अल्प संख्यकों को अपने पसंद के स्कूल चलाने के नाम पर मन मानी करने दी जाये, लेकिन राज्य सरकार को उनकी उचित पसंद को तो मानना ही चाहिए। इसीलिये अनुच्छेद ३०(२) में कहा गया है कि राज्य-सरकार अल्प-संख्यकों के स्कूलों को सहायता देने के मामले में भेद-भाव नहीं कर सकती ।

हर अनुच्छेद की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिये कि वह अन्य व्यवस्थाओं से मेल खा सके । उच्चतम न्यायालय के निर्णय में अनुच्छेद ३०(२) की भावना को बिलकुल अनदेखा कर दिया गया है।

इस निर्णय के अनुसार यदि अल्प-संख्यकों का कोई स्कूल अपनी पसंद का चुनाव करना चाहे तो उसे सरकारी सहायता नहीं लेनी चाहिये। यह तो सहायता देने में भेद-भाव करना हुआ। संविधान-कारों का यह आशय नहीं था।

मैं चाहता हूं कि माननीय गृह-कार्य मंत्री इस पर गौर करें और अनुच्छेद ३०(२) का स्पष्टी-करण करें। इसका स्पष्टी करण आवश्यक है।

श्री हेडा (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय , मैं गृह-मंत्रालय का ध्यान इस समस्या की ओर खींचना चाहता हूं कि पहले कभी पैदा नहीं हुई है और मेरे ख्याल में उस के बारे में ज्यादा

पता भी नहीं होगा। स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमिशन (राज्य पुनर्गठन आयोग) ने कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप रखे थे। मैं उनका अनुबाद भाषावार ग्रुप करना चाहता हूं। मैं इस विषय में बोलने के लिये अपने आप को इस लिये उपयुक्त पाता हूं कि स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन का जो सम्बन्ध रहा है वह भूतपूर्व हैदराबाद राज्य से विशेष रहा है। वहां का रहने वाला होने की वजह से, प्रतिवेदन को समझ कर और बहुत नजदीक से अध्ययन करने के कारण मैं समझता हूं कि इस के ऊपर ध्यान दिलाना मेरे लिये बहुत आवश्यक होगा। पुनर्रचना के पूर्व हैदराबाद राज्य में तीन भाषायें बोली जाती थीं, और इस की वजह से काफी कठिनाई मालूम होती थी। लेकिन पुनर्रचना के बाद जो नये प्रकार के राज्य बने उनके कारण हमारे देश की जनता को बहुत बड़ी संख्या में, ९५ या ९९ परसेन्ट तक की संख्या में काफी लाभ हुआ। उन को अपनी भाषा में अपना सारा कारोबार करने की सहूलियत पैदा हुई। यह एक बहुत बड़ा लाभ था और इसको सब तरफ देखा जा रहा है। क्या आंध्र प्रदेश, क्या बम्बई और क्या मैसूर, जो भी भाग वहां गये हैं वे भी इस लाभ को देख रहे हैं। अगर उन्हें कुछ छोटी मोटी कठिनाइयां मालूम हुई या उलझनें मालूम हुई तो मैं समझता हूं कि वह सिर्फ कुछ समय के लिये ही हैं और थोड़े दिनों में वे लोग उन को भूल जायेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पांच या दस साल बाद वे उन कठिनाइयों को जरा भी महसूस नहीं करेंगे और अपने अपने स्थान पर वे पूरी तरह से तरक्की के काम करते चले जायेंगे।

यह सब कहने के बाद जो एक चीज पैदा हुई है उस की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब भी कभी दो भाषायें एक जगह मिलती हैं तो वहां पर कोई लकीर खींचना संभव नहीं होता जहां पर कि यह कहा जा सके कि इस जगह पर एक भाषा बन्द हो जाती है और दूसरी भाषा शुरू हो जाती है। एक ऐसी बेल्ट होती है, हिस्सा या पेटी होती है जिस के अन्दर दोनों भाषायें लगभग समानता के साथ बोली जाती हैं। पिछले जनरल एलेक्शन के समय एक अजीब सा तजुर्बा हुआ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक हिस्सा ऐसा था जहां मराठी, तैलगू और कन्नड़ तीनों भाषायें बोली जाती थीं। प्रायः यह हुआ कि जब हम लोग अपने निर्वाचन कार्य में गये तो हम में से किसी ने तेलगू में बात की, किसी ने मराठी में बात की और किसी ने कन्नड़ में बात की वहां के लोगों से। जहां पर भी हम गये वहां के लोग न सिर्फ तीनों भाषायें समझ लेते थे बल्कि जिन्होंने उन से मराठी में बात की उन को उन्होंने मराठी में जबाब दिया, जिन्होंने तैलगू में बात की उन से तैलगू में बात की और जिन्होंने कन्नड़ में बात की उन से उन्होंने कन्नड़ में उन का जबाब दिया। हम ने उन से पूछा कि आखिर तुम तीन तीन भाषायें कैसे सीख पाये क्योंकि हम लोग जो एक भाषा जानते हैं उन को दूसरी भाषा के सीखने में कठिनाई मालूम होती है। उन्होंन कहा कि हम ने यह कैसे किया इस का सवाल ही पैदा नहीं होता है। स्थायी तौर पर हम ने उन भाषाओं को सुना और सीखा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर कोई ऐसी लकीर नहीं खींची जा सकती जहां पर हम यह कह सकें कि यहां पर फलां भाषा खत्म हो जाती है और दूसरी भाषा शुरू हो जाती है। यह समस्या जो है उसकी तरफ हमारे स्टेट्स रिआर्गेनाइजशन कमिशन ने अपनी रिपोर्ट के पैरा ७५८ में खास तौर ध्यान दिलाया था। उस में उन्होंने कहा कि विभिन्न भाषाओं के जोनों के बीच-बीच में कई दो भाषीय क्षेत्र हैं।

जो एक भाषा बोलने वाले हिस्सों, यानी यूनिलिंग्वल हिस्सों, में दूसरी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनकी बातें तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं कि बार्डर के ऊपर जहां पर कि सीमा होती है, वहां पर दोनों भाषाओं के बोलने वाले लोग मौजूद होते हैं। पहले चूंकि दोनों भाषाओं के बोलने वाले लोग होते थे एक जगह पर इस लिये विशेष कर शैक्षणिक संस्थाओं में दोनों भाषायें चलती थीं। ऐसे कई तहसील और ताल्लुके के गांव थे जहां मराठी हाई स्कूल थे और साथ ही साथ तैलगू के भी हाई स्कूल थे या जहां पर कन्नड़ हाई स्कूल भी थे और

[श्री हेडा]

साथ ही साथ मराठी हाई स्कूल थे। स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन के बाद यह हुआ कि जो भाग जिस हिस्से में चला गया उस में उसने अपनी भाषा के हाई स्कूल तो कायम रक्खे और दूसरी भाषाओं के हाई स्कूल बन्द कर दिये। और अगर अपनी भाषा का हाई स्कूल नहीं था तो पहले जिस भाषा का स्कूल था उस को ही अपनी भाषा के स्कूल में परिवर्तित कर दिया। आप कल्पना कीजिये, अगर एक बच्चा नवें या दसवें क्लास में पढ़ता है, उसकी मातृ भाषा एक विशेष भाषा है, मराठी हो या तैलगू हो, उस में वह पढ़ कर आया है। एकाएक १लो नवम्बर की तारीख आती है और उस से कहा जाता है कि अब तक चाहे तुम मराठी में पढ़ रहे हो लेकिन अब उसके बजाय तुम तैलगू में पढ़ना होगा या कन्नड़ में पढ़ना होगा, तो क्या हर्ष होगा? यह नहीं कि वह बच्चा उस भाषा को बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन यह स्पष्ट है कि उस भाषा को बहुत थोड़ा जानता था। इस लिये उसे काफी असुविधा हुई है। उस असुविधा को काफी आसानी से दूर किया जा सकता था। राष्ट्रीय भावना को ध्यान में रखते हुए मैं यह उम्मीद रखता था कि जहां पर इस प्रकार की शिक्षा संस्थायें मौजूद हैं, सरकारी हाई स्कूल मौजूद हैं, उन को कायम रक्खा जायेगा और अगर वहां की प्रादेशिक भाषा की शिक्षा संस्था नहीं है तो उस को स्थापित किया जायेगा। खुद मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में एक भाग ऐसा है जो तक्रीबन मराठी बोलता है और वह आंन्ध्र प्रदेश में आया है।

वह छोटा सा हिस्सा २५, ३० गांवों का मराठी बोलने वाला है, बाकी का सारा हिस्सा तैलगू बोलने वाला था, ७० फी सदी से ज्यादा हिस्स तैलगू बोलने वालों का था और इस लिये वह तैलगू के हिस्से में आया। खुद मराठी बोलने वाले उसे नाराज नहीं हैं, खुश हैं। लेकिन वहां जो स्कूल वगैरह आ गये उन में मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षा का माध्यम बदल कर मराठी से तैलगू हो गया। इस की वजह से बहुत असुविधा पैदा हुई। न सिर्फ बच्चों को बल्कि बच्चों से ज्यादा असुविधा पैदा हुई शिक्षकों को। एक चीज तो इस के अन्दर यह पैदा हुई।

दूसरी बात का जिक्र इस पैराग्राफ में किया गया है कि हर भाषा के क्षेत्र के अन्दर कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो दूसरी भाषाओं के पाकेट्स माने जा सकते हैं। ऐतिहासिक कारणों से हमारे कुछ ऐसे स्थान हैं जिन के लिये यह कहना मुश्किल होता है कि वे किस भाषा के स्थान हैं। उदाहरण के तौर पर मैं शहर बीदेर का जिक्र करना चाहता हूं। बीदर को आप जानते हैं, दक्षिण की दिल्ली कहा जाता था। ऐतिहासिक दृष्टि से यह सम्पन्न शहर रहा है और बहुत दिनों तक एक बड़े साम्राज्य की राजधानी रहा है। इस शहर के अन्दर स्थायी तौर पर मराठी बोलने वालों का, कन्नड़ बोलने वालों का, तैलगू बोलने वालों का और उर्दु बोलने वालों को काफ़ी बड़ा स्थान है। किसी एक भाषा बोलने वालों की इतनी संख्या नहीं है जो कि कहा जा सके कि इसकी मैजारिटी है। यह शहर मैसूर में चला गया। कोई बात नहीं लेकिन होता क्या है। उस शहर की परिस्थिति ऐसी है कि उस से केवल साढ़े तीन मील पर आन्ध्र देश की सीमा प्रारम्भ होती है, इसलिये वहां तेलगू बोलने वालों की संख्या काफ़ी है। पास ही महाराष्ट्र की सीमा है। इसलिये मराठी बोलने वालों की संख्या भी काफी है, और इसी तरह से कन्नड़ और उर्दु बोलने वालों की संख्या भी काफी है। लेकिन वहां यह होता है कि शैक्षणिक संस्था की भाषा को एक दम बदल दिया जाता है। यह ठीक है कि वह भाषा भी वहां अलोकप्रिय नहीं थी, लेकिन एक दम इतना बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं थी। होना यह चाहिये था कि जहां भी जो शैक्षणिक संहस्थायें पहले से जिन भाषाओं में चल रही थीं उन्हीं भाषाओं में चलती रहने दी जाती और उस राज्य की भाषा के नये हाई स्कूल खोल दिये जाते तो बहुत अच्छा होता।

एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं ने यह पहले भी कहा है कि यहां कोई समस्या पैदा नहीं हुई है और उसका पैदा न होना ही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ दुःख या दर्द होता है तो उसको दूर करने का काम हम लोगों के ऊपर होना चाहिये। जब पुनर्रचना का काम किया जा रहा था तो यह बात सोची गयी थी और हर जगह के लिये अलग अलग व्यवस्था की गयी थीं। जहां तक हैदराबाद का सम्बन्ध है वहां यह सोचा गया था कि जो रेवेन्यू सरकिल है उसको एक इकाई माना जाये और उस भाग में अगर ७० प्रतिशत लोग एक भाषा के बोलने वाले हों तो उसको उस भाषा बोलने वाले जिले के साथ चला जाना चाहिये। और ऐसा न हो तो उस भाग को उस तालुके के साथ जाना चाहिये जहां कि उसका जाना निश्चित किया जाये। इस नियम से अच्छा काम हुआ। आप देखेंगे कि हैदराबाद असेम्बली में इस विषय पर जो विवाद हुआ वह बहुत अच्छा हुआ कोई जहर नहीं उगला गया और सारा काम मिठास से हुआ। यही नहीं बल्कि वह भाग जो कि एक मराठी जिले में था, जिसका निर्वाचित सदस्य मराठी बोलने वाला था, उसने खुद कहा कि इस भाग के अन्दर ७० प्रतिशत से ज्यादा लोग चूंकि तेलगू बोलने वाले हैं इस लिए यह भाग आन्ध्र प्रदेश में जाना चाहिये। और मैं आपसे यह भी अर्ज करता हूं कि बहुत दिनों तक हमें यह पता नहीं था कि यह भाग विशेष कर तेलगू बोलने वाला भाग है। तब इतने मिठास के साथ यह सारा काम हुआ। लेकिन उसके बाद अब हम देखते हैं कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से बदमजवी पैदा हुई और इस से लोगों में रंजिश पैदा हुई और उसकी वजह से समस्या पैदा हुई, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस भाग की मैं बात कर रहा हूं वह कुछ तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है और कुछ उसके बाहर है। मैं वहां गया। वहां के लोगों ने हम से कहा कि अगर आपकी इस में शंका है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है या नहीं तब तो दूसरी बात है, लेकिन जब आप देखते हैं कि एक हिस्सा ऐसा है कि जो किसी वजह से ऐसे भाग से मिला दिया गया है जिस से भाषा के लिहाज से नहीं मिलना चाहिय था, तब तो उस अन्याय की तरफ आपको बगैर हमारे आन्दोलन किये या बगैर हमारे मांग किये, ध्यान देना चाहिये था। लेकिन इस प्रकार की कोई कार्यवाही होती दिखाई नहीं देती। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इस समस्या को पुनः खोलने का काम कोई अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। हर एक आदमी समझता है कि न मालूम इसकी वजह से क्या संकट झंझट पैदा हो जायेगा और कौन सा जहर निकलेगा जो हमें पीना पड़ेगा। इसलिए इसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं डाली गयी और मैं समझता हूं कि यह अच्छा ही हुआ। क्योंकि अगर किसी के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली जाती तो उसे परेशानी होती। लेकिन चूंकि वहां पर लोगों की यह शिकायत है, इसलिये मैं चाहता हूं कि जब तक यह एक समस्या का रूप न ले पावे तभी तक हमको इसकी तरफ ध्यान देकर इस शिकायत को दूर कर देना चाहिये।

हैदराबाद में एक और अच्छी चीज हुई है वहां पर स्टैटिस्टिक्स विभाग को यह काम दिया गया था कि वे एक एक ताल्लुका और तहसील के अन्दर ही नहीं बल्कि एक एक गांव में जा कर पता लगावें कि वहां किन भाषाओं के बोलन वालों की ज्यादा संख्या है। अगर किसी गांव में किसी भाषा के बोलने वाले ५० प्रतिशत से ज्यादा हों तो मारजिन में एक विशेष रंग से निशान लगा दें। मराठी के लिये एक रंग रखा गया, तेलगू के लिये दूसरा रंग रखा गया, कन्नड़ के लिए तीसरा रंग रखा गया और उर्दू के लिए चौथा रंग रखा गया। और ऐसे गांवों के लिये जहां किसी भाषा की मैजारिटी न हो पांचवां रंग रखा गया। इस प्रकार वहां भाषा की जांच की गयी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ तहसीलों में बीस बीस पच्चीस पच्चीस ऐसे गांव एक साथ आ गये हैं जो भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले हैं।

उनको दूसरे ताल्लुके में जाना चाहिये था। लेकिन उस वक्त यह डर लग रहा था कि अगर इस मामले की गहराई में जायें तो कहीं रंजिश पैदा न हो जाये और मिठास भंग न हो जाये। इसलिये उनको रोकने की कोशिश की गयी। लेकिन परिणाम यह हुआ कि इस वजह

[श्री हेडा]

से कुछ रंजिश हो गयी। अगर इस मामले को खुद लिंग्विस्टिक माइनारिटीज उठायें तो अच्छा नहीं होगा। उससे कठिनाई पैदा होगी और मैं समझता हूं उन कठिनाइयों का स्टेट्स रिआर-गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पैरा ७१९ और ७६८ में जिक्र किया है और कहा है कि इन भाषावार समुदायों को यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिये क्योंकि इससे उनका खुद नुकसान हो सकता है तो मैं यह चाहता हूं कि यह ठीक है कि वे लोग इस बात को न उठायें लेकिन हमको इस चीज को देखना चाहिये।

मेरी इस सम्बन्ध में कुछ बड़े जिम्मेदार लोगों से बात हुई और वे इस चीज को, मानते हैं कि हमें दूसरी भाषा बोलने वालों के साथ बहुत उदारता का व्यवहार करना चाहिए लेकिन जब कायदे कानून वगैरह को देखते हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं दिखायी देती। मैं समझता हूं कि जो हमारे सरविस रूल्स हैं उनमें हमें एक यह रूल रखना चाहिए कि जो लोग सरविस में लिए जायें वे वहां बोली जाने वाली भाषा तो जानें ही, पर जो दूसरी भाषा भी जानते हों उनको प्रिफरेंस दिया जाये। इससे वे दूसरी भाषा भी सीखेंगे और उनको फायदा भी होगा जो दो भाषायें जानते हैं। मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान दिया जायेगा।

मैं समझता था कि जो जोनल काउंसिल्स बनी हैं उनसे हमारी समस्यायें सुलझेंगी। लेकिन जिस भाग की तरफ मैंने ध्यान दिलाया है उसको अभी तक इन काउंसिल्स से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। केरल, आन्ध्र और मद्रास को एक जोन में रखा गया है, लेकिन हमारे राज्य की सीमायें केरल और मद्रास के साथ तो थोड़ी ही है लेकिन मैसूर और बम्बई राज्य के साथ ज्यादा दूर तक हैं। तो मैं समझता हूं कि दूसरी जोनल काउंसिल भी इस तरफ ध्यान देगी और ऐसे नियम बनाने की कोशिश करेगी कि जिनसे बार्डर डिसपैरिटीज (असमानतायें) भी हल हो जायें और शिक्षण की और दूसरी सुविधायें भी भाषावार समुदायों को मिल जायें जो कि उनको मिलनी चाहिए।

श्री लक्षमन सिंह (नामनिर्देशित–अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह): मिस्टर डिप्टी स्पीकर, सर, ...

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जरा आगे आ जायें, तो अच्छा होगा। अन्दमान से चले हैं, तो दिल्ली में आ जाइये।

श्री लक्षमण सिंह : यह मेरा पहला मौका है।

मैं अन्दमान तथा निकोबार द्वीप के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इन द्वीपों को लोग काला पानी कहा करते थे। और अभी भी कई लोग वहां पर जाने से डरते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अब वह काला पानी नहीं रहा, बल्कि अब वह काला पानी बड़ा सुन्दर हो गया है। इसमें तो शक नहीं है कि जब ये द्वीप जेरे–हुकुमत बर्तानिया थे, तो उन्होंने इन द्वीपों की तरक्की के लिए कोई खास ध्यान नहीं दिया, बल्कि हम लोगों को अन्धेरे में रखने की कोशिश की। लेकिन आज में बड़े फख्र से कहना चाहता हूं कि जब से ये द्वीप हमारी भारत सरकार के जेरे–साये हुए हैं, तब से वहां काफी तरक्की हुई है, जिसके लिए मैं अपनी सरकार का आभारी हूं। लेकिन मैं फिर भी अपनी भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इन द्वीपों की ओर भी ज्यादा तरक्की के लिए ध्यान दे, क्योंकि ये देश का एक कीमती हिस्सा है। अन्दमान की जनता ने विदेशी राज्य में काफी दुःख उठाए हैं। इस लिए उनकी तरक्की के लिए सरकार को काफी ध्यान देना चाहिए। अब मै आपके सामने वहां के चन्द मसले पेश करता हूं।

वहां का पहला मसला पानी का है। अन्दमान में पानी की सख्त किल्लत है। इसलिए मैं सरकार से विनती करूंगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी पानी का प्रबन्ध कर दिया जाये। वहां पर एक दलथमन टैंक है, जो कि वहां पानी का मेन सोर्स है। वह लीक करता है, लेकिन उसके लीकेज को बन्द करने का अब तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। मैं यह सुझाव पेश करता हूं कि बारिश के दिनों में पानी को स्टोर कर लिया जाय और पानी को स्टोर करना अन्दमान में बड़ा आसान तरीका है। पानी की कमी होने की वजह से वहां की जनता को बहुत तकलीफ महसूस होती है।

अन्दमान में आई स्पैशलिस्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी की आंख खराब हो जाये, तो उसको कलकत्ता या मद्रास आना पड़ता है। इस वजह से गरीब लोगों का बहुत रुपया खर्च होता है। कई लोग कर्ज लेकर आंख बनवाने के लिए मद्रास आते हैं और आंख बनवा कर वापस चले जाते हैं। इसलिए मैं अपनी सरकार स बिनती करूंगा कि वहां पर एक आई स्पैशलिस्ट भेजने का प्रबन्ध किया जायें।

अन्दमान में एक कालेज का होना बहुत जरूरी है। वहां के बच्चे कलकत्ता में पढ़ने के लिए आते हैं और उनको बहुत सा रुपया खर्च करना पड़ता है। एक मर्तबा का जिक्र है कि १९५३ में कांग्रेस एम० पीज़० का एक डेलीगेशन अन्दमान में गया और उन्होंने वहां की जनता को यकीन दिलाया कि हम अन्दमान में एक कालेज खुलवायेंगे। लेकिन अब १९५९ भी लग गया है और कालेज का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है। मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन सब बातों को मद्दे-नजर रख कर वहां पर एक कालेज जल्दी से जल्दी बना दिया जाये। यह तो सब जानते हैं कि अन्दमान एक एजूकेशनली बैकवर्ड एरिया है और हिन्दुस्तान का बहुत कीमती हिस्सा है। इसलिए वहां की हर बात पर सरकार को खास ध्यान देना चाहिए।

अन्दमान में कई गांवों में पक्की सड़क नहीं है, जिसकी वजह से जनता को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं जब अन्दमान में रहता हूं, तो वहां की जनता हमेशा मेरे पास शिकायत लेकर आती है कि हम लोगों को सड़कें न होने की वजह से बहुत परेशानी होती है। अन्दमान में तो मिट्टी और पत्थर की कोई कमी नहीं है। फिर क्या कारण है कि वहां पर सड़कें नहीं बनाई जातीं। इसलिए मैं अपनी सरकार से विनती करूंगा कि वह इस तरफ भी ध्यान दे।

अन्दमान में एयरोड्रोम का बनाना बहुत जरूरी है। बन तो रहा है, लेकिन इस पर काफी जोर शोर से ध्यान देना चाहिए, ताकि लोग हवाई जहाज के जरिये वहां से आ जा सकें। अभी वहां पर हवाई जहाज का कोई प्रबन्ध नहीं है, क्योंकि वहां एयरोड्रोम नहीं है। अभी तो वहां जाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम समुद्री जहाज से जायें, जिस में जाने से सफर में चार दिन लगते हैं। अगर वैदर खराब हो, तो ज्यादा दिन भी लग जाते हैं। इसलिए मैं अपनी सरकार से बिनती करूंगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी एयरोड्रोम बना दिया जाये।

निकोबार में जेटी का होना बहुत जरूरी है, ताकि मुसाफिर लोग आराम से जहां पर से उतर सकें। जेटी न होने की वजह से मुसाफिरों को बहुत तकलीफ होती है। अभी जनवरी महीना का जिक्र है कि डिप्टी मिनिस्टर, श्रीमती वायलेट आल्वा, निकोबार में पधारी थीं। वापसी के वक्त वह और उनके स्टाफ के लोग कैनो से समुद्र में गिर गए, क्योंकि वहां समुद्र बहुत गर्म था। अगर वहां पर जेटी होता, तो यह मामला दरपेश न आता। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वहा पर जेटी बनाने का प्रबन्ध किया जाये और मैं श्री वायलेट आल्वा का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि वह डेढ़ हजार मील की यात्रा की परवाह न करते हुए बंगाल खाड़ी को पार करते हुए अन्दमान तथा निकोबार में जा पहुंची और उन्होंने वहां की देख-भाल की। मुझे आशा है कि वह वहां के डेवलेटमेंट के सिलसिले में काफी कोशिश करेंगी।

[श्री लक्ष्मणसिंह]

पंडित जी और पन्त जी का वहां पर जाना बहुत जरूरी है। जब मैं वहां जाता हूं, तो वहां की जनता मुझ से यह इल्तजा करती है कि हम लोगों ने क्या कसूर किया है कि पंडित जी और पन्त जी हमारे यहां नहीं आते हैं, जब कि बाकी प्रान्तों में वे जाते हैं। इससे मालूम होता है कि वे हमें बिल्कुल भूल बैठे हैं। इस लिए मैं पंडित जी और पन्त जी से प्रार्थना करूंगा कि वह जल्द से जल्द अन्दमान में तशरीफ लायें, ताकि वहां के लोगों को तसल्ली हो। वे लोग हमेशा यही शिकायत करते हैं।

अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह बता देना चाहता हूं कि वहां जाने में हमारे लोगों को कोई खतरा नहीं है। वह देश बड़ा सुन्दर है, जिसका सबूत श्रीमती वायलेट आल्वा दे सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो बतलाया है कि वहां पर खतरा है।

श्री लक्ष्मण सिंह : इसलिए कि वह वहां पर डूबने लगी थीं।

मैं लोक सभा के मेम्बरान से भी यह इल्तजा करूंगा कि वे भी जाकर अन्दमान की सुन्दर भूमि को देख आयें। क्योंकि यह उनकी एक पुरानी जगह है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** (नासिक): मैंने भी कुछ कटौती प्रस्ताव रखे हैं।

देश में अनुसूचित जातियों के लोगों की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। १९३२ में पूना पैक्ट के अवसर पर, गांधी जी सहित, देश के सभी नेताओं ने स्वर्गीय डा० अम्बेदकर और अनुसूचित जातियों के लोगों को आश्वस्त किया था कि दस वर्ष के अन्दर देश से अस्पृश्यता दूर कर दी जायेगी। लेकिन आज २७ वर्ष के बाद भी उसका दूर होना तो क्या हालत और भी बिगड़ती जा रही है। इसके लिये दलील यह दी जाती है कि युगों पुरानी प्रथाओं को मिटाने में समय लगता ही है। तब फिर इन शासकों के पिता महों द्वारा दस वर्ष का आश्वासन क्यों दिया गया था? उसे पूरा करना सरकार का दायित्व है। सरकार इसके लिये क्या कर रही है? १९५९ म भी अस्पृश्यता बड़े जोरों पर चल रही है।

आज भी अनुसूचित जातियों के विवाहों में वर-बधू को ढोला-पालकी में बैठकर सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता। इसके बारे में प्रश्न पूछे जाने पर सरकार ने स्वीकार किया था कि १४ जनवरी, १९५९ को टेहरी गढ़वाल के एक गाँव में हरिजनों की एक बारात को ढोला पालकी के साथ इसलिये नहीं निकलने दिया गया था कि सवर्ण हिन्दुओं ने उस पर आपत्ति की थी। फिर वह बारात इक्कीस दिन बाद, पुलिस के हस्तक्षेप के बाद, ही निकल सकी थी। अब कीर्तिनगर के सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट ने २७ व्यक्तियों के नाम वारंट निकाले हैं और उत्तर प्रदेश सरकार अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की सोच रही है।

आज भी अनुसूचित जातियों के लोगों को अपने घरों के सामने चारपाइयों पर नहीं बैठने दिया जाता। इस वर्ष २५ जनवरी को एक चमार श्री केवल के सम्बन्धियों और उसे खुद भी को ठाकुरों ने इसलिये बुरी तरह पीटा कि उसके कुछ अभ्यागत सम्बन्धी बाहर चारपाई पर बैठे थे। उससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसके बाद आक्रमणकारी ठाकुर फरार हो गये। पुलिस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की दफा ४७ और ८८ के अन्तर्गत उनके विरुद्ध वारंट जारी किये। अब उन सबको जेल भेज दिया गया है। उन पर फौजदारी अदालत में मुकदमा चलाया जायेगा। यह सभी सूचना माननीय गृह-कार्य मंत्री ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जुटाई है। अध्यक्ष महोदय ने तो मेरे प्रस्ताव की अनुमति ही नहीं दी थी।

इसी तरह पंजाब के एक जिले--करनाल—में संत रविदास के सम्मान में निकलने वाले हरिजनों के एक जुलूस पर २२ फरवरी, १९५९ को हमला किया गया था। वह हमला ब्राह्मणों ने किया था। उसमें संत रविदास के चित्र को हानि पहुंचाने के साथ-साथ २१ हरिजनों को चोटें भी पहुंचाई गई थीं। उनमें से दो अभी भी अस्पताल में पड़े हैं। आक्रमणकारियों पर पुलिस मुकदमा चला रही है। मुझे पता यह चला है कि अभी भी करनाल जिले के उस गांव--पाई--की हालत सामान्य नहीं हुई है। डाक्टरों ने घायल हरिजनों के साथ मानवीय बर्ताव नहीं किया।

लेकिन सरकार का कहना है कि वहां की स्थिति अब सामान्य हो गई है।

लेकिन, दुःख तो यह है कि न्यायालयों में भी हमारे साथ उचित बर्ताव नहीं किया जाता। मेरे पास ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद हैं। एक उदाहरण लीजिये। नासिक जिले के कोनम्बा गांव में एक हरिजन एक मंदिर के पास से जा रहा था। इस पर क्रुद्ध होकर मंदिर के पुजारी ने उसपर पत्थर बरसाये, जिस से वह अचेत हो गया। पुलिस ने हरिजन की शिकायत पर कुछ भी नहीं किया। न्यायालय में मुकदमा चलने पर ४० सुनवाइयां हुईं, लेकिन पुजारी एक बार भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। लेकिन न्यायाधीश ने उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की।

मैं ने इस मामले में माननीय गृह-कार्य मंत्री से पत्र-व्यवहार किया है। उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि पुजारी ने १ जनवरी, १९५५ को उस हरिजन को एक पत्थर मारा था। उस की शिकायत तो दर्ज कर ली गई थी, लेकिन उस पर विधि के अनुसार पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर सकती थी। इसी लिये उस हरिजन को न्यायालय की शरण लेने के लिये कहा गया था। पुजारी के न्यायालय में उपस्थित न होने पर, उस के विरुद्ध २३ अगस्त, १९५६ को न्यायाधीश ने एक वारंट निकाल दिया था। पर पुजारी वहां मिला नहीं। शिकायत करने वाला हरिजन भी १६ सुनवाइयों में न्यायालय नहीं आया था, और चूंकि २१ नवम्बर, १९५५ के बाद से वह लगातार ८ सुनवाइयों में हाजिर नहीं हुआ, इसलिये ६ अप्रैल, १९५७ को उसकी शिकायत खारिज कर दी गई थी।

वह हरिजन कुछ सुनवाइयों में इस लिये हाजिर नहीं हो सका था कि उस के घर से न्यायालय तक का फासला १०–१२ मील है।

मैं ने खुद वहां जाकर देखा है कि वह पुजारी गांव में था। फिर भी पता नहीं क्यों उसे गिरफ्तार नहीं किया गया और वारंट लौटा दिया गया था। मैं ने पुलिस सुपरिन्टेडेण्ट को भी यह बताया था। मैं आप को बताऊं कि न्यायाधीश स्वयं उस हरिजन से बार-बार कहते रहे थे कि समझौता करलो।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हो सकता है कि न्यायाधीश ने सामान्यतः यह बात कही हो। माननीय सदस्य को न्यायालयों पर इस प्रकार के आक्षेप नहीं करने चाहिये। माननीय सदस्य अभी कुछ समय पहले अध्यक्ष पर आक्षेप कर ही चुके हैं कि उन के प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी गई थी। अध्यक्ष तो सिर्फ नियमों के अनुसार ही किसी प्रस्ताव की अनुमति दे सकते हैं।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : आप से मैं यह कह रहा था कि अभियुक्त ४० सुनवाइयों में से एक में भी हाजिर नहीं हुआ था।

मेरे पास रोज ऐसी सैकड़ों शिकायतें आती रहती हैं। केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य है कि वह संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार अनुसूचित जातियों के लोगों को संरक्षण दे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भा० कृ० गायकवाड़]

हरिजनों को परेशान किये जाने की भी बहुत सी शिकायतें आती रहती हैं।

अब अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों की नियुक्तियों का प्रश्न लीजिये। उस सम्बन्ध में यह दलील दी जाती है कि पदों के लिये अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण ही उन की पूर्ति नहीं की जाती। संघ लोक सेवा आयोग किस तरह की उपयुक्तता चाहता है। काम दिलाऊ दफ्तरों में अनुसूचित जातियों के १,१३,७५७ गैर-मैट्रिक, १४,६७८ मैट्रिक और ग्रेजुएट लोगों के नाम पंजीयित हैं। लेकिन श्री दातार ने उत्तर दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग ने उनको उपयुक्त नहीं समझा।

लेकिन आयोग तो सिर्फ सिफारिश करता है। निर्णय तो सरकार ही करती है। तब सरकार उसी अनुपात से उनकी नियुक्ति क्यों नहीं करती ?

अनुसूचित जातियों के जो लोग अभी सरकारी सेवाओं में हैं, पता नहीं क्यों उन की भी पदोन्नतियां रुकी पड़ी हैं।

उदाहरण के लिये, श्री के० एस० काने १२ साल से पुनर्वास विभाग में प्रथम श्रेणी के पद पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब जबलपुर के सहायक बन्दोबस्त आयुक्त श्री लालमणि को दिल्ली में बन्दोबस्त आयुक्त बना दिया गया है। श्री काने,—जो अतिरिक्त बन्दोबस्त आयुक्त थे—को सहायक आयुक्त बनाकर जलंधर भेज दिया गया है। लेकिन उसका कोई कारण भी नहीं बताया गया है। सभी लोग जानते हैं कि श्री काने ईमानदार . . . . .

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : आपने उन की कांफीडेंशल रिपोर्ट देखी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो मैं समझता हूं कि दोनों ने नहीं देखी है और जब नहीं देखी है तो इस तरह का चार्ज (आरोप) लगाना ठीक नहीं है। अगर वह भेजी भी जानी थी तो उस एम्प्लाई को भेजी जानी थी न कि आनरेबल मेम्बर को। जब यह न मालूम हो तो नाम लेकर ऐसी चीजों का यहां लाना, और उन को इस तरह से रिप्रेजेन्ट करना ठीक नहीं है। यह बात भी मिनिस्टर साहब के साथ अलाहिदा में हो सकती है। क्या आपने मिनिस्टर साहब को इस बारे में लिखा ?

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : मैं इस ओर सभा का ध्यान आर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आप से पूछा कि क्या आपने इस केस के बाबत मिनिस्टर साहब को लिखा ?

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : यह अभी कल ही की बात है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तब आपको पहले पूरी बात पता लगा लेनी चाहिये। उस से पहले नाम लेकर इस तरह नहीं कहना चाहिये।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : मैं इन के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। मैं यही चाहता हूं कि सरकार इन की दशा में सुधार करे, अस्पृश्यता दूर करे।

इस के लिये अनुसूचित जातियों को आत्म-निर्भर बनाया जाना चाहिये, और जहां भी हो सके उन को जमीनें दी जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे यह कि उन की अलग बस्तियां और गांव बसाये जायें। मैं उन की अलग 'कालोनी' नहीं चाहता। मैं उन की ऐसी बस्तियां चाहता हूं, गांव चाहता हूं जहां उन्हें किसी की गुलामी न करनी पड़े।

आज गांवों में हरिजनों की दशा गुलामों से भी बुरी है। दक्षिण अफ्रीका की बातें करने से पहले, अच्छा यह हो कि देश के हरिजनों की गुलामी खत्म की जाये।

हरिजनों की हालत तो अमरीकी हब्शियों से भी बुरी है। हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये उन को वह सभी सुविधायें दी जानी चाहियें जो शरणार्थियों को दी गई हैं। उन्हें लोहा, इस्पात, सीमेंट, गल्ले की दूकानों, इत्यादि की अनुज्ञप्तियां दी जानी चाहिये।

अस्पृश्यता दूर करने के लिये, हर रेलवे स्टेशन पर पानी पिलाने वाला हरिजन ही नियुक्त किया जाना चाहिये। उनको चाय पिलाने का काम सौंपा जाना चाहिये। यदि आप को उपयुक्त हरिजन न मिलें, तो आपका काम है कि उन को प्रशिक्षित किया जाये।

†**श्री मणियंगाडन** (कोट्टयम) : गोलीकांड की जांच करने के लिये नियुक्त केरल के मुख्य न्यायाधीश, श्री शंकरन ने अपने जांच प्रतिवेदन में संक्षिप्ततः यह लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद १६१ के अधीन यद्यपि राज्यपाल को और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ४०१ तथा ४०२ के अधीन राज्य सरकारों को क्षमादान, तथा दण्ड कम करने के अधिकार दिये गये हैं परन्तु केरल में इन अधिकारों का जितनी उदारता से प्रयोग किया गया है उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने का भय है कि राजनैतिक दलों के सदस्यों को उन के दल के सत्तारूढ़ हो जाने पर क्षमा मिल जाती है तो वह किसी भी प्रकार का अपराध करने पर उतारू हो सकते हैं। इसलिये राजनैतिक दलों को इस बात को समझना चाहिये तथा संसद् में संविधान के अनुच्छेद १६१ तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ४०१ तथा ४०२ के उपयुक्त संशोधन किये जाने चाहियें।

केरल के विधि मंत्री ने भी विधान सभा में यह स्वीकार किया है कि केरल में अपराध बढ़ रहे हैं। इसलिये मेरा गृह-कार्य मंत्रालय से अनुरोध है कि वह न्यायाधीश शंकरन के सुझाव पर विचार करें, और संविधान के अनुच्छेद १६१ तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ४०१ तथा ४०२ में संशोधन करने का विधान प्रस्तुत करें जिस से राजनैतिक दलों के सदस्य मनमानी करने में थोड़ा डरें।

केरल के उच्च न्यायालय में हाल में ही एक मुकदमे का जिसमें मजिस्ट्रेट के मुकदमा वापस लिये जाने के आदेशों के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी, निर्णय देते हुए न्यायाधीशों ने कहा था कि एक दल द्वारा चुनाव की जीत का हर्षोल्लास प्रकट करने के लिये किसी विरोधी दल के समर्थक को मारना पीटना, उन की हड्डियां तोड़ना आदि कृत्यों को कभी भी ठीक नहीं समझा जा सकता है। इसलिये हम याचिकादाताओं की याचिका की अनुमति देते हुए त्रिचूर के जिलाधीश को निदेश देते हैं कि वह स्वयं अथवा किसी अन्य मजिस्ट्रेट से इस मुकदमे की सुनवाई करायें।

मैं इस प्रकार के कितने ही मामलों का उदाहरण दे सकता हूं। केरल में आज मजिस्ट्रेट, राज्य नीति को ऐसी समझ कर याचिकादाता को बिना बताये ही इस प्रकार के मुकदमों को वापस लिये जाने के आदेश दे देते हैं।

केरल सरकार ने पुलिस के आचरण की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी। मुझे इस समिति की नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु मैं चाहता हूं कि सभा इस प्रश्न पर अवश्य

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मणियंगाडन]

विचार करे कि क्या राज्य सरकार इस मामले पर विचार करने के लिये समिति नियुक्त कर सकती है। मैं तो यह समझता हूं कि यह मामला केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है क्योंकि इसका सम्बन्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा से है।

दक्षिण खण्ड की खण्डीय परिषद् में दक्षिण खण्ड के लिये एक पुलिस रखने का प्रश्न उठाया गया था। इसका विरोध एक राज्य ने किया था। मैं समझता हूं कि इस सुझाव को अवश्य क्रियान्वित किया जाना चाहिये जिस से हमारे राज्य में केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारियों को जो धमकियां दी जाती हैं वह न दी जायें और वह एक राजनैतिक दल के प्रभाव में न आयें। पैसा इकट्ठा करने के सम्बन्ध में भी धमकियां दी जाती हैं और वहां की जनता से जबरदस्ती राजनैतिक दल को पैसा दिलाया जाता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि मैं इस प्रकार की बातों को यहां पर कहने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : श्रीमान्, मुझे याद है कि विरोधी पक्ष के एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत एक स्थगन प्रस्ताव पर विचार करते समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि किसी राज्य में संविधान के उपबन्धों के अनुसार प्रशासन न होने पर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को संविधान के उपबन्धों के अनुसार प्रशासन चलाने के आदेश दे सकती है और इस लिये यदि किसी राज्य में संविधान के अन्तर्गत दी गई व्यवस्था टूट गई हो तो वहां के प्रशासन के मामलों को यहां पर उठाया जा सकता है। मेरे मित्र भी केरल राज्य में प्रशासनिक कार्यवाहियों, न्यायायिक अव्यवस्था, जनता को मारने पीटने के मामलों का जिक्र कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रकार की घटनाओं को इस समय बता कर माननीय मंत्री का ध्यान वहां के न्याय प्रशासन की ओर आकर्षित करा रहे हैं और उनका ऐसा कराना उचित है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य की सम्मति से सहमत नहीं हूं। जैसा माननीय सदस्य ने बताया वैसा करना तभी उचित होता है जब राज्य की सांविधानिक अव्यवस्था के बारे में कोई विशेष प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत हो। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह इस प्रकार की बातें न करें।

†**श्री मणियंगाडन** : मैं तो यह चाहता था कि संविधान के अनुच्छेद २५७ के अधीन माननीय गृह-कार्य मंत्री को राज्य सरकार को आदेश देने चाहिये कि संविधान के उपबन्धों को लागू किया जाये जिस से प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग कर सके।

मैं विधि आयोग की इस सिफारिश से पूरी तरह सहमत हूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्य सरकार अथवा राज्यपाल की राय न ली जाकर, उच्च न्यायाधीश की राय ली जानी चाहिये।

केरल की पाठ्य पुस्तकों के बारे में बहुत सी शिकायतें हैं। इस की जांच के लिये केरल सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। परन्तु मैंने सुना है कि राज्य सरकार उस प्रतिवेदन को प्रकाशित कराना नहीं चाहती है क्योंकि उस में राज्य सरकार के विरुद्ध कुछ कहा गया है। मेरी गृह-कार्य मंत्री से प्रार्थना है कि उस प्रतिवेदन की एक प्रति मंगवा कर उस में बताई गई बातों पर विचार करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४६	३१८	श्री वारियर	उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालयों में नियुक्तियां	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
४६	३१९	श्री वारियर	संघ के सभी राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की योजना को लागू न करना	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
४६	३२०	श्री वारियर	विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों की स्थायी बैंचें स्थापित करने की आवश्यकता	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
४६	२०१	श्री बै० च० मलिक	प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने में असफलता	१०० रुपये
४६	२१४	श्री ले० अचौ सिंह	विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के पुनर्वास की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	२१५	श्री ले० अचौ सिंह	केस निबटाने में भ्रष्टाचार तथा विलम्ब को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	२१६	श्री ले० अचौ सिंह	सरकारी कर्मचारियों की भरती तथा पदोन्नति के नियमों के पुनरीक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	२१७	श्री ले० अचौ सिंह	संघ राज्य क्षेत्रों में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति	१०० रुपये
४६	२१८	श्री ले० अचौ सिंह	पुलिस व्यय में मितव्ययता की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	२१९	श्री ले० अचौ सिंह	संघ राज्य क्षेत्रों में सेवाओं के पुनर्गठन की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	२६४	श्री फ्रैंक एन्थनी	संविधान के अनुच्छेद ३० के अधीन दिये गये अल्पसंख्यकों के अधिकारों का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४६	३११	श्री कोडियान	त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की स्थायी बैंच बनाने में असफलता	१०० रुपये
४६	३८६	श्री प्र० के० देब	उड़ीसा के बिहार तथा मध्य प्रदेश से सीमा सम्बन्धी विवादों के न्यायनिर्णयन के लिये न्यायाधिकरण नियुक्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	३६०	श्री प्र० के० देब	बिहार में सिंहभूम के सराई खेला, खर्सवान, और सदर संघ डिवीजनों तथा मध्य प्रदेश के रायपुर तथा बस्तर जिलों में उड़िया संस्कृति तथा भाषा का संरक्षण करने के लिये भाषाई अल्पसंख्यक आयोग द्वारा पर्याप्त सुरक्षा देने में असफलता	१०० रुपये
४६	४५७	श्री मो० ब० ठाकुर	समस्त भारत में निरक्षरता तथा आर्थिक दशा के आधार पर कुछ समुदायों को पिछड़े समुदाय मानने में असफलता	१०० रुपये
४६	५०७	श्री पु० र० पटेल	पाकिस्तान की सीमा पर रहने वाले भारतीयों के लिये सुरक्षा व्यवस्था करने में असफलता	१०० रुपये
४६	५०६	श्री पु० र० पटेल	दिल्ली में यातायात विनियमनों को लागू करने में असफलता	१०० रुपये
४६	५६८	श्री पु० र० पटेल	संविधान के अनुच्छेद ३७१(२) के अधीन विकास बोर्ड बनाने की वांछनीयता	१०० रुपये
४६	६३७	श्री बि० दासगुप्त	संविधान के अनुच्छेद ३४७ के अधीन बिहार के सिंहभूम, धनबाद तथा संथाल परगना जिलों में बंगाली को भी सरकारी भाषा बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४६	६३८	श्री बि० दासगुप्त	भाषाई अल्पसंख्यक आयोग को प्रभावोत्पादक बनाने में असफलता	१०० रुपये
४६	६३९	श्री बि० दासगुप्त	बिहार में अहिन्दी भाषा-भाषियों के अधिकारों की रक्षा के लिये सरकार द्वारा आदेश दिये जाने में असफलता	१०० रुपये
४६	६४०	श्री बि० दासगुप्त	प्रशासन से भ्रष्टाचार हटाने में असफलता	१०० रुपये
४६	६४१	श्री बि० दासगुप्त	तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को पर्याप्त पारिश्रमिक देने में असफलता	१०० रुपये
४६	६४२	श्री बि० दासगुप्त	प्रशासनिक कार्यकुशलता प्राप्त करने में असफलता	१०० रुपये
४६	६४३	श्री बि० दासगुप्त	प्रशासन में कार्य कुशलता का स्तर स्थापित करने में असफलता	१०० रुपये
४६	६४४	श्री बि० दासगुप्त	भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने में असफलता	१०० रुपये
४६	६४५	श्री दा० रा० चावन	केन्द्रीय सरकार में कर्मचारियों की संख्या घटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	६४६	श्री दा० रा० चावन	मितव्ययता तथा कार्यकुशलता के बारे में प्रशासन-प्रणाली की जांच करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	६४७	श्री दा० रा० चावन	मितव्ययता तथा कार्यकुशलता के बारे में केन्द्रीय सरकार के प्रशासन की जांच करने के लिये आयोग बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	६४८	श्री दा० रा० चावन	असैनिक प्रशासन के व्यय को कम करने में असफलता	१०० रुपये
४६	६४९	श्री दा० रा० चावन	भ्रष्टाचार रोकने में असफलता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४६	६५१	श्री बि० दासगुप्त	न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने में असफलता	१०० रुपये
४६	६७३	श्री बि० दासगुप्त	भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	६७४	श्री दा० रा० चावन	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनों पर व्यय कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	६७५	श्री दा० रा० चावन	सरकारी विभागों में अनावश्यक क्लर्कों का काम कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	६८७	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	सचिवालय में पदाधिकारियों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि	१०० रुपये
४६	६८८	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	गुप्तचर विभाग का कार्य	१०० रुपये
४६	६९०	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	सेवाओं के पुनर्गठन के काम को पूरा करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	६९१	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को अन्य समुदायों के समान बनाने के लिये उपयुक्त कार्य-वाही करने में असफलता	१०० रुपये
४६	६९२	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	प्रशासन से भ्रष्टाचार दूर करने में असफलता	१०० रुपये
४६	७०८	श्री वारियर	नियुक्ति करने तथा स्थायी बनाने के समय सरकारी कर्मचारियों से पिछली बातें मालूम करने का तरीका	१०० रुपये
४६	७०९	श्री वारियर	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के पिछले चरित्र की जांच के मामले में विभिन्न राज्यों में भेदभाव	१०० रुपये
४६	७१०	श्री वारियर	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू संशोधित सरकारी सेवा नियम	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४६	७११	श्री वारियर	प्रदर्शनों आदि के समय पुलिस द्वारा आग्नेयास्त्रों का प्रयोग न करने के उपायों को सुझाने के लिये एक समिति नियुक्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	७१२	श्री वारियर	जेल सुधार समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में विलम्ब	१०० रुपये
४६	७१३	श्री वारियर	राज्यों में गुप्तचर काम के लिये पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	७१४	श्री वारियर	निवारक निरोध अधिनियम का प्रशासन	१०० रुपये
४६	७१५	श्री वारियर	भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग के कार्यसंचालन में असफलता	१०० रुपये
४६	७१६	श्री वारियर	केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के लोगों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व देने में असफलता	१०० रुपये
४६	७२८	श्री वारियर	नागरिकता अधिनियम के कार्यसंचालन में अनियमितताएं	१०० रुपये
४६	७२९	श्री वारियर	केन्द्रीय सरकार में बहुत अवधि से काम कर रहे अस्थायी असिस्टेन्टों को अस्थायी रखना	१०० रुपये
४६	७३०	श्री वारियर	विवादों को निपटाने के लिये एक राष्ट्रीय कर्मचारी परिषद् बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	७३१	श्री वारियर	केन्द्रीय सचिवालय सेवा पदाधिकारियों की शिकायतें तथा भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की विशेष भरती में उनको न लिया जाना	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४६	७३२	श्री वारियर	केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचार) नियमों में अनियमितायें	१०० रुपये
४६	७३३	श्री वारियर	सरकारी कर्मचारियों के साथ बर्ताव में भेदभाव	१०० रुपये
४६	७९३	श्री आसर	सभी राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की योजना लागू करने में असफलता	१०० रुपये
४६	७९४	श्री आसर	प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने में असफलता	१०० रुपये
४६	७९५	श्री आसर	पाकिस्तान सीमा पर रहने वाले व्यक्तियों के लिये पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	७९७	श्री आसर	सिंधी भाषा को मान्यता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	७९८	श्री आसर	प्रशासन में कार्यकुशलता लाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	७९९	श्री आसर	प्रशासनिक व्यय को कम करने में असफलता	१०० रुपये
४६	८००	श्री आसर	केन्द्रीय सचिवालय सेवा पदाधिकारियों की शिकायतें	१०० रुपये
४६	८०१	श्री आसर	बम्बई तथा मैसूर राज्यों में सीमा विवादों को तय करने के लिये सीमा आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	८०२	श्री आसर	देश में विदेशी एजेन्टों द्वारा राष्ट्र-विरोधी कार्यों को रोकने में असफलता	१०० रुपये
४६	८०४	श्री मो० ब० ठाकुर	प्रशासन से अदक्षता तथा भ्रष्टाचार दूर करने में असफलता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४६	८०५	श्री मो० ब० ठाकुर	उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति	१०० रुपये
४६	८०६	श्री मो० ब० ठाकुर	सीमा पर पाकिस्तानी डाकुओं से भारतीय राष्ट्रजनों का संरक्षण करने में असफलता	१०० रुपये
४६	८०७	श्री मो० ब० ठाकुर	सीमा पर पाकिस्तानी हमलों से जान, माल की सुरक्षा के लिये गांववासियों को हथियार देने में असफलता	१०० रुपये
४६	८०८	श्री मो० ब० ठाकुर	न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने में असफलता	१०० रुपये
४७	६७६	श्री दा० रा० चावन	स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक विकास तथा कृषि मंत्रालयों को समाप्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४७	६७७	श्री दा० रा० चावन	स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि मंत्रालयों को मिला कर एक राष्ट्रीय कल्याण मंत्रालय बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४७	६७८	श्री दा० रा० चावन	मंत्रियों तथा सभा-सचिवों की संख्या कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४७	६९३	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि	१०० रुपये
४८	२०२	श्री बै० च० मलिक	बिहार तथा उड़ीसा और उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में सीमा-विवाद तय करने में असफलता	१०० रुपये
४८	६८१	श्री बि० दासगुप्त	पूर्वी खंड परिषद् द्वारा अपने राज्यों के भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों की असुविधाओं तथा कठिनाइयों का निर्धारण करने में असफलता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४८	६८२	श्री बि० दासगुप्त	पूर्वी खंड परिषद् द्वारा, सदस्य राज्यों के भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों को भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी शिकायतों को दूर करने के लिये सिफारिशें न करने में असफलता	१०० रुपये
४८	६८३	श्री दा० रा० चावन	मैसूर तथा बम्बई के सीमा विवाद में हस्तक्षेप करने में असफलता	१०० रुपये
४८	६८५	श्री दा० रा० चावन	मैसूर तथा बम्बई के सीमा विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिये पाटस्कर पंचाट में निहित सिद्धान्तों को लागू करने में असफलता	१०० रुपये
४८	६८५	श्री दा० रा० चावन	मैसूर तथा बम्बई के सीमा क्षेत्रों में हो रहे सत्याग्रह आन्दोलन के प्रति उपेक्षा-भाव	१०० रुपये
४८	६९४	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	विभिन्न राज्यों के सीमा विवादों को निपटाने में खण्ड परिषदों की असफलता	१०० रुपये
४८	६९५	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	सरादुकेला तथा खर्सवान के बारे में बिहार तथा उड़ीसा के विवाद को तय करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४९	६९६	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति	१०० रुपये
४९	६९७	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	दांडिक न्याय सरल तथा अल्प व्ययी बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५०	२०३	श्री बै० च० मलिक	पुलिस में अनुसूचित जाति के पर्याप्त व्यक्ति नियुक्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५०	६५०	श्री दा० रा० चावन	पुलिस पर व्यय कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
५१	६५२	श्री बि० दास गुप्त	बिहार के जनगणना अधीक्षक द्वारा मानभूम सदर (पुरुलिया) के बारेमें प्रकाशित भाषा सम्बन्धी आंकड़ों को शुद्ध करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५१	६५३	श्री बि० दास गुप्त	जनगणना के लिये उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५१	६५४	श्री बि० दास गुप्त	. भाषा के बारे में सही आंकड़े जानने के लिये जनगणना की अलग केन्द्रीय व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५१	६५५	श्री बि० दास गुप्त	जनगणना के बारे में जनता के आरोपों का निर्णय करने के लिये न्यायाधिकरण बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५०	८०६	श्री आसर	. पुलिस पर व्यय कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५१	८१०	श्री आसर	. भारतीय जनगणना अधिनियमों को जम्मू तथा काश्मीर पर लागू करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५२	८११	श्री आसर	. . सभी राज्यों में मध्यम वर्ग के परिवारों की आय तथा व्यय का सर्वेक्षण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५४	४५०	श्री बै० च० मलिक	दिल्ली में कटपीस के व्यापार में गड़बड़ी रोकने में असफलता	१०० रुपये
५४	७१७	श्री वारियर	. दिल्ली में पुलिस की ज्यादतियों के बारे में आरोप	१०० रुपये
५४	७१८	श्री वारियर	. दिल्ली की मजदूर बस्तियों में पानी की व्यवस्था करने में असफलता	१०० रुपये
५४	८१२	श्री आसर .	. दिल्ली में पानी की व्यवस्था करने में असफलता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
५४	८१३	श्री आसर	. दिल्ली में पर्याप्त परिवहन सेवा की व्यवस्था करने में असफलता	१०० रुपये
५४	८१४	श्री आसर	. दिल्ली में गन्दी बस्तियों को हटाने के काम में धीमी प्रगति	१०० रुपये
५७	२२०	श्री ले० अचौ सिंह	. राज्य परिवहन कर्मचारी संघ को मनीपुर प्रशासन द्वारा सरकारी मान्यता देने से इंकार	१०० रुपये
५७	२२१	श्री ले० अचौ सिंह	. मनीपुर घाटी की छोटी झीलों को खेती योग्य बनाने के लिये अनुदान देने की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	२२२	श्री ले० अचौ सिंह	. गैर सरकारी स्कूलों को सहायता देने का एक आधार बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	२२३	श्री ले० अचौ सिंह	. मनीपुर में लोगों को बिजली देने की व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	२२४	श्री ले० अचौ सिंह	. इम्फाल वाटर वर्कस योजना को लागू करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	२४४	श्री बै० च० मलिक	. देश से अस्पृश्यता दूर करने में असफलता	१०० रुपये
६०	२४५	श्री बै० च० मलिक	. अनुसूचित जातियों की आर्थिक दशा सुधारने में असफलता	१०० रुपये
६०	२४६	श्री बै० च० मलिक	. अनुसूचित जातियों का शोषण समाप्त करने में असफलता	१०० रुपये
६०	२४८	श्री बै० च० मलिक	. कूड़ा साफ करने वालों को अच्छे कार्यों में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	२४९	श्री बै० च० मलिक	. उड़ीसा में अनुसूचित जातियों के लिये अच्छे मकान बनाने के लिये धन देने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६०	२५०	श्री बै० च० मलिक	मैट्रिक से पूर्व के अनुसूचित जाति के सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिये उड़ीसा को रुपया देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	२५१	श्री बै० च० मलिक	अनुसूचित जातियों को कानूनी सहायता देने के लिए उड़ीसा को रुपया देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	२५२	श्री बै० च० मलिक	अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के विद्यार्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए क्लास खोलने में विलम्ब	१०० रुपये

†**श्री वे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम्) : मैं सब से पहले अनुसूचित जातियों के विषय को लेता हूं। अनुसूचित जातियों से अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, इस मामले में मेरा मतभेद नहीं। परन्तु यह कहना नितान्त गलत है कि उनसे वही व्यवहार हो रहा है जो कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों से हो रहा है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं जिसके द्वारा अनुसूचित जातियों अथवा पिछड़े वर्गों के लोगों को ऊंचे से ऊंचा स्थान प्राप्त करने में कोई रुकावट डाली जा सके। अनुसूचित जातियों के आगे बढ़ने में कोई कठिनाई पैदा नहीं की जाती। इसके विपरीत उनके लिए शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था की गयी है और उन्हें आवास और डाक्टरी सुविधायें देने की दिशा में भी काफी कुछ किया गया है। हम चाहते हैं कि एक उचित आधार पर भारत के विविध लोगों का परस्पर विलय हो। और जैसा कि कहा गया है कि इस प्रकार की व्यवस्था निर्माण कर दी जाये कि दलित वर्गों के लिए कोई अलग झंझट न करना पड़े। अनुसूचित जातियों के लोगों को छात्रवृत्तियां भी दी गयी है और विधान द्वारा सेवायें इत्यादि में भी उनके लिए स्थान सुरक्षित किये गये हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस वर्ग के लोगों को अब पहले जैसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

मेरे मित्र श्री फ्रैंक एंथनी ने केरल शिक्षा सम्बन्धी मामले का उल्लेख किया है। उन्होंने मुस्लिम, सिख और आंग्ल भारतीयों के प्रति हो रहे अन्याय की बात की है। मेरे विचार से विधान तो सब के लिए एक जैसा होता है और उच्चतम न्यायालय अपने विवेचन में किसी का पक्षपात नहीं कर सकता। यह कहना कि उच्चतम न्यायालय को मामला देना ही ठीक नहीं था, कोई ठीक बात नहीं है। आंग्ल भारतीयों पर अपनी शिक्षा प्रणाली चालू करने पर कोई पाबन्दी नहीं है, परन्तु राज्य सहायता की इच्छा हो तो नियमों इत्यादि की पाबन्दी होती ही है। यदि नियमों का पालन ठीक ढंग से न होता हो तो सहायता से इन्कार भी किया जा सकता है। इसमें आधारभूत अधिकारों का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। एशिया के तीन देशों, अर्थात् टर्की, भारत

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्]

और जापान, में यह प्रयत्न किया जाता है कि इस प्रकार के विधान बनाये जायें जिसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात और भेदभाव न हो। हमारे जहां अल्प संख्यक वर्गों से सम्बन्धित लोग काफी उच्च पदों पर आसीन हैं। श्री फ्रैंक एंथनी की धार्मिक और भाषाई अल्प संख्यकों का उल्लेख मुझे पसंद नहीं आया। किसी राज्य की राजनीति कुछ भी हो परन्तु भाषाई आधार पर उससे कोई भेदभाव नहीं हो सकता।

गत वर्ष दिल्ली निगम के बारे में काफी शोर था और आज जिस ढंग से दिल्ली का प्रशासन चल रहा है उसके लिए गृह-कार्य मंत्री की सराहना करनी ही होगी। यह भी आशा करनी चाहिए कि शीघ्र ही दिल्ली में जल सम्भरण की व्यवस्था ठीक हो जायेगी। दिल्ली भारत की राजधानी है और उसमें इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की भी व्यवस्था होनी चाहिये। मुझे यह भी सन्तोष है कि हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा और अन्दमान निकोबार जैसे संघ राज्य क्षेत्रों में भी इस दिशा में समुचित प्रगति हो रही है।

हमारे देश की सेवाओं का स्तर बहुत ही सराहनीय है। परन्तु मेरा सुझाव है कि यह परम्परा निर्माण की जानी चाहिए कि प्रत्येक राज्य की केन्द्रीय सेवाओं में एक तिहाई लोग उससे अतिरिक्त राज्यों के होने चाहिए। इस से हमारी राष्ट्रीय एकता काफी मजबूत होती जायेगी। इस बात का पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि आई० सी० एस० अधिकारी और इंजिनियर लोग सेवा-निवृत्त होकर गैर सरकारी सार्थों में काम न करें। इससे सरकारी हैसीयत में पैदा की गयी जान पहिचान का अनुचित लाभ उठाया जाता है।

इसके साथ ही मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को समुचित वेतन दिया जाना चाहिए और निवृत्ति वेतन इत्यादि की शर्तों में सुधार करना चाहिए। भ्रष्टाचार के मामले में दोष सिद्ध हुये बिना किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। न्याय के मामले में जल्दबाजी करके किसी व्यक्ति को वास्तविक न्याय से वंचित रखना ठीक बात नहीं कही जा सकती।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : आज देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और लोगों की प्रवृत्ति कानून हाथ में लेने की होती जा रही है। जब तक सरकार जीवन के सभी अंगों में लोकतंत्रीय व्यवस्था को मान्यता नहीं देती तब तक लोक तंत्रीय भावना विकसित नहीं हो सकती। आज अवस्था यह है कि हारे हुए सदस्यों को ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। लोक तंत्र से लोगों का विश्वास उठ रहा है और वह गलत ढंग अपना रहे हैं। केन्द्रीय सरकार को अनुच्छेद ३५५ के अन्तर्गत यह अधिकार है कि वह देखे कि राज्य सरकारें संविधान के उपबन्धों के अनुसार चल रही हैं अथवा नहीं। यदि गृह-मंत्रालय ने इस ओर ध्यान न दिया तो लोगों का लोकतंत्र में विश्वास कम हो जायेगा। आप दिल्ली को ही ले लीजिए, यह तो सीधे ही केन्द्रीय सरकार के प्रशासन में है परन्तु यहां प्रत्येक दिशा में विधि की अवहेलना की जाती है। यदि दिल्ली के लोगों के लिए गृह-मंत्रालय कुछ नहीं कर सकता तो फिर लोग आखिर कहां जायेंगे। कौन उनकी बात सुनेगा ? बड़े-बड़े अधिकारियों को भी विधि का कोई सम्मान नहीं और खुले आम परिवारपोषण चल रहा है। भ्रष्टाचार, प्रशासन के प्रत्येक अंग में तीव्र हो रहा है। गैर-सरकारी सार्थों में उन लोगों को बड़े उच्च पद प्राप्त हो रहे हैं जो कि उन लोगों के सम्बन्धी हैं जिनके हाथ में शक्ति है

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय का कर्त्तव्य है कि वह इन चीजों का पता करे। आखिर गुप्तचर विभाग पर किस लिए इतना धन खर्च किया जाता है। लेकिन कठिनाई यह है कि गुप्तचर विभाग के कर्मचारी भी पदासीन लोगों को अप्रसन्न नहीं कर सकते।

जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर पर जो भी समितियां नियुक्त होती हैं उनमें वही लोग लिये जाते हैं जो पदासीन लोगों के अपने व्यक्ति हों। अवैतनिक दंडाधिकारी भी उन्हीं लोगों को बनाया जाता है जो कांग्रेस वालों को चाहते हों। इस प्रकार के लोग ही बम्बई में द्विभाषी राज्य और प्रशासन की प्रशंसा करते हैं। क्योंकि उसी में उनकी चांदी होती है। इसी प्रकार यदि लोगों ने सब कुछ भूल कर कानून हाथ में ले लिया तो जिम्मेदारी तो हमारी ही होगी। मैं गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि इन बातों की देख भाल करे।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रारम्भिक शिक्षा विद्यार्थियों को उनकी मातृ भाषा में ही दी जानी चाहिए और इस सम्बन्ध में सभी राज्यों में व्यवस्था हो जानी चाहिए। साथ ही मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि बम्बई राज्य के विकास बोर्डों के सदस्यों का चुनाव होना चाहिए। नामजदगी में तो केवल कांग्रेस के लोग ही सभी जगहों पर आते हैं। इससे लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कम होने लगता है।

†**श्री अय्याकण्णु** (नागपट्टिनम् रक्षित—अनुसूचित जातियां): मैं गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। आज तक भारत के इतिहास में कभी भी इतनी शांति पूर्ण सरकार स्थापित नहीं हुई। अपने विचार व्यक्त करने की जितनी स्वतंत्रता आज है उतनी कभी भी नहीं थी। इसके लिए गृह-कार्य मंत्रालय को बधाई देनी ही होगी। जहां तक प्रशासन का सम्बंध है मेरा निवेदन है कि कल्याणकारी राज्य में यह आवश्यक होता है कि अधिकारी वर्ग गरीब जनता की समस्याओं को समझने का प्रयत्न करे और गरीब अशिक्षित किसानों की कठिनाइयों को अनुभव करे। हमारे अधिकारियों को लोगों के सम्पर्क में आने और सेवा करने का कोई उत्साह ही नहीं है। हमें इस दृष्टिकोण को बदलना है और अधिकारियों में सेवा भाव का निर्माण करना है। इसके बिना हम कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसे नवयुवकों की नियुक्तियां की जानी चाहिएं जिनमें सेवाभाव हो और वे जनता की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार चल सकें।

निस्सन्देह अनुसूचित जातियों की अवस्था में काफी सुधार हुआ है, परन्तु फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस दिशा में एक मनोवैज्ञानिक क्रांति लाने की आवश्यकता है। अधिकारियों का रवैय्या सहानुभूति पूर्ण नहीं होता, ये लोग अभी पुरानी लकीर पर ही चल रहे हैं। उन्होंने अभी संविधान में निहित भावना को पहचाना नहीं और न ही उन्हें समय के साथ चलना ही आया है। इन सब बातों का विश्लेषण करने के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए, जो कि सारे मामले का पूर्णतः विश्लेषण करे और इनके उपचार के लिए समुचित सुझाव दे।

सरकार ने बहुत कुछ किया है। गृह-कार्य मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री दोनों महान व्यक्ति हैं। दुःख यह है कि उन्हें भी प्रसाशन से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा। हमें भी यही शिकायत है और इसी का कोई हल निकालना चाहिए। शायद स्वतन्त्र बोर्ड की स्थापना में इस का कुछ हल निकल आये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री संगण्णा** (कोरापट--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां) : आज देश में पंच वर्षीय योजनाओं के कारण लोगों की दबी हुई भावनाएं उभर रही हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है। परन्तु वैसे सामूहिक तौर पर देश की शांति और सुरक्षा स्थिति काफी अच्छी है। उड़ीसा सरकार के विरुद्ध जो यह आरोप लगाया गया है कि वह भूदान आन्दोलन की प्रगति में रुकावट बन रही है, नितान्त गलत है। आरोप लगाने वाले माननीय महोदय ने स्थिति को ठीक ढंग से समझा नहीं। यदि भूदान का कार्य ठीक ढंग से नहीं चला तो यह दोष कार्यकर्त्ताओं का है, सरकार का नहीं। इसके लिए तो केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री महोदय ने प्रयत्न करके द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ६४ लाख ५० हजार की व्यवस्था करवा दी थी, परन्तु वह सारी राशि को खर्च न कर सके। गृह-कार्य मंत्री को एक प्रश्न के उत्तर में कहना पड़ा कि कार्यकर्त्ताओं द्वारा धन का दुरुपयोग किया गया है। इस पर भी सरकार को सत्याग्रह की धमकियां दी जा रही हैं। जमीनों के बारे में अध्ययन करने के लिए योजना आयोग से एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गयी थी। परन्तु उनका प्रतिवेदन भी उत्साहजनक नहीं है और इसकी अखबारों में भी चर्चा हुई है। अतः उड़ीसा सरकार का इसमें कोई दोष नहीं।

कहा गया है कि अस्पृश्यता निवारण के लिये जो राशि उड़ीसा सरकार को दी गयी थी उसका उचित उपयोग नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उड़ीसा राज्य के सभी सदस्य कांग्रेसी नहीं हैं, अतः इस आरोप का उत्तरदायित्व तो सब पर आ जाता है। इस दिशा में जिन लोगों की नियुक्तियां होती हैं, वे सभी दलों के सदस्यों की सिफारिश से होती हैं। अतः मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि इस राशि का कोई राजनीतिक लाभ उठाया गया है। इस सम्बन्ध में की गयी आलोचना निराधार है।

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन पीठासीन् हुए]

अब मैं आदिम जाति समस्या के बारे में कुछ कहूंगा। भारत सरकार और राज्य सरकार प्रति मास एक करोड़ रुपये खर्च कर रही हैं परन्तु प्रगति कोई सराहनीय नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि आदिम जाति के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पूरा सर्वेक्षण किया जाय। इस से इन चीजों का पता चलेगा जिन की ओर कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों को समुचित ध्यान देना चाहिये। इस दिशा में मंत्री महोदय ने भी समिति नियुक्त करने के लिये कहा है। जब तक चालू विकास योजनाओं के दोष ठीक नहीं कर लिये जाते इन लोगों का आर्थिक विकास सम्भव नहीं। आर्थिक विकास के लिये बहुत से कुटीर उद्योगों को प्रारम्भ किया गया था ताकि आदिम जाति के लोगों को लाभ पहुंचे परन्तु इन सब की व्यवस्था करने वाले लोगों में सामूहिक भावना का अभाव है। अतः फेरबदल करने की आवश्यकता है। योजनायें इस ढंग से बननी चाहियें कि लोगों में उत्साह बढ़े और वे सहयोग देने के लिये आगे आयें। इस के लिये यह आवश्यक है कि उन का परामर्श लिया जाये।

आदिम जाति के लोगों की केवल एक ही फसल है और वह है, तम्बाकू की। तम्बाकू पर कर इतना अधिक लगाया हुआ है कि इन लोगों में इसे देने की क्षमता नहीं है। इस लिये लोग स्थान छोड़ अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। और जगह जाने पर इन लोगों की सम्पत्तियां जब्त कर ली जाती हैं। अतः उन लोगों में काफी त्रास पाया जाता है। इस का कोई हल निकाला जाना चाहिये। इस के साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि यदि सचमुच सरकार आदिम जाति के लोगों का कल्याण चाहती है तो उन्हें इन क्षेत्रों में प्रचलित शिक्षा प्रणाली में भी भारी परिवर्तन कर उस का पुनर्निर्माण करना होगा।

†मूल अंग्रेजी में

नदी घाटी परियोजनाओं के लिये आदिम जाति के लोगों की जमीनों को अर्जित किया गया, परन्तु बड़े लम्बे अर्से तक उस का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उन की जमीनों की समुचित कीमतें भी नहीं लगायी गयीं। कोई इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि इन लोगों के हितों का संरक्षण हो सके। हमारी सरकार सारे देश में अल्प आय के लोगों के लिये शहरों में आवास योजनायें कार्यान्वित कर रही है परन्तु आदिम जाति के लोगों के लाभ के लिये ऐसी किसी प्रकार की योजना निर्मित नहीं की गयी। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि आदिम जाति मंत्रणा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना चाहिये। इस के लिये सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

अन्त में मेरा निवेदन है कि आदिम जातियों अथवा अनुसूचित जातियों के लोगों को जो छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं, उन की अदायगी इतनी देरी से होती है कि कई छात्र साल के बीच में ही अपनी शिक्षा को समाप्त करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस को ठीक करने का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर): मैं अपने कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। गृह मंत्रालय के जो भी कृत्य हैं--कानून तथा व्यवस्था, असैनिक सेवाओं का नियंत्रण और पिछड़े वर्गों का उद्धार--उन में से किसी में भी वैज्ञानिक एवं स्थिर नीति का अनुसरण नहीं किया गया है जिस के परिणामस्वरूप देश के मध्य वर्गों और निम्न वर्गों में बहुत असन्तोष है।

हमारे देश की प्रशासकीय व्यवस्था का एक दोष यह है कि शक्ति कुछ हाथों में केन्द्रित होती जा रही है। केन्द्र तथा राज्य दोनों में मंत्रियों के सम्बंधियों और मित्रों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्त किया जाता है। प्रायः सभी जिम्मेदार पदों पर वही व्यक्ति आसीन हैं।

यद्यपि संविधान संघीय है परन्तु वास्तव में केन्द्र के हाथ में ही अधिक शक्तियां हैं और जिला बोर्ड तथा ग्राम पंचायतें केवल नाम मात्र के लिये कार्य कर रही हैं। इस के कारण हमारे राष्ट्रीय जीवन में बहुत असन्तोष व्याप्त है। शक्ति का विकेन्द्रीकरण अत्यन्त आवश्यक है।

जहां तक सचिवालय सेवाओं की भर्ती का प्रश्न है वह देश की आवश्यकताओं के लिये अनुपयुक्त है। भर्ती की प्रणाली ऐसी है जिस में अध्ययनशील व्यक्ति ही सफल होते हैं। ऐसे लोग इन सेवाओं को अपना स्थायी व्यवसाय नहीं बनाते। इसलिये यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति लिये जायें जो सेवा को ही स्थायी व्यवसाय बनायें।

इस के बाद मैं सचिवालय के कर्मचारियों के कल्याण के कार्यों पर आता हूं। कर्मचारियों की परिषदों और कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति से कोई विशेष लाभ नहीं हो सका है क्योंकि इन की अधिकांश बैठकों में उच्च अधिकारी उपस्थित रहते हैं। अधिकांश प्रश्नों का निर्णय उच्च अधिकारी ही कर लेते हैं। इसलिये कर्मचारी अपनी पुरानी मांगों के लिये एक अपीलीय निकाय की आवश्यकता का अनुभव करते हैं।

इस के पश्चात् मैं अखिल भारतीय सेवाओं की ओर गृह-मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन की परीक्षाओं के सम्बन्ध में संघ आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और उन की सामान्य योग्यता बहुत गिर गई है जिस के कारण पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते। इस कठिनाई को दूर करने के लिये कुछ प्रयत्न किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ले० अचौ० सिंह]

इन अखिल भारतीय पदों के सम्बन्ध में पिछड़े क्षेत्रों के लोगों की यह शिकायत है कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। आयोग की परीक्षाओं में प्रगतिशील क्षेत्रों के व्यक्तियों को ही लाभ होता है। इसलिये सरकार को अखिल भारतीय पदों की भर्ती की प्रक्रिया में इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए कि सीमान्त क्षेत्रों के व्यक्तियों को अधिक भाग मिल सके। इसके लिए यह सुझाव दिया जाता है कि संघ आयोग द्वारा भर्ती क्षेत्रीय आधार पर की जाये अखिल भारतीय आधार पर नहीं।

जहां तक गृह-मंत्रालय के अन्तर्गत व्यय का संबंध है उस में वृद्धि हुई है। पुलिस के व्यय में जो वृद्धि हुई है वह उचित नहीं कही जा सकती क्योंकि बहुत से राज्यों में डकैतियां, गोलीकांड और हत्यायें बढ़ रही हैं। पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटनायें स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् बढ़ गई हैं। छोटी छोटी सी बातों पर आत्मरक्षा की आड़ में गोली चलाई जाती है। मैं समझता हूं कि पुलिस संहिता में परिवर्तन किया जाना चाहिये और गोली चलाने का अधिकार सीमित किया जाना चाहिये।

जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों की समस्याओं का संबंध है मैं मनीपुर की समस्याओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। वहां के प्रशासन में कोई सुधार नहीं हुआ है क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी भेजे जाते हैं वे उन क्षेत्रों की कठिनाइयों से अपरिचित होते हैं तथा परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं। वे वहां की भाषा भी नहीं बोलते और पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा भी नहीं करते। मनीपुर के छः मुख्यायुक्तों में से केवल श्री मून तामेनलांग जाया करते थे। अन्य पांच में से किसी ने भी मनीपुर के आंतरिक भागों को देखने की चेष्टा नहीं की।

मैं वहां की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में भी कुछ बता देना चाहता हूं। योग्य अधिकारियों को तो शीघ्र ही वहां से बदल दिया जाता है और अयोग्य व्यक्तियों को बहुत समय तक रहने दिया जाता है। अधिकतर विभागाध्यक्ष सेवानिवृत्त पदाधिकारियों में से नियुक्त किये जाते हैं और स्थानीय व्यक्तियों को मौका नहीं दिया जाता है। इस के कारण उन क्षेत्रों में बहुत असन्तोष व्याप्त है।

इस के सम्बन्ध में मैं "स्टेट्समैन" के एक समाचार का उल्लेख करना चाहता हूं। वहां नागा पहाड़ियों के कर्मचारियों की मांगों के बारे में है जो उन्होंने आसाम के राज्यपाल के समक्ष एक स्मरणपत्र के रूप में रखी है। स्मरणपत्र में कहा गया है कि "नई शासकीय व्यवस्था लोकप्रिय नहीं हो सकी है। सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति से प्रशासन में सैनिक वृत्ति आ गई है जो लोक भावनाओं पर दमन का कार्य करती हैं।" मनीपुर में भी ऐसी ही स्थिति है। इसलिये मैं चाहता हूं कि गृह-मंत्री वहां की जनता के असन्तोष को दूर करने का उपाय करें।

यह बताया गया है कि मनीपुर पर ३ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। परन्तु वास्तव में इस में से अधिकांश धन पुलिस तथा शांति स्थापना और कर्मचारियों पर ही व्यय किया गया है। इस के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य में विकास कार्य के लिये जिन संस्थाओं को थोड़े से ऋण दिये गये हैं वे उन का ठीक हिसाब नहीं रख सके हैं।

अन्त में मैं मनीपुर के सामान्य प्रशासन को लेता हूं। क्षेत्रीय परिषद् और मंत्रणा समिति का कार्य ठीक नहीं चल रहा है। कार्य के दोहरेपन के कारण बहुत अपव्यय होता है। इस

के अतिरिक्त उन्हें कोई विशेष शक्तियां भी नहीं प्राप्त हैं। जब तक वहां कोई प्रतिनिधि सभा नहीं स्थापित की जायेगी लोग सन्तुष्ट नहीं होंगे।

श्री नवल प्रभाकर : सभापति महोदय, गृह-मंत्रालय के अनुदानों का मैं समर्थन करता हूं और मैं गृह-मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जहां तक गृह-मंत्रालय के काम का सवाल है वह संतोषजनक है।

यहां पर दिल्ली प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ कहा गया। मैं भी इस सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं। दिल्ली प्रशासन में दो समितियां हैं जिन का यहां पर विशेषतया उल्लेख किया गया। उन में एक जनसम्पर्क समिति है और दूसरी औद्योगिक सलाहकार समिति। इन दोनों समितियों के दो अध्यक्ष हैं। जहां तक मुझे उन के कार्यों को देखने का अवसर मिला है, क्योंकि मैं भी उस सलाहकार समिति का एक सदस्य हूं, मैं ने देखा है कि कोई भी अच्छे से अच्छा अधिकारी, या कोई भी मिनिस्टर जिस खूबी से काम कर सकता है उस से भी अधिक तन देही और लगन के साथ और अधिक समय दे कर वह लोग काम करते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : अगर ये कमेटियां इतना अच्छा काम कर रही हैं तब तो मिनिस्टरों को खत्म कर दिया जाये।

श्री नवल प्रभाकर: अगर आप की स्टेट यूनियन टैरीटरी हो जाये तब तो मुझे इस में कोई ऐतराज नहीं है।

तो मैं आप से इन दोनों अध्यक्षों के सम्बन्ध में कह रहा था। इन सलाहकार समितियों में जो सदस्य हैं उन में से अधिकतर जनता के प्रतिनिधि हैं। और इन जनता के प्रतिनिधियों की जो सलाह होती है उस को ये अध्यक्ष ऊपर प्रशासन को भेज देते हैं, और केवल प्रशासन को ही नहीं भेजते बल्कि मंत्री को भेजते हैं और स्वयं भी जा कर मंत्री महोदय से बात करते हैं और उस के औचित्य को समझाते हैं और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय की तरफ से जो कदम उठाया जाता है वह संतोष-जनक होता है। समितियों की अधिकतर सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है और कुछ के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है। तो यह कहना कि ये सलाहकार समितियां ठीक काम नहीं करतीं और इन में कुछ ऐसे ही व्यक्ति रख दिये गये हैं, ठीक नहीं होगा। बहुत जगह यह कहा जाता है कि ये जनता के प्रनिनिधि नहीं हैं। किन्तु जहां तक इन दो अध्यक्षों का सम्बन्ध है ये दिल्ली में बहुत लोक-प्रिय हैं, और इस का सब से बड़ा प्रमाण यह है कि इस से पूर्व वे दिल्ली विधान सभा के सदस्य थे। इस से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि उन को जनता की हिमायत हासिल थी। और वह एक समय मंत्रिमंडल के सदस्य भी रह चुके हैं। तो उनके अनुभव का लाभ उठा कर ये दो समितियां काम करती हैं। अगर आज ये समितियां न होतीं तो दिल्ली की अवस्था क्या होती यह सोचने की बात है।

जनसाधारण अधिकारी वर्ग से बहुत कतराता है और वह समझता है कि ये अफसर हैं। और अफसर से मिलने में एक तो जनसाधारण को थोड़ी हिचक होती है, और अगर हिचक न भी हो तो अफसर के पास जाने के लिये पहले उस के पी० ए० के पास जाना पड़ता है, उस से समय लेना पड़ता है और उस के बाद अफसर से मिला जा सकता है। लेकिन इन दो अध्यक्षों के पास जाना बहुत ही सरल है। उन तक आदमी आसानी से जा सकता है और अपनी बात उन के सामने रख सकता है। इस के अलावा वे सारी दिल्ली का दौरा भी करते रहते हैं और लोगों से मिलते रहते हैं। इस प्रकार इन समितियों का कार्य संतोषप्रद है;

[श्री नवल प्रभाकर]

लेकिन मैं गृह-मंत्री जी से यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इन अध्यक्षों को तनिक और अधिकार दे दिये जायें जिन से ये आदेश दे सकें और उन का सीधा पालन हो सके तो वह अधिक उपयुक्त होगा ।

होम गार्ड के सम्बन्ध में एक सदस्य ने कहा कि इस में राजनीतिक दलों को लिया जायेगा और दलबन्दी की बात होगी । जहां तक मुझे पता लगा है वह यह है कि होम गार्ड में जो व्यक्ति लिये जायेंगे वे ऐसे होंगे जोकि कहीं या तो किसी सरकारी विभाग में काम करते होंगे या किसी निजी संस्था में अथवा किसी उद्योग धंधे में लगे होंगे । उन्हीं लोगों को होम गार्ड में लिया जायगा और होम गार्ड में लिये जाने से पहले उन को अपने कार्यालय से, जहां कि वे काम करते हैं, आज्ञा--पर-मिशन--लेनी पड़ेगी । उस के बाद ही वे होम गार्ड में प्रविष्ट हो सकेंगे । एक माननीय सदस्य ने कहा कि उस पर खर्च किया जायगा, जबकि पुलिस वगैरह मौजूद है । किन्तु मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उस पर खर्च होने की कोई बात नहीं है । वे लोग अपने अतिरिक्त समय में आ कर ट्रेनिंग लेंगे और काम करेंगे ।

एक बात की तरफ़ और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है दारूबन्दी के विषय में । "ज्यों ज्यों सुरझि भज्यो चहें, त्यों त्यों अरुझत जात" अर्थात् ज्यों ज्यों हिरन दौड़ता जाता है, त्यों त्यों वह उलझता जाता है--जहां तक मैं ने देखा है, दिल्ली में यही अवस्था आज हो रही है । जन-सम्पर्क समिति की एक मीटिंग में दारूबन्दी की चर्चा हुई थी । उस के अध्यक्ष ने यह बताया कि पहले तो समझदार--समझदार से मतलब बालिग़ से है--लोग पीते थे, किन्तु अब सुना गया है कि यह वबा विद्यार्थियों में भी फैल गई है और सिर्फ़ लड़कों में ही नहीं, लड़कियों में भी है । अब यह काम फ़ैशन के नाम पर होने लगा है । विद्यार्थी होटलों में जाते हैं और पैग लगा लेते हैं । इस के अतिरिक्त थोड़ी छूट और हो गई है और वह यह है कि बड़े बड़े क्लबों में नाइट-गेस्ट के नाम पर शराब दी जाती है और जिस अधिकारी को प्रसन्न करना होता है, उस को वहां ले जा कर सरलता से प्रसन्न कर लिया जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से कहा चाहता हूं कि इस तरह के जो होटल, रैस्टरां और क्लब हों, उन पर पूरी तरह से निगरानी की जाय और जो अधिकारी वहां जाते हैं, उन पर नज़र रखी जाये ।

इस के अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मदिरा की डिग्री घटा दी गई है और उस के घटने से शराब का नशा घट गया है, जिस का परिणाम यह है कि पहले जहां एक बोतल पीनी पड़ती थी, वहां अब दो बोतलें पीनी पड़ती हैं । जो लोग शासन से डरते हैं, वे तो ख़ैर उसी को प्रयुक्त करते हैं, किन्तु जो शासन से नहीं डरते हैं, उन्होंने स्वयं अपनी शराब बनानी शुरू कर दी है । दिल्ली में नाजायज शराब बनाने की बहुत सी भट्टियां हैं । इस का एक सब से बड़ा कारण यह है कि जो व्यक्ति नाजायज शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है, जब उस को पकड़ कर अदालत में पेश किया जाता है तो उस को अधिक से अधिक पचास रूपये जुर्माना किया जाता है और वह उसी समय पचास रुपये दे कर घर आ कर फिर वही काम करना शुरू कर देता है । महीने दो महीने के बाद अगर फिर पकड़ा जाता है, तो फिर पचास रुपये जुर्माना दे आता है । पहले तो वह बचने के लिये प्रतिवाद भी करता था, लेकिन अब हालत यह है कि वह सफ़ाई में गवाह भी पेश नहीं करता है, क्योंकि गवाहों को लाने ले जाने और उनकी तीमारदारी करने में उस को बड़ा संकट और झंझट मालूम होता है । अब तो वह सीधे कह देता है कि हां मैं ने नशा किया है, मुझे दण्ड दे दीजिये । हमारे जो न्यायकर्ता हैं, वे उस को दण्ड के नाम पर पचास रुपये जुर्माना कर देते हैं, जिस को वह पहले ही जेब में डाल कर अपने साथ ले जाता है और उसी समय निकाल कर दे देता है । मैं माननीय गृह मंत्री जी से बहुत ही विनम्र शब्दों

में आग्रह करना चाहता हूं कि इस दण्ड को और कठिन कर दिया जाये और केवल अर्थ-दण्ड के बजाय ऐसे लोगों को कुछ शारीरिक दण्ड भी दिया जाना चाहिये, जोकि कारावास का हो और उस में कम से कम दो महीने से छः महीने तक दण्ड होना चाहिये, ताकि जब वह दो महीने जेल में रहे, तो कम से कम उस अवधि में तो वह यह कुकर्म न कर सके और कानून को न तोड़ सके। प्रथम तो ऐसे लोग पकड़ में कम आते हैं, क्योंकि लोकल पुलिस से उन की दुआ-सलाम रहती है और उस की वजह से बहुत सी बार यह देखा गया है कि समय से पहले ही उन को सूचना मिल जाती है और जो कुछ भी मामला होता है, उस को खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है।

मैं माननीय गृह मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिल्ली में रबी आन्दोलन बड़ी सफलतापूर्वक चला है और उस में इस बार आशा से अधिक सफलता प्राप्त हुई है।

दिल्ली में जो राजनीतिक पीड़ित हैं, उन के सम्बन्ध में मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो राजनीतिक पीड़ित डिस्प्लेस्ड हैं, उन को सौ गज़ ज़मीन दी गई है और पांच सौ रुपये दिये गये हैं, या दिये जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक पीड़ित गांवों में रहते हैं और जिन के पास अपना कहने को घर नहीं है, अगर उन को भी इस तरह से सौ गज़ ज़मीन गांव में या शहर में---जहां भी वह उपलब्ध हो---दे दी जाय, तो बहुत अच्छा हो। जहां सरकार की ओर से गन्दी बस्तियों के लोगों को बसाया जा रहा है, हरिजनों को बसाया जा रहा है, डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज़ को बसाया जा रहा है, वहां अगर आप दस, बीस, पचास राजनीतिक पीड़ितों को भी, जोकि गांवों में रहते हैं और जिन के पास अपना कहने को मकान नहीं है, एक प्लाट दे दें और थोड़ी आर्थिक सहायता दे दें--आर्थिक सहायता न भी दें, तो उनको कर्ज़ दे दें, तो हमारे बहुत से राजनीतिक पीड़ित, जो बहुत दुरवस्था में हैं, अपना सिर छुपाने के लिये अपना घर बना सकेंगे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

अब मैं कुछ शब्द हरिजनों के बारे में कहना चाहता हूं। दिल्ली में गांव में दो तरह की ज़मीन है---एक ज़मीन तो वह है, जोकि काश्त होती है और दूसरी मकबूज़ा मालिकों की ज़मीन है। मकबूज़ा मालिकों की ज़मीन लगभग उतनी ही है जितनी कि काश्त की ज़मीन है। मकबूज़ा मालिक की ज़मीन का अर्थ है वह ज़मीन, जो लोगों ने अपने निजी नाम से बंजर छोड़ी हुई थी, या जो काश्त में नहीं आती थी और बेकार पड़ी हुई थी। मैं चाहता हूं कि उस ज़मीन को यहां के हरिजनों की सर्विस को-आपरेटिव सोसायटीज़ बना कर दे देना चाहिये। मैं चाहता हूं कि केन्द्र की ओर से इस तरह का आदेश होना चाहिये, जिस से कि उन लोगों की बेकारी कुछ दूर हो सके। जब भूमि सुधार कानून नहीं बना था, तो उन लोगों को बटाई की ज़मीन मिल जाया करती थी और उस से उन को कुछ न कुछ लाभ हो जाया करता था, लेकिन भूमि सुधार कानून के लागू होने से बटाई पर ज़मीन नहीं मिलती है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की ज़मीन उन लोगों को दे देनी चाहिये, जिस से उन लोगों में जो बेकारी बढ़ रही है, वह दूर हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब खत्म करने का प्रयत्न करें।

श्री नवल प्रभाकर : मैं ने अभी शुरू किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन मैं ने घड़ी को देखना है।

श्री नवल प्रभाकर : मैं शीघ्र समाप्त कर देता हूं ।

हमारे यहां देहात में दो हिस्से हैं--एक तो वे लोग हैं, जो खेती करते हैं और एक वे लोग हैं, जो खेती नहीं करते हैं । जो लोग खेती नहीं करते हैं, वे अपने गांव में जिस जगह पर बैठे हुए हैं, कानून की दृष्टि से तो वह जगह जिस के कब्जे में है, जहां उस का मकान बना हुआ है, वह उस की है--वे उस के मालिक हैं । यह ठीक है । किन्तु जब वह बात प्रयोग में आती है, तो वह नहीं हो पाती है । वहां पर वह बात चलती नहीं है । इस का कारण यह होता है कि कोई लिखित प्रमाण मौजूद नहीं होता है । ऐसी अवस्था में मैं कहना चाहता हूं कि जो नान-एग्रिकलचरिस्ट लोग हैं, उनके मकानों की जो जमीन है, इस के बारे में अगर उन को कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता है तो कोई न कोई दूसरा प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये । मैं समझता हूं यह बड़े यश की बात होगी अगर माननीय मंत्री महोदय कोई इस तरह का प्रबन्ध कर दें कि उन को कोई इस तरह का प्रमाणपत्र या कोई पट्टा या सनद दे दी जाय जिस से कि उन का जिस भूमि के ऊपर मकान बना हुआ है, वह उन की हो जाय । यदि ऐसा कुछ प्रबन्ध कर दिया गया तो वे आपको हृदय से धन्यवाद देंगे ।

अब मैं केन्द्रीय हरिजन कल्याण मंडल के बारे में एक बात कहना चाहता हूं । उस की मीटिंग्स साल में दो बार ही होती हैं । अगर दो बार की बजाय चार बार उस की मीटिंग्स हों तो अच्छा रहेगा ।

एक बात मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हरिजनों में हमारे कुछ भाई इस तरह के हैं जिन के परिवार के परिवार तो बौद्ध हो गये हैं और वे खुद भी बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं किन्तु जब कहीं नौकरी पाने का सिलसिला होता है या नौकरी की बात होती है, तब वे हरिजन बन जाते हैं । ऐसा भी होता है कि जब कभी कहीं म्यूनिसिपल कमेटी में चुनाव लड़ने के लिये खड़े होने का सवाल आता है, या पार्लियामेंट में खड़े होने का सवाल आता है या अवसर आता है तब वे हरिजन हो जाते हैं । जब वह वक्त निकल जाता है तो बाद में फिर वे बौद्ध हो जाते हैं और बौद्ध के बौद्ध रहते हैं । वे एक जाति विशेष को भी कोसते हैं, उस को गालियां देते हैं और उस के साथ बुरी तरह से पेश आते हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में भी कुछ सोच विचार कर ले और वे लोग जोकि अपने आपको हरिजन नहीं मानते हैं, जो अपने आपको अनुसूचित नहीं मानते हैं किन्तु अपना काम निकलवाने के लिये ही अपने आपको अनुसूचित घोषित करते हैं, उन को अनुसूचित न माना जाये ।

अन्त में एक बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा । यहां पर यह कहा गया है कि हरिजनों की अवस्था दिन-प्रति-दिन दयनीय होती जा रही है और जितनी हम आशा करते थे कि आर्थिक दृष्टि से उन की हालत में सुधार होगा, उतना सुधार नहीं हो पा रहा है । मैं समझता हूं कि उन को ऊंचा उठाने के लिये, उन की आर्थिक दशा सुधारने के लिये, उन को समाज के दूसरे अंगों के बराबर लाने के लिये, अवसर प्रदान किये जाने की आवश्यकता है और इस से कोई इन्कार भी नहीं कर सकता है । किन्तु मेरे भाई गायकवाड़ साहब ने जो कुछ कहा है वह प्रकटतः सही नहीं है, प्रमाणतः सही प्रतीत नहीं होता है । उन्होंने मनुस्मृति इत्यादि का हवाला दिया है । मैं चाहता हूं कि आप देखें कि एक वह जमाना था जिस को कि मनुस्मृति का जमाना कहा जा सकता था और एक आज का जमाना है और इन दोनों जमानों के फासले को आप देखें और यह भी देखें कि हम उस से कितना आगे निकल आये हैं । आप देखें कि उस जमाने में कितने अत्याचार हम पर होते थे और आज हम को कितनी सुख और सुविधायें प्राप्त हैं । आप को चाहिये कि आप इन दोनों में फर्क देखें । जितनी आज हम को सुख सुविधायें मिली हुई हैं, उन के लिये हम को कम से कम आभार तो प्रदर्शित करना ही चाहिये । अभी भी जो हमारी समस्यायें हैं, जो हमारी कठिनाइयां हैं उन के निवारण के लिये हमें कहना

चाहिये और प्रयत्न करना चाहिये कि वे भी हल हों । मैं मानता हूं कि आज भी छुआछूत पूर्णतः मिटी नहीं है और इसको मिटाने के लिए हमें काफी प्रयत्न भी करना होगा, किन्तु मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब मैं बचपन में स्कूल पढ़ने जाता था, उस समय जितनी छुआछूत मेरे साथ बरती जाती थी, उतनी छुआछूत आज जब मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिये जाते हैं, उन के साथ नहीं बरती जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जो मैं घंटी बजा रहा हूं यह माननीय सदस्य के लिये ही बजा रहा हूं और माननीय सदस्य इस की कोई परवा ही करते प्रतीत नहीं होते । अब आप बचपन की बात में चले गये हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : बचपन की बात को खत्म कर के अब मैं जवानी की बात पर आ जाता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब खत्म करें । बीस मिनट से अधिक वह ले चुके हैं जबकि बाकी सदस्यों को केवल १५–१५ मिनट ही दिये गये हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : मैं एक मिनट में खत्म कर देता हूं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : माननीय सदस्य को दिल्ली से बाहर भी जाकर देखना चाहिये ।

श्री नवल प्रभाकर : माननीय सदस्य कहते हैं कि मैं दिल्ली की ही बात न करूं और दूसरे स्थानों पर भी जा करके देखूं । मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि मैं दिल्ली के अतिरिक्त दूसरी जगहों पर भी गया हूं और वहां जाने का मुझे अवसर मिला है और मैंने देखा है कि जो हिन्दुस्तान दस बरस पहले का था वह आज का नहीं है, उसमें जमीन आसमान का अन्तर आ गया है, यह हमें मानना पड़ेगा किन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि छुआछूत पूर्णतः खत्म नहीं हुई है और उसके लिए हमें अभी और प्रयत्न करने होंगे । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस दिशा में जितने हमारी सरकार ने प्रयत्न किये हैं, उनके लिए हमें आभार प्रदर्शित करना चाहिये, उन्हें सविनय स्वीकार करना चाहिये और जो करने को बाकी है, उसके लिए हमें सरकार से बराबर आग्रह करते रहना चाहिये ।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी) : कृष्णं बन्दे जगद्गुरुम् ।

माननीय **उपाध्यक्ष महोदय**, लम्बे समय से मैं माननीय सदस्यों के द्वारा गृह मन्त्रालय पर किये जाने वाली आलोचना को सुन रहा हूं । मैं जानता हूं कि शासन के सामने, मेरे राज्य के सामने कई कठिनाइयां हैं । अपने घर की नीति के सम्बन्ध में मैं यह देखता हूं कि दो प्रकार के दबाव मेरे घर पर आए हैं और उनके कारण मेरे घर की नीति जितनी सुदृढ़, जितनी सुव्यवस्थित और देश के लिये कल्याणकारी बननी चाहिये थी उतनी बन नहीं सकी है । उसका कारण यह है कि एक तो मेरे देश के लोगों का प्रजातन्त्र के आधार पर चलने का स्वभाव नहीं है और दूसरा यह कि देश दास रहा और राज्य-तन्त्र के अन्तर्गत पिस्ता रहा और वह राज्य-तन्त्र भी एक विदेशी राज्य-तन्त्र । इसके कारण स्वस्थ वायुमण्डल में रह कर अपने गृह का निर्माण करने के लिए जिस प्रकार की स्वस्थ बुद्धि समाज की होनी चाहिये उस प्रकार की बुद्धि का अब तक निर्माण नहीं हो सका है । उसी समाज में से शासन के संचालक चले आ रहे हैं । इसके कारण उनके मस्तिष्क में भी वह शुद्ध वायुमंडल निर्मित नहीं हुआ है जो राज्य को चलाने के लिए होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

इसके कारण मेरे देश की जो गृह नीति है वह अभी तक सम्पूर्ण रूपेण निर्दोष नहीं होने पाई है। दूसरा कारण यह है कि इस समय सारे संसार का वायु मण्डल विषाक्त हो रहा है और उसका प्रभाव मेरे देश पर भी पड़ रहा है। उस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम यह है कि एक तो अमरीका मेरे देश पर दबाव डाल रहा है और दूसरे रूस दबाव डाल रहा है और इन दोनों दबावों में से निकल कर घर को पुष्ट, बलशाली, शक्तिशाली, सम्पन्न, स्वावलम्बी और न्यायापूर्ण मार्ग पर डालते हुए उसकी उन्नति करने का काम कोई सरल कार्य नहीं है। लोग केवल आलोचना तो करते हैं। लेकिन इन सब चीजों की ओर ध्यान देना पसन्द नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे गृह मंत्री महोदय बड़े अनुभवी हैं, विद्वान हैं, योग्य हैं और बड़ा संघर्ष करते रहे हैं और इस समय इस वृद्धावस्था में भी इस बूढ़े, निर्बल, दुर्बल देश को आगे ले जाने के लिये सचेष्ट हैं और सावधान हैं। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

परन्तु मैं समझता हूं कि यह देश की एक प्रकार से दयनीय स्थिति है, दयनीय अवस्था है कि हमारे वृद्ध महारथी जवानों के होते हुए भी पिस्ते रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि देश का सबसे सुन्दर और स्वर्णमय अवसर तब होगा जब वृद्ध घरों में आनन्दपूर्वक बैठ कर भगवान् को स्मरण करेंगे और नौजवान परिश्रम करने के लिए आगे आयेंगे। परन्तु क्या यह देश की दयनीय स्थिति नहीं है, दयनीय अवस्था नहीं है कि नौजवानों को जिनकी सेवा करनी चाहिये वे दिन रात हमारे लिए चिन्तित रहते हैं? यह देश के लिए कोई उत्तम बात नहीं है। फिर भी वह जो अधिक परिश्रम कर रहे हैं उसके लिए उनकी अवस्था और स्थिति को ध्यान में रख कर मैं उनके सामने सुझाव रखना चाहूंगा।

मैं समझता हूं एक तरफ अमरीका अपना दबाव डाल कर और केवल कर्जा देकर, पैसा देकर देश में सम्पन्नता लाने के लिये हमको बल प्रदान करता है लेकिन उसी के साथ साथ करोड़ों डालर इस देश में भेज कर तथा मिशनरियों को देकर उनको सरकार विरोधी कार्य करने के योग्य बनाने का प्रयत्न भी करता है। दूसरी तरफ रशिया अपने कम्युनिज्म के द्वारा इस सरकार के कार्य में बाधा डालने के लिए तोड़ फोड़ पैदा करने वाली स्थिति उत्पन्न करता है। जब ये दोनों चीजें टकराती हैं तो इस घर के जो शुभचिन्तक हैं वे कहते हैं कि हमारी सरकार बड़ी निकम्मी है, काम नहीं कर रही है। यह दो प्रकार का जो दबाव आया है उसको देखते हुए देश के शुभचिन्तक यदि वास्तव में न्याय-बुद्धि के साथ सरकार के साथ सहयोग करें और इन दोनों प्रकार की शक्तियों को दबाने में सहायता प्रदान करें तो देश को आगे बढ़ाने का काम आसानी से चल सकता है और बहुत कुछ सुधार भी हो सकता है।

सबसे बड़ी कठिनाई यह हो गई है कि जहां इस देश को स्वतन्त्रता मिली वह दारिद्रय की अवस्था में मिली वहां हर एक आदमी जैसे भूखे आदमी को भोजन दो तो वह लम्बे लम्बे ग्रास लेता है, ठीक उसी प्रकार से अधिकार मिलने के कारण लोग अपना पेट भरने की स्थिति में पहुंच गये हैं और नाम तो लेते हैं देश का और भरते हैं अपना पेट, यही हो गया है हमारा काम ठेठ। यदि लोगों से यह कहा जाय कि आप दूसरा कोई कार्य कीजिये तो वह यह नहीं करके इस तरफ ही देखते हैं। नाम लेंगे आदर्श का, नाम लेंगे देश का, नाम लेंगे न्याय का और काम करेंगे केवल पेट का। एक मोटो सामने रहता है :

"नाममि पेटम् नमामि पेटम्-पेटम् परमाराध्य प्रभो"

और इसका परिणाम आप देख रहे हैं। केवल जातीयता का नाम लिया जाता है। लेकिन मैं देखता हूं कि "पाड़े पानो पाड़े बनते, चौबेजी चपरास पहनते"। फिर इस जातीयता का नाम लेने का क्या मतलब है? जातीयता बोगस हो गई है। केवल उसका नाम लिया जाता है, लेकिन उसमें जान और प्राण बाकी नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई यह हो गई है कि हमने जिस राष्ट्रीयता को आधार बनाया है

उसको सबल और पुष्ट करने के लिये हमें जितना सतर्क होना चाहिये उतना हम नहीं हुए । मैं उदाहरण के लिये निवेदन करूंगा कि हमने "हिन्दु मुस्लिम भाई भाई" का नारा लगाया। बात ठीक है, यहां भाई भाई हम कहते हैं लेकिन मुसलमान में भी हिन्दु के प्रति जितनी भ्रातृत्व की भावना आनी चाहिये थी वह नहीं आई । हिन्दु में तो वह भावना आई लेकिन मुसलमान में नहीं आई । क्यों नहीं आई ? इसलिये नहीं आई कि वह समझते रहे कि हिन्दु हमें मूर्ख बनाने के लिये यह नारा लगा रहे हैं, उसमें वास्तविकता नहीं है । और उनको हमने ठीक मार्ग पर लाने का प्रयत्न नहीं किया । मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। वायुमण्डल को शुद्ध करने के लिये, जिस में देश का विभाजन हुआ जो कि नहीं होना चाहिये था, हम को नहीं करना चाहिये था, न करते तो कोई बड़ी हानि नहीं होती, मैं यह उदाहरण नहीं दूंगा । परन्तु यह दूंगा कि पाकिस्तान से भाग कर हमारे भाई यहां आये और मस्जिदों में बैठ गये । हमारे शासन ने, हमारी सरकार ने मुसलमानों में सद्भावना पैदा करने के लिये जिन मस्जिदों में वे विवश होकर बैठ गये थे उनमें से उनको निकाला और मस्जिदों को मुसलमानों को दे दिया । परन्तु आज जब हिन्दु जाते हैं काशी विश्वनाथ मन्दिर तो देखते हैं कि औरंगजेब ने उसको तोड़ा और मस्जिद बना दिया और उसका एक भाग आज भी मन्दिर के पीछे है । हिन्दु वहां पहुंचते हैं और उसे देख कर उन के हृदय में यह भावना पैदा होती है कि इन मुसलमानों ने हमारे मन्दिरों को तोड़ा और उनमें ईर्षा बुद्धि पैदा होती है । और मुसलमान जब जाते हैं तो कहते हैं कि हां, यही हमारे पुर्खे करते रहे हैं और यही हमें करना है और हमारे प्रति उनमें शत्रुता का भाव रहता है । हम नारा भाई भाई का लगाते हैं परन्तु मित्रता उत्पन्न नहीं करते । इसके लिये यदि शासन थोड़ी दृढ़ता से काम ले और किसी हिन्दु के पास यदि किसी मुसलमान की कोई जायदाद हो, धर्मस्थान हो तो वह उनको दिला दे और यदि किसी हिन्दु की जायदाद किसी मुसलमान के पास हो तो उसे हिन्दु को दिला दे, तो स्थिति ठीक हो सकती है । और मुसलमानों को भी इसमें सहयोग करना चाहिये । तभी वास्तविक प्रेम का निर्माण होगा । केवल नारा लगाने से काम नहीं चलेगा । नारे लगाने से वास्तविक स्थिति का निर्माण नहीं होता । कुछ काल के लिये दोष दूर हो जाता है, कुछ काल के लिये साधारण वायु मण्डल का निर्माण होता है परन्तु स्थायी प्रेम और स्थायी शुद्धता का वायु मण्डल निर्मित नहीं होता । तो मैं चाहूंगा कि हमारा गृह मन्त्रालय थोड़ी हिम्मत के साथ, थोड़े साहस के साथ काम लें जैसे पाकिस्तान के लोगों को अपने साथ रखने के लिये पाकिस्तान की सरकार साहस के साथ, साहस तो क्या है, दुस्साहस के साथ, दुस्साहस भी नहीं, अन्याय के साथ हमारे ऊपर आक्रमण करती है तो जिसे इंग्लिस में सीरियस कहते हैं, मैं हिन्दी में कहूंगा कि गम्भीरतापूर्वक वह सोचे । सोचती तो है, लेकिन जिसे एफेक्टिव कहा जाता है, प्रभावशाली दबाव हमारी तरफ से नहीं होता । सीज फायर का कार्य चलता रहता है । परिणाम यह होता है कि वहां से आक्रमण होते रहते हैं । मैं कहता हूं कि अगर चाटुकारिता की दृष्टि से, दूसरों को प्रसन्न करने के आधार को लेकर "स्वजनेशु वैरम परेशु मैत्री" की नीति को लेकर हम गृह कार्य करते हैं तो यह कब तक चलता रहेगा । यह एक विचारणीय प्रश्न है और इसको हमारे गृह मन्त्रालय को सोचना चाहिये । इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । अगर आपको इसमें शीघ्रता करने में कोई कठिनाई मालूम पड़ती हो, कोई हानि दिखाई देती हो तो मेरे कहने से ही शीघ्रता मत कीजिये, परन्तु सोचिये अवश्य । इस समस्या का समाधान आपको करना ही होगा, इसके बिना आपकी नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता खतरे में है और किसी भी समय भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है ।

दूसरी सब से बड़ी खराबी की बात यह है कि पाकिस्तान के गुप्तचर निरन्तर आते रहते हैं । उस के लिये हमारे गुप्तचर विभाग को जितनी सावधानी और सतर्कता से काम करना चाहिये, वह नहीं कर रहा है । अगर आज आप गम्भीरतापूर्वक खोज तलाश करेंगे तो आज भी बड़ी बड़ी मस्जिदों में बाम्ब्स और अन्य हथियार निकलेंगे, जैसे कि पिछले टाइम पर निकले थे । मैं यहां मुसलमानों

[पंडित ब्रजनारायण "ब्रजेश"]

से शत्रुता नहीं रखता हूं। उनमें से बहुत से लोग भले भी हो सकते हैं और लड़ाई के समय शायद हमारा साथ भी देंगे लेकिन वहां से आ कर जो हमारे यहां विषाक्त वायुमंडल भीतर-भीतर पैदा कर रहे हैं उन से सरकार को अवश्य सावधान रहना पड़ेगा। इसलिये कि यहां के बहुत से कर्मचारियों का सम्बन्ध पाकिस्तान से है। यहां वे खूब जोर से रिश्वत लेते हैं, पैसा पाकिस्तान को भेजते हैं। यहां लड़के पैदा करते हैं और यहां से पार्सल भेजते हैं पाकिस्तान को। आप मुझे बतलाइये कि जिन को यहां रहना पसन्द नहीं है, जिन को यहां पैसा रखना पसन्द नहीं है, वह समय पड़ने पर हमारा कितना साथ दे सकेंगे? इस के लिये शासन को जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। और जो लोग अच्छे हैं उन की पीठ ठोंकना पड़ेगा, उन को अपने साथ ले कर चलना पड़ेगा। मेरा ऐसा तात्पर्य नहीं कि हम सब लोगों को एक ही लाठी से हांकें। लेकिन जागरूकता, सावधानी अत्यन्त आवश्यक है, अनिवार्य है इस समय।

दूसरी बात यह है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उस भ्रष्टाचार की तरफ केन्द्रीय गृह-मंत्रालय को खास तौर पर ध्यान देना चाहिये। घर की ही बात है।

स्वामी रामानन्द शास्त्री (बाराबंकी—रक्षित अनुसूचित जातियां) : गृह मंत्रालय या ग्रह मंत्रालय ?

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश": मैं गृह मंत्रालय बोल रहा हूं। आपको सुनने में कुछ तकलीफ होती है। मैं आकाश के ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूं, पृथ्वी के गृहों की बात कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि यदि ऊपर के ग्रह खराब हुए तो भी हमारे गृह की खराबी होती है। मैंने पिछली बार भी कहा था इस अधिवेशन में, इस सम्बन्ध में एक साधारण सी घटना है। जैसे कि हंडिया से एक चावल टटोल लिया जाता है। गुना डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। उस के अशोक नगर की बात है। जैसे देश में इस समय लोग धर्मशाला, मन्दिर, अनाथालय, विधवालय आदि अपने पैसे से बनाते हैं, वैसे लोग शासन से पैसा ले कर जब इस तरह की चीज करते हैं उस में लोगों की कैसी प्रवृत्ति हो गई है। एक ठेकेदार ने सरकार से ठेका लिया एक विद्यालय के निर्माण का एक लाख रु० का ठेका था। मैं समझता हूं कि कि उस में २५ हजार रु० का भी मैटीरियल नहीं लगा होगा। उस का उद्घाटन होने वाला था। भगवान की दया हो गई कि तीन दिन बाद उसका उद्घाटन होने वाला था। उसके पहले ही एक घटना घटी। पूरी की पूरी पाठशाला ढह गई। यदि कहीं उस का उद्घाटन हो गया होता तो अध्यापकों और विद्यार्थियों की हड्डी पसली भी गंगाजी में डालने के लिये न बचती। यह स्थिति हो जाती। मैं ने निवेदन किया, वहां भी लिखा पढ़ी की है क्योंकि प्रान्त का मामला है। कहते हैं कि जांच पड़ताल हो रही है, आप को जवाब दिया जायेगा। "गा"। मैं कब तक गाता रहूंगा इस का पता नहीं। ऐसी गड़बड़ी भी होती है। यह तो एक साधारण घटना मैं बताता हूं। लेकिन उस ठेकेदार को अभी भी ठेके दिये जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि ऐसे आदमियों का तो लाइसेन्स जब्त हो जाना चाहिये।

"जो हों लोभी, पातकी, व्यसनी, क्रूर, गंवार,
उन्हें कबहुं मत दीजिये थोड़े हू अधिकार।"

उन के अधिकार छिन जाने चाहियें। आज जो अधिकारी काम करते हैं आप उन के अधिकार छीनना चाहते हैं और जो नहीं करते हैं उन को आप रखना चाहते हैं। यह कोई कार्य करने का तरीका है? आज ऐसी स्थिति का निर्माण हो गया है। मैं समझता हूं कि इस तरफ आप को गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिये। जैसे मैंने रेलवे मंत्रालय की बहस के समय कहा था, मैं गृह-मंत्रालय से भी चाहूंगा कि उस के द्वारा कुछ गुप्त दौरे लगाये जायें और ऐन समय पर जिस जगह पर पता लगे वहां रंगे हाथों लोगों को पकड़ कर तत्काल दंडित करने की व्यवस्था करनी चाहिये जिस से यह वायुमंडल पैदा होगा कि

अब यहां यह ढ़पोरसंखी नहीं चलेगी, इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं चलेगी। जैसे चाणक्य हमारे बड़े त्यागी और तपस्वी रह कर मंत्री का कार्य करते थे, वैसे ही मंत्री आज हमारे देश में होने चाहियें, जो त्यागी हों, तपस्वी हों, जागरूक हों, सावधान हों, और अहर्निप देश की जनता से सर्वत्र घूम कर बुराई को निकालने के लिये सचेष्ट हों। यहां पर मंत्रालय द्वारा ऐसी स्थिति का निर्माण होना चाहिये तभी देश का कल्याण हो सकता है, देश हमारा आगे बढ़ सकता है और हमारी सब तरह की कठिनाइयां दूर हो सकती हैं।

दूसरे मैं ने यह कहा था कि हमारे गृह-मंत्रालय के साथ दूसरे मंत्रालयों का कोआर्डिनेशन और कोआपरेशन नहीं मिलता है। सहयोग सम्पर्क, सहानुभूति एक दूसरे के साथ होनी चाहिये जिस से गृह-मंत्रालय वास्तविक रूप से आगे बढ़े। अनाचार कहीं और हो रहा है, खराबी फूड विभाग में है और बदनामी हो रही है हमारे पंत जी की। इस प्रकार से कभी तीन काल तक भी सुधार नहीं होगा। उस का सब पर नियंत्रण होना चाहिये, एक दूसरे विभागों से सम्बद्ध कर्मचारियों और अधिकारियों को मंत्रिगण को परामर्श कर के एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिये। तो यह भ्रष्टाचार की स्थिति अत्यन्त शीघ्र दूर होनी चाहिये।

पुलिस विभाग के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह सब से बड़ा जिम्मेवार विभाग है जो कि गृह-मंत्रालय के अन्तर्गत है और जब रक्षक ही भक्षक बन जायें तो समाज क्यों न शासन के लिये तक्षक बन जाये। तो जब तक रक्षक रक्षक नहीं रहेगा तब तक कार्य नही चलेगा। पुलिस विभाग स्वयं चोर डाकुओं से मिल जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में डाकू समस्या इसी लिये अभी तक हल नहीं हुई है कि पुलिस विभाग में से ५० प्रतिशत नहीं बल्कि ६० या ७० प्रतिशत डाकुओं से मिले हुए हैं और उन के साथ मिल कर डकैती करते कराते हैं। हमारे काटजू साहब बड़े ईमानदार, भले और निष्ठावान आदमी हैं लेकिन कभी कभी भले और निष्ठावान आदमी भी एडमिनिस्ट्रेशन के योग्य नहीं होते।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को ऐसा नहीं कहना चाहिये कि वे इस के योग्य नहीं हैं। यह अच्छी बात नहीं है। उन को छोड़ दीजिये।

पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि उन से जो भी बन पड़ रहा है वह प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन पुलिस विभाग जितना सहयोग करना चाहिये नहीं कर रहा है और डाकुओं से मिल कर घटनायें घट रही हैं। दिन में डाकू घरों में घुस कर आदमियों को बांध कर उन का माल लेकर और गोली मार कर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम जनता को क्या विश्वास दिलायें कि अब हमारे देश में स्वराज्य हो गया है, अब अपना राज्य है। यह तो तभी हो सकेगा जब पहले सुरक्षा की व्यवस्था हो। जनता को अपने माल और जान की रक्षा की गारंटी मिलनी चाहिये। उनको यह आश्वासन मिलना चाहिये कि उन पर कोई आपत्ति और संकट नहीं आयेगा। तो यह देखना पड़ेगा कि पुलिस विभाग से भ्रष्टाचार दूर किया जाये और वह रक्षक के रूप में कार्य करे।

मैं तो अपनी झड़ी लगा रहा था ताकि मेरी लड़ी न टूटे लेकिन आप घड़ी देख रहे हैं, इसलिये मैं आप को धन्यवाद दे कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : आज के वाद विवाद में माननीय सदस्यों ने अनेक बातें उठाईं। एक अच्छी बात यह रही कि उस तरफ के माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई अनेक बातों का उत्तर इधर के एक माननीय सदस्य द्वारा दिया जा चुका है। इस प्रकार मेरा काम काफी आसान हो गया है। फिर भी कुछ बातों का उत्तर मैं दूंगा। अनेक माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

अनेक विभागों में कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा दी गई है। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में सरकार का कार्य सभी दिशाओं में काफी बढ़ गया है।

स्मरण रहे कि हम ने एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का निश्चय किया है। अब हमारा राज्य पुलिस राज्य नहीं है। अतः कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये हमें सेवाओं का विस्तार करना होगा, बहुत से लोगों को नियुक्त करना होगा तथा अनेक विभाग व कार्यालय खोलने होंगे। यद्यपि सरकार इस बात के प्रति सावधानी बरतती है कि अनावश्यक विस्तार न किया जाये, पर जब आवश्यकता पड़ती है तो नये विभाग व नये कार्यालय खोलने ही पड़ते हैं और नये व्यक्तियों की नियुक्ति भी करनी ही पड़ती है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि गृह-कार्य मंत्रालय सीमा से अधिक बढ़ गया है। मेरा निवेदन है कि गृह-कार्य मंत्रालय की कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है और गत ६ या ७ वर्षों में तो इस मंत्रालय का कार्य और भी अधिक बढ़ता रहा है। इस मंत्रालय का कार्य राज्यों के मंत्रालयों के भंग करने के बाद से शुरू हुआ बहुत कुछ काम तो अब भी बाकी है। राज्य मंत्रालय का काम गृह-कार्य मंत्रालय को सौंप दिया गया, और इस प्रकार गृह-कार्य मंत्रालय के पास कार्य अधिक हो गया। उसके पश्चात् दो या तीन वर्ष बाद हमें राज्य पुनर्गठन का कार्य करना पड़ा। इस के लिये एक समिति नियुक्त की गई। समिति ने बहुत सारी सिफारिशें कीं। उन सिफारिशों पर, जो राज्यों के बारे में थीं, बहुत सी बातें ध्यान में रखते हुए हम ने राज्य पुनर्गठन डिवीजन खोला। इस प्रकार लगातार हर वर्ष गृह-कार्य मंत्रालय के कार्य में वृद्धि होती रही।

इस के अतिरिक्त आप को पता होगा कि हम और भी बहुत से काम कर रहे हैं। अनेक स्थानों पर प्रायः महामारी इत्यादि रोग फैल जाते हैं और उन पर हमें सतत ध्यान रखना पड़ता है और योजना-बद्ध रूप से कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार बाढ़ें भी आती हैं और उन की ओर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। इन सब के लिये हमें विभाग खोलना पड़ा है और लोगों को प्रशिक्षण भी देना पड़ता है। माननीय सदस्यों को ध्यान रहे कि इन सब मामलों के सम्बन्ध में तुरन्त और प्रभावी कार्यवाही करने के लिये हमें केन्द्र में ही नहीं, बल्कि राज्यों में भी कर्मचारियों को मुस्तैदी के साथ तैयार रखना पड़ता है।

माननीय सदस्यों को ध्यान होगा कि हमें अल्प संख्यकों के सम्बन्ध में भी कुछ हद तक काम करना पड़ा। पहले हमारे यहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का एक आयुक्त था। बाद में यह काम और भी बढ़ा और हम लोगों ने एक विभाग खोला, जो इस बात का ध्यान रखता है कि भारत सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को समुचित प्रतिनिधित्व मिले। हम राज्य सरकारों को भी यही राय दे रहे हैं कि इन जातियों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है, वह उन्हें प्रभावी रूप से मिले। हम इन जातियों के लोगों का प्रतिशत भी बढ़ा रहे हैं पर इस में अनेक कठिनाइयां भी आती हैं। एक कठिनाई यह है कि इन लोगों ने अभी पिछले पन्द्रह वर्षों से ही शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया है। इस के पूर्व इन जातियों के लोगों में शिक्षा बिल्कुल भी नहीं थी। अतः हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि विभाग की कार्यकुशलता भी बनी रहे। इस के साथ ही हमें अनुसूचित जातियों के ५५० लाख व्यक्तियों और अनुसूचित आदिम जातियों के दो करोड़ व्यक्तियों को सन्तुष्ट करने का भी प्रयत्न करना पड़ता है।

जहां तक उन के प्रतिनिधित्व का सवाल है मुझे प्रसन्नता है कि धीरे धीरे उन का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरियों में उन का प्रतिनिधित्व उन की जनसंख्या के अनु-

सार लगभग पूरा हो गया है। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि अन्य सेवाओं में भी उन का प्रतिनिधित्व बढ़े। कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में खेद भी प्रकट किया है कि उन का प्रतिनिधित्व अभी समुचित प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाया है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उन के प्रतिशत में वृद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक उन की शिक्षा और योग्यता में वृद्धि न हो। जहां तक पदोन्नति का सवाल है, इस सम्बन्ध में कोई प्रतिशत निर्धारित करना न तो सम्भव है और न उचित ही है। भर्ती करते समय हम प्रतिशत का ध्यान रखते हैं, पर यदि पदोन्नति के समय हम किसी प्रकार प्रतिशत आदि का ध्यान रखेंगे तो इस से प्रशासन की कुशलता में कमी पैदा होगी। इसीलिये केवल भर्ती के समय प्रतिशत का ध्यान रखा जाता है। पदोन्नति की स्थिति में प्रतिशत का ध्यान रखना कठिन होगा। फिर भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों का, कहीं, भी, अपहरण न हो और उनको उन के अधिकार दिये जायें।

राज्य पुनर्गठन के बाद भारत सरकार को अब ६ या ७ संघ राज्य-क्षेत्रों की भी देखभाल करनी पड़ती है। इस समय दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के राज्य क्षेत्र हैं, इस के अलावा अन्दमान निकोबार द्वीप समुह, लक्कदीव, मिनिकाय और अमीन द्वीप समूह भी हैं। इन का प्रशासन सीधे केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। ध्यान रहे कि इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिये वहां से प्राप्त होने वाली आय की तुलना में केन्द्रीय सरकार को बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है यह क्षेत्र अभी बहुत ही अविकसित या अर्द्धविकसित हैं और हमें इन को अन्य राज्यों के समान स्तर पर लाना है। इसलिये हम इन पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। इस सबध में हम काफी प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

इन राज्य-क्षेत्रों में विकास का कार्य तेजी से हो रहा है। अतः केन्द्रीय सरकार तथा गृह-कार्य मंत्रालय को यहां को समस्याओं की देखभाल के लिये अपनी गतिविधियां बढ़ानी पड़ीं।

इस के अतिरिक्त भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों की समस्या भी मंत्रालय के सामने है। राज्य-पुनर्गठन अधिनियम के अधीन एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाना था, जो भाषा संबंधी अल्प सख्यकों का आयुक्त कहलाता है, जिस का काम है कि वह सभा में हुई चर्चा के आधार पर जारी किये गये परिपत्र तथा आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों की कार्यान्विति की देखभाल करे तथा यह भी ध्यान रखें कि आगे और क्या कार्यवाही की जानी चाहिये। कई माननीय सदस्यों ने पूछा कि यह आयुक्त क्या करता है? अभी तक वह अनेक राज्यों का, दक्षिण के लगभग सभी राज्यों का, दौरा कर चुका है, और अब वह पूर्व के राज्यों का दौरा करेगा। इस के साथ ही उसे जो अभ्यावेदन मिले हैं, उन पर वह पूर्ण ध्यान देता रहा है। उस का प्रथम प्रतिवेदन हमें मिल गया है और शीघ्र ही उसे सभा पटल पर रखा जायेगा। उसे प्रत्येक अभ्यावेदन पर विचार करना होता है तथा राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया पर भी ध्यान देना होता है। इसी कारण उस ने विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन अगले महीने मद्रास में बुलाया था। वहां सम्पूर्ण समस्या पर विचार किया जायेगा। इस प्रकार सब बातों पर विचार कर के समस्या का कुछ समाधान ढूढ़ा जायेगा। संविधान के उपबन्धों तथा राज्य पुनर्गठन की व्यवस्था के अनुसार इस समस्या पर पूर्ण ध्यान दिया जा रहा है।

इस के अतिरिक्त सरकारी नौकरों की संख्या कुल जनसंख्या के अनुपात से काफी कम है। अन्य देशों में इस का अनुपात इस प्रकार है। अमरीका में १ लाख जनसंख्या पर सरकारी नौकरों की संख्या १३४४.२, ब्रिटेन में २०६७.७। यह बात देश की समृद्धि पर निर्भर नहीं होती। अतः आप देखेंगे कि जनसंख्या को देखते हुए हमारे देश में सरकारी नौकरों की संख्या अधिक नहीं है।

[श्री दातार]

आज सुबह निवारक निरोध अधिनियम की बात भी उठाई गई और कहा गया कि अभी भी यह अधिनियम है। पर आप देखें कि ३१ दिसम्बर, १६५५ को इस संबंध में १८५५ मामले थे जब कि ३१ दिसम्बर, १६५८ को केवल ७२ मामले थे। इस की शर्तों को भी उदार बना दिया गया है। अतः इस बात का कुछ अधिक महत्व नहीं है।

दिल्ली प्रशासन के संबंध में भी अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें बहुत अधिक खर्च हो रहा है तथा केन्द्रीय सरकार इस पर समुचित ध्यान नहीं दे रही है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली नगर निगम के बनने के बाद भी, बहुत सा काम दिल्ली नगर निगम को सौंप देने के बाद भी, दिल्ली प्रशासन के पास अभी बहुत सा काम शेष है। इसी कारण दिल्ली प्रशासन अभी भी है यद्यपि इसके काम में हमने काफी सुधार कर दिया है और इसके व्यय में करीब १ लाख रुपये की कमी हो गयी है। दिल्ली सचिवालय के बहुत से सचिवों को हटा दिया गया है और काम भी काफी हद तक कम हो गया है। इस संबंध में आप ध्यान रखें कि दिल्ली प्रशासन को अभी चलाना ही है। पर सरकार इस बात के संबंध में सावधानी रख रही है कि इसका खर्च कम हो।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि दिल्ली नगर निगम को पूरा अनुदान नहीं दिया जा रहा है। यह बात सच नहीं है। भारत सरकार ने एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त कर दिया है जो हमें बताता है कि निगम की क्या आवश्यकतायें हैं और निगम के आपके अच्छे साधन क्या हो सकते हैं। यह पदाधिकारी अपना काम अच्छी तरह कर रहा है। इस पदाधिकारी का प्रतिवेदन मिलने के पहले ही सरकार ने दिल्ली नगर प्रशासन को लाखों रुपये का अनुदान दे दिया है। १६५८-५६ में ५० लाख का तदर्थ अनुदान निगम को दिया जा चुका है और वर्ष १६५६-६० के आय व्ययक में ५० लाख की राशि का उपबन्ध है।

पूंजीगत निर्माण कार्यों के संबंध में भी भारत सरकार दिल्ली निगम को ७८ लाख का ऋण देने जा रही है। ७५ लाख रूपये तो हम दे भी चुके हैं। वर्तमान आयव्ययक में भी हमने ६० लाख रु० की व्यवस्था की है। आपको स्मरण होगा दिल्ली नगर निगम १ वर्ष पूर्व बना है। यदि वह अपने संसाधनों का समुचित लाभ उठायेगा, तो हम उसकी सहायता हर तरह से करने को तैयार हैं। आखिर उन्हें अनुभव प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा। अतः यह कहना समय से पूर्व है कि भारत सरकार निगम की देख भाल अच्छी तरह नहीं कर रही है।

यह भी कहा गया कि दिल्ली के ग्रामीण भाग की अच्छी देखभाल न किये जा सकने की आशंका है। ध्यान रहे कि दिल्ली निगम में नगर का भाग तथा दिल्ली संघ क्षेत्र के गांव भी सम्मिलित है। नगर तथा ग्रामीण भाग को मिलाने का यह एक नवीन प्रयोग है और दिल्ली नगर पालिका अधिनियम में कहा गया है कि ग्रामीण जनता के हितों की देख भाल तथा रक्षा करने के लिए एक ग्रामीण विभाग भी होगा। ग्रामीण जनता को भूमि में अधिक अधिकार देने के लिए अभी हाल में हमने कुछ विधेयक भी पारित किये हैं। इसके अतिरिक्त पंचायतें भी स्थापित की जायेंगी। भारत सरकार चाहती है कि दिल्ली की ग्रामीण जनता के हितों को कोई चोट न पहुँचे। साथ ही आशा है कि दिल्ली के साथ सम्बन्ध होने के कारण वहां की जनता को काफी सुविधायें मिलेंगी। अतः भारत सरकार ग्रामीण जनता के हित के लिए काफी प्रयत्न कर रही है। जो अधिनियम पारित किये गये हैं तथा जो कार्यवाहियां की गयी हैं उनमें ग्रामीण जनता के हितों का ध्यान हमेशा रखा गया है। दिल्ली क्षेत्र के लग-भग आधे भाग में सामुदायिक विकास योजनायें चालू हो गई है और वहां की जनता में नयी जागृति तथा नया जीवन पैदा हो गया है। यह एक अच्छा लक्षण है। दिल्ली की देख भाल करने की पूर्ण जिम्मेदारी हमारी संसद पर है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जन सम्पर्क समिति तथा औद्योगिक समिति अपना काम अच्छी तरह नहीं कर रही हैं। पर मैं बताना चाहता हूं कि ये समितियां अपना काम अच्छी तरह कर रही हैं। शासन तथा जनता के बीच सम्पर्क स्थापित करने का ये समितियां उत्तम साधन हैं। उन्हें जनता का सहयोग भी मिलता रहा है। चूंकि दिल्ली में एक विधान मंडल स्थापित नहीं किया जा सका जैसा कि हम लोग जानते हैं, अतः सरकार सदा प्रयत्नशील रही है कि दिल्ली की प्रशासकीय व्यवस्था में जनता का अधिकाधिक सहयोग रहे। ये दोनों संस्थायें प्रशासन तथा जनता को निकट लाने का प्रयत्न कर रही हैं। इस के अतिरिक्त दिल्ली के प्रशासन के सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्रणा संस्था भी है, जो अपना काम बहुत सूचारु रूप से कर रही है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो कर दिल्ली में वसूल किये गये उन्हें दिल्ली संघ क्षेत्र पर नहीं व्यय किया गया। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास संस्था पर यद्यपि नई दिल्ली नगर पालिका समिति भी है और दिल्ली के सभी बड़े विकास कार्यों के लिये वित्त देने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार ने अपने ऊपर ले ली है——जो कुछ भी व्यय किया गया है, उसे देखने के बाद आप मान लेंगे कि दिल्ली के महत्व को देखते हुए तथा दिल्ली प्रशासन को मजबूत बनाने के लिये दिल्ली पर बहुत अधिक धन व्यय किया जा चुका है। जहां तक दिल्ली का संबंध है, मैं आश्वासन दिलाता हूं कि दिल्ली के हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

यह भी सुझाव दिया गया है कि दिल्ली में चीफ कमिश्नर की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर ध्यान रहे चीफ कमिश्नर भारत सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है। उसे अनेक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। भारत सरकार चीफ कमिश्नर के द्वारा ही प्रशासन का संचालन करती है अतः यह कहना ठीक नहीं है कि दिल्ली में चीफ कमिश्नर नहीं होना चाहिये था। जिस प्रकार अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासक, चीफ कमिश्नर तथा लेफ्टीनेंट गवर्नर है, उसी प्रकार दिल्ली में भी चीफ कमिश्नर का होना आवश्यक है। इसी कारण दिल्ली में यह पदाधिकारी रखा गया।

श्री ले० अचौ सिंह ने मनीपुर प्रशासन के संबंध में कुछ सामान्य शिकायतें कीं। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि मंत्रणा समिति में उन्हों ने अनेक बातें उठाई थीं, और उन बातों पर ध्यान दिया गया है। मेरा ख्याल है कि मनीपुर राज्य क्षेत्र अर्द्ध विकसित है और वहां की आय इतनी कम है कि वहां के प्रशासन को सुन्दर स्तर पर लाने के लिये भारत सरकार को काफी धन व्यय करना होगा।

उन्हों ने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों की भरती के लिये जो तरीके काम में लाये जाते हैं वे अवैज्ञानिक हैं। "अवैज्ञानिक" कहने से उन का क्या अभिप्राय था, मैं नहीं समझ पाया। हमारे यहां एक प्रणाली है कि प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर की जाती हैं। निम्न श्रेणी के पदों पर सरकारी नियुक्ति या काम दिलाऊ दफ्तरों की सिफारिशों के आधार पर भरती की जाती है। यह तरीका काफी वैज्ञानिक है। अतः इस प्रणाली के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती और साथ ही यह प्रणाली पूर्णतः वैज्ञानिक है।

उन्होंने भ्रष्टाचार तथा कार्य की अकुशलता का भी जिक्र किया। ये आरोप अस्पष्ट हैं। यदि माननीय सदस्य कोई ठोस उदाहरण सामने रखें तो हम उस पर विचार करें और उसे ठीक करें। यदि कोई पदाधिकारी ठीक काम न करता हो, तो उस के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। भारत सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार को समूल नष्ट कर दिया जाये।

एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा कि हम एक ही प्रकार के कई कई विभाग खोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले पुलिस विभाग था, बाद में विशेष पुलिस विभाग खोला गया और उस के बाद प्रशासन

[श्री दातार]

चौकसी संगठन बनाया गया। मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस विभाग अपराधों तथा शान्ति व व्यवस्था के सामान्य प्रश्नों को देखता है विशेष पुलिस की स्थापना सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टचार को समाप्त करने के लिये की गयी थी। उस का प्रतिवेदन प्रतिवर्ष उपस्थापित किया जाता है और कभी-कभी तो सभा में उस पर वाद विवाद भी होता है। उस के बाद प्रशासन चौकसी संगठन है, उस का काम है प्रशासन में गलती होने न देना। इस विभाग का कार्य क्षेत्र बहुत कार व्यापक है। इस संबंध में जो शिकायतें आती हैं, उन की छानबीन अच्छी तरह की जाती है और आप देखेंगे कि गत २ या ३ वर्षों में इन्हों ने अच्छा काम किया है। प्रत्येक मामले पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाता है। इन सभी विभागों के कार्य क्षेत्र पृथक-पृथक है और इन सब के कार्य का प्रभाव यह होगा कि पदाधिकारी वर्ग में से गन्दगी तथा भ्रष्टाचार बिल्कुल नष्ट हो जायेगा।

जहां तक भ्रष्टाचार की सामान्य शिकायत का प्रश्न है, मैं बताना चाहता हूं कि भ्रष्टचार में धीरे-धीरे कमी होती गयी है। यह कहना व्यर्थ है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि तीनों पुलिस विभाग विशेष कार्यों के लिये है।

एक माननीय सदस्य ने नागरिकता अधिनियम के संबंध में एक मामले की शिकायत की। वह मामला पूर्वी पाकिस्तान से आये एक व्यक्ति के संबंध में है। वह पाकिस्तानी पारपत्र तथा हमारा विसा लेकर भारत आया था, यहां आने के बाद उस ने दोनों चीजें समर्पित कर दीं और फिर अनधिकृत रूप से में भारत कई वर्षों तक रहा। उस ने नागरिकता के प्रमाणपत्र के लिये आवेदन पत्र नहीं दिया। जब यह सब पता लगा कि वह नियमों का उल्लंघन कर के इस प्रकार रह रहा है तो नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।

श्री पद्म देव (चम्बा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस में संदेह नहीं कि कितना बड़ा हमारा मुल्क है उतने ही योग्य व्यक्ति के नेतृत्व में उस का गृह कार्य है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, २० मार्च, १६५६/२६ फाल्गुन, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १९ मार्च, १९५९
२८ फाल्गुन, १८८० (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३५४९—७९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३६४	स्वचालित करघे	३५४९–५०
१३७३	सूती कपड़ा मिलों में स्वचालित करघे	३५५०—५३
१३६५	मूलभूत भेषजों के निर्माण के लिये कारखाने	३५५४—५७
१३६६	दण्डकारण्य योजना	३५५८—६१
१३६७	भारी मशीन बनाने वाला कारखाना	३५६२–६३
१३६९	प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना	३५६३–६४
१३७०	मैसूर राज्य में कागज़ और अखबारी कागज़ का निर्माण	३५६४–६५
१३७१	सीमेंट	३५६५—६७
१३७२	केन्द्रीय नमक बोर्ड	३५६७–६८
१३९४	नमक उद्योग	३५६८
१३७४	छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये फोर्ड फाउन्डेशन का अनुदान	३५६८–६९
१३७५	भारत-नेपाल व्यापारिक करार	३५७०
१३७७	टीन	३५७१–७२
१३७८	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को ऋण	३५७२
१३७९	अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी संघ	३५७३—७५
१३८०	मंडी की सेंधा नमक की खानें	३५७६—७८
१३८१	मशीनों के डिजायन तैयार करने वाली राष्ट्रीय संस्था	३५७८–७९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३५७९—३६०८
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३६८	नैरोबी में भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय	३५७९
१३७६	चीनी मिलों में शीरे की बर्बादी	३५८०
१३८२	अफ्रीका को जूट के सामान का निर्यात	३५८०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३८३	दण्डकारण्य योजना के लिये ट्रैक्टर	३५८०—८१
१३८४	बर्मा में भारतीय	३५८१
१३८५	पावर टूल्स एण्ड एप्लाएंसिज कम्पनी, कलकत्ता	३५८१—८२
१३८६	केरल में मांड़ का कारखाना	३५८२
१३८७	फोटो के सामान का आयात	३५८२
१३८८	कुछ कार्यों का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरण	३५८३
१३८९	भारत में अमरीकी व्यापार मिशन	३५८३—८४
१३९०	"माउंट जत्त" पर अभियान	३५८४
१३९१	पंजाब में कागज की कमी	३५८४—८५
१३९२	व्यापार चिह्न पंजीयन कार्यालय	३५८५
१३९३	भूमि सुधार	३५८५—८६
१३९५	भूमि सुधार सम्बन्धी 'पेनल' का पुनर्गठन	३५८६
१३९६	प्रबन्ध अभिकरण पद्धति	३५८६
१३९७	उद्योगों में अनुशासन संहिता	३५८६—८७
१३९८	गवेषणा प्रयोगशाला	३५८७
१३९९	सरकारी इमारतों के ठेकेदार तथा फर्नीचर संभरणकर्ता	३५८७
१४००	भारत में रजाकारों का प्रवेश	३५८८
१४०१	श्री राधेश्याम काटन मिल्स लिमिटेड, हावड़ा	३५८८
१४०२	संसद् सदस्यों के लिये और अधिक फ्लैट तैयार करना	३५८८—८९
१४०३	पंजाब में सुधार शुल्क	३५८९
१४०४	दिल्ली में आकाशवाणी का ऑडिटोरियम	३५८९—९०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१३६	रेफ्रिजरेटर	३५९०
२१३७	भारतीय फिल्मों का निर्यात	३५९०
२१३८	फिल्मों का निर्माण	३५९१
२१३९	काजू का निर्यात	३५९१
२१४०	घड़ियों के लिये आयात लाइसेन्स	३५९१
२१४१	सीमेंट का उत्पादन	३५९१—९२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१४२	दण्डकारण्य योजना के अधीन सिंचाई परियोजनायें	३५९२–९३
२१४३	उड़ीसा में काम दिलाऊ दफ्तर . .	३५९३
२१४४	आंध्र प्रदेश में रेशम कीट पालन उद्योग का विकास	३५९३
२१४५	आंध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग	३५९४–९५
२१४६	नांगल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	३५९५
२१४७	आंध्र प्रदेश के लिये अतिरिक्त चर्खे .	३५९५
२१४८	रेडियो कार्यक्रम पत्रिकाओं की बिक्री .	३५९५–९६
२१४९	वर्ष १९५९-६० के लिये राज्यों की वार्षिक योजनायें .	३५९६
२१५०	भारतीय वस्तुओं का साइप्रस को निर्यात	३५९७
२१५१	केरल राज्य व्यापार निगम . . .	३५९७
२१५२	चीन और जापान में छोटे पैमाने के उद्योगों का अध्ययन .	३५९७–९८
२१५३	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय की कर्मचारी परिषद् .	३५९८
२१५४	दिल्ली में कृषि उत्पादन	३५९८
२१५५	निर्यात जोखिम बीमा निगम . . .	३५९९
२१५६	श्री नगर (गढ़वाल) में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना .	३५९९
२१५७	वस्तु क्रय योजना में छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा भाग लिया जाना . .	३५९९–३६००
२१५८	विकिरण के खतरे . . .	३६००
२१५९	बम्बई राज्य में कपड़ा मिलों का बंद होना .	३६००
२१६०	पुनर्वास विभागों का बंद किया जाना .	३६००
२१६१	गुड़ उद्योग	३६०१
२१६२	ऊनी सामान	३६०१
२१६३	हथकरघा द्वारा उत्पादित कपड़े पर छूट (रिबेट) के लिये मद्रास को सहायता	३६०१
२१६४	चंडीपुर कालोनी में "अपना घर बनाओ योजना" .	३६०२
२१६५	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, लिमिटेड	३६०२
२१६६	पंजाब में बेरोजगारी . .	३६०३
२१६७	नारियल जटा विकास योजनायें . .	३६०३
२१६८	रूस, अमेरिका तथा ब्रिटेन से पुस्तकों की खरीद .	३६०३–०४
२१६९	लाइसेंस समिति . .	३६०४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१७०	कोयला खानों में दुर्घटनायें .	३६०४—०५
२१७१	दिल्ली की नई बस्ती 'झील कुरंजा' . .	३६०५
२१७२	उत्तर प्रदेश में भारी इंजीनियरिंग मशीनें बनाने का कारखाना	३६०६
२१७३	सांभर साल्ट वर्क्स . .	३६०६
२१७४	भारत सरकार का मुद्रणालय, अलीगढ़ .	३६०६
२१७५	भारत का राज्य व्यापार निगम	३६०६—०७
२१७६	पुराना किला स्थित विस्थापित व्यक्ति .	३६०७
२१७७	पुराना किला स्थित विस्थापित व्यक्ति . .	३६०७—०८
२१७८	लंका के साथ व्यापार .	३६०८
२१७९	जीरा का निर्यात .	३६०८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		३६०९
अनुदानों की मांगें		३६१०—६४

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के छठे अधिवेशन की, जो २१ फरवरी, १९५९ को दिल्ली में हुआ था, कार्यवाही के सारांश की एक प्रति ।

(२) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३८ के अन्तर्गत समवाय अधिनियम, १९५६ के कार्य तथा प्रशासन के बारे में वर्ष १९५७-५८ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(३) समवाय अधिनियम, १९५६ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ७ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २७७ की एक प्रति ।

गृह-कार्य मंत्रालय के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, २० मार्च, १९५९/२९ फाल्गुन, १८८० (शक) के लिये कार्यावलि—

गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार

———